खण्ड-376, अंक-7
गुरूवार, 22 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(13 मार्च, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 376 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–2
प्रश्नोत्तर	3–42
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	42
उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1986 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	43
1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान -अनुदान संख्या 76---सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) (स्वीकृत)	43–90
जनपद हरदोई के पिहानी क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल लगाए जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	90
उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक, 1986 पर विचार करने की अनुमति दिए जाने पर आपत्ति ..	90–95
उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलापों (निवारण) अध्यादेश, 1986 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) विधेयक, 1986 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	96–136
राज्य विद्युत परिषद् में करोड़ों रुपए की हेराफेरी किए जाने के सम्बन्ध में तथा सरकारी अस्पतालों में कोबाल्ट थेरेपी की सुविधा न होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्यों का स्थगन ..	136

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 13 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 10 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	निरोत्तम सिंह, श्री	बदायूं
अच्युतानन्द तिवारी, डा0	गोरखपुर	पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	प्रभुदयाल, प्रधान	मेरठ
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	फूल सिंह सौंदाई, श्री	मुजफ्फरनगर
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	बदन सिंह, श्री	आगरा
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	बलजीत सिंह, श्री	मथुरा
अशोक सेहरा, श्री	आगरा	बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
इकबाल अहमद, श्री	आजमगढ़	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर	बैजनाथ, श्री	देवरिया
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलंदशहर	भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
कुशल पाल सिंह, श्री	मथुरा	भोपाल सिंह, श्री	मेरठ
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
कृष्ण दत्त उर्फ बालराज, श्री	फतेहपुर	मंगल देव, श्री	गोण्डा
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर	मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	गाजियाबाद
जय नारायन शर्मा, श्री	मेरठ	माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
जगवीर सिंह, श्री	अलीगढ़	मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
जनार्दन प्रसाद आभा, श्री	गोरखपुर	मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
जागन सिंह, श्री	रामपुर	मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
तिलक सिंह, श्री	अलीगढ़		
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
नत्थू लाल विकल, श्री	बरेली	रघुवर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	रजनी कान्त दत्त, श्री	वाराणसी
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	रणजीत, श्री	देवरिया
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़

राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ नन्कू)	शाहजहांपुर	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
		सइदुज्जमा, श्री	मुजफ्फरनगर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री	गोण्डा	सरोज वर्मा, श्रीमती	मेरठ
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
राम सजीवन, श्री	बांदा	सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़	सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
विजया लक्ष्मी श्रीमती,	बलिया	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
शारदानंद अंचल, श्री	बलिया		

नोट:—श्री सिन्हे रजी, शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 13 मार्च, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में यांत्रिक और विद्युत सहायक अभियंताओं के रिक्त पद भरे जाने की मांग

**1–श्री कौशिक रमाशंकर, श्री राकेश धर त्रिपाठी तथा श्री श्रीप्रकाश सिंह–

**क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत यांत्रिक और विद्युत सहायक अभियंताओं के कुछ पद रिक्त हैं और क्या पदोन्नति के आधार पर उनको भरने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो किस निश्चित तिथि तक यह पद भर जायेंगे?

पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

जी हां।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अंतर्गत 10 पद सहायक अभियंता (यांत्रिक) व 10 पद सहायक अभियंता (विद्युत) के रिक्त हैं जिन्हें पदोन्नति तथा सीधी भर्ती के आधार पर भरने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

इन पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही प्रगति में है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रोन्नति तथा सीधी भर्ती से नियुक्ति करने का अनुपात क्या है ? क्या इसकी कोई निश्चित निर्धारित नीति शासन के पास है ? यदि हां, तो इसमें देरी का क्या कारण है?

इसी प्रकरण पर मान्यवर, शासन विचार कर रहा है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या अनुपात है, यह बता दें कि सीधी भर्ती और पदोन्नति से भर्ती का क्या अनुपात है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह अनुपात क्या होगा, इस पर शासन विचार कर रहा है।

प्रदेश में अतिरिक्त विधवा पेंशन की योजना पुनः चलाये जाने की मांग

**2–श्री अवधेश प्रसाद (अनुपस्थित)–

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष दिसम्बर 84 में प्रदेश में एक लाख अतिरिक्त विधवा पेंशन की योजना जो चलायी गयी थी और अप्रैल, 85 में बन्द हो गयी, उसके बंद होने का क्या कारण है? क्या सरकार पुनः उन अतिरिक्त विधवाओं को पुनः विधवा पेंशन देने पर विचार करेगी जिनको इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया था ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

जी हां, दिसम्बर, 1984 से एक लाख अतिरिक्त विधवाओं को भरण पोषण की व्यवस्था हेतु सहायता अनुदान योजना न कि पेंशन योजना स्वीकृत की गई थी, वह अप्रैल, 85 में बंद नहीं की गई। प्रश्न नहीं है।

1 दिसम्बर, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक जिन अतिरिक्त विधवाओं को लाभान्वित किया गया उन्हें 1 अप्रैल, 1985 से अग्रेतर अनुदान दिया जा रहा है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

श्री अध्यक्ष–

माननीय मूलचन्द्र जी आपका ध्यान कहां है? इसी में आप रह जाते हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, कभी-कभी यह ऊंचा सुनने लगते हैं।

उप कृषि निदेशक, लखनऊ मंडल द्वारा कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्रेषित रिपोर्ट/संस्तुति पर कृत कार्यवाही

*1–श्री मूल चन्द्र, श्री यदुनाथ सिंह, तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह –

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मंडल के वर्तमान उप कृषि निदेशक ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मंडल के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध लाखों रुपयों की शासकीय हानियां/गबन घोटालों की रिपोर्ट/संस्तुति 84-85 में उच्च स्तर को भेजी है अथवा जिनके विरुद्ध स्वयं कार्यवाही की है, वे कौन-कौन हैं, तथा उन लोगों के विरुद्ध कौन-कौन मामले हैं तथा शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इनके प्रश्न का मैंने विस्तृत उत्तर दे दिया है। मान्यवर, इन्होंने दो पत्र लिखे हैं। एक पत्र में जिस तरीके का प्रश्न है उसके बारे में देखें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, पहले मंत्री जी को प्रश्न का उत्तर पढ़ना चाहिये। पहले जवाब पढ़ दीजिये।

(चौधरी नरेन्द्र सिंह ने मूल प्रश्न का निम्न उत्तर पढ़ा)

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

वर्तमान उप कृषि निदेशक, लखनऊ मंडल ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मंडल के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शासकीय हानियों/गबन घोटालों की रिपोर्ट वर्ष 84-85 में उच्च स्तर को भेजी है अथवा स्वयं कार्यवाही की है उनके नाम निम्नलिखित हैं :–

1–श्री परशुराम सिंह, वर्ग-2, सीतापुर

2–श्री नामवर सिंह, श्रेणी-2, खीरी (सेवा निवृत्त)।

3–श्री तारा सिंह, श्रेणी-2, हरदोई

4–श्री ओम प्रकाश शर्मा, वर्ग-3, उन्नाव

5–श्री जकाउल्ला खां, कनिष्ठ लिपिक, खीरी।

6–श्री रमेश चन्द्र सेंगर, वर्ग-3, हरदोई एवं लखनऊ।

7–श्री हरिवंश सिंह, तत्कालीन परियोजना अधिकारी, रायबरेली।

8–श्री बी0के0 गोयल, तत्कालीन कृषि रक्षा अधिकारी, लखनऊ।

9–श्री सुरेश सिंह, प्रक्षेत्र प्रबंधक, जमुनाबाद खीरी।

उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों तथा कृत कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :–

1–श्री परशुराम सिंह, वर्ग-2, सीतापुर के विरुद्ध रु0 1,63,597, 42 के शासकीय क्षति के संबंध में सी0 सी0ए0 नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

2—श्री नामवर सिंह, श्रेणी-2, के विरुद्ध रु0 2,96,408.00 की शासकीय क्षति के संबंध में सी0एस0आर0 के नियम 351 ए के अंतर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

3—श्री तारा सिंह, श्रेणी-2, हरदोई के कार्यकाल से संबंधित रु0 9,75,504.53 की अनियमितताओं से संबंधित आरोप पत्र दिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

4—श्री ओम प्रकाश शर्मा, वर्ग-3, उन्नाव के विरुद्ध रु0 2,70,976.18 की अनियमितताओं के संबंध में सी0सी0 ए0 नियमों के अन्तर्गत जांच हेतु उप कृषि निदेशक, लखनऊ मंडल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

5—श्री जकाउल्ला खां, कनिष्ठ लिपिक, खीरी के द्वारा रु0 3,262.90 के फर्जी भुगतान के संबंध में उनके वेतन से वसूली करने तथा चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि करने के आदेश उप कृषि निदेशक, लखनऊ द्वारा पारित किये जा चुके हैं।

6—श्री रमेश चन्द्र सेंगर, वर्ग-3, के हरदोई तथा लखनऊ जनपद से संबंधित रु0 2,93,886.62 तथा रु0 3,23,703.32 की अनियमितताओं के मामले में सम्प्रेक्षण रिपोर्ट के आधार पर आरोप पत्र उप कृषि निदेशक, लखनऊ मंडल से तैयार कराया जा रहा है।

7—श्री हरिवंश सिंह, भूतपूर्व परियोजना अधिकारी, रायबरेली के पर्यवेक्षीय दायित्व सम्बन्धी आरोप पत्र पर उप कृषि निदेशक, लखनऊ से कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी जा रही है।

8—श्री बी0 के0 गोयल, भूतपूर्व कृषि रक्षा अधिकारी, लखनऊ के विरुद्ध कृषि रक्षा इकाई, आलमबाग के गबन के मामले में उप कृषि निदेशक, लखनऊ द्वारा भेजे गये आरोप पत्र पर प्रारम्भिक जांच संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन) से कराई जा रही है।

9—श्री सुरेश सिंह, प्रक्षेत्र प्रबंधक, राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, जमुनाबाद (गोला), जनपद खीरी के विरुद्ध आदेशों को न मानने, अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने, प्रक्षेत्र को सुचारु रूप से न चला पाने तथा प्रक्षेत्र पर संभावित होने वाली हानियों के संबंध में कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, द्वारा श्री सिंह की चरित्र पंजिका में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई है।

श्री मूल चन्द—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो मुख्य निदेशक की रिपोर्ट 1985-86 आपको प्राप्त हो चुकी है, जिस पर आपने अभी किसी के खिलाफ जांच की जा रही है, और किसी के खिलाफ जांच नियुक्त की है और किसी के खिलाफ़ जांच हेतु विचाराधीन है, बताया है, तो क्या अब आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्णरूप से समस्त कार्यवाही कितने दिनों में पूरी कर लेंगे और दोषी व्यक्तियों को दंडित करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

इसे जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास किए जायेंगे।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में श्री वी0के0 गोयल के खिलाफ आगरे में 9 लाख रु0 की दवाओं के घोटाले की शिकायत लगभग 12 विधायकों ने की थी। इनके प्रति अब तक हुयी जांच की क्या प्रगति है और उन अधिकारियों के प्रमोशन्स कर दिए गये हैं, क्या उनके प्रमोशन्स रोक कर उन्हें सस्पेंड

करने का कष्ट करेंगे ताकि उनके खिलाफ जांच निष्पक्ष हो सके । दूसरे मान्यवर, यह क्या मा0 मंत्री जी इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री वी0के0 गोयल भूतपूर्व, कृषि रक्षाधिकारी, लखनऊ का मामला हमारे यहां विचाराधीन है, आगरे का तो कोई नहीं है, अगर ऐसी कोई अन्य शिकायत है तो आप लिखकर दे दीजिए ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आगरे से संबंधित शिकायत तो मान्यवर, लिखकर दे दी गयी है और जिन अधिकारियों के खिलाफ 1-1, 2-2 या 3-3 लाख रु0 के गबन की शिकायतें हैं, क्या माननीय मंत्री जी जांच निष्पक्ष हो सके इसीलिए उनको पहले सस्पेंड करने की कृपा करेंगे ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जांच हो जाए, उसके बाद जो जानकारी होगी, उसके अनुसार कार्यवाही हो जायेगी।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इतने गंभीर मामले गबन से संबंधित हैं, जिन पर अभी तक किसी के खिलाफ जांच हो रही है, किसी में जांच तैनात की गयी है और किसी में जांच नियुक्त करने का प्रश्न विचाराधीन है, तो मैं मा0 मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए क्या यह समस्त मामले विजिलेंस को सौंपने का कष्ट करेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट कार्यवाही अभी इसमें तो हो नहीं सकती है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अभी चूंकि यह जांच हो रही है, इसलिए वर्तमान में अभी विजीलेंस से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह शिकायत किसी मामूली नागरिक को नहीं है, हम लोगों की भी यह शिकायत नहीं थी, यह शिकायत वर्तमान उप निदेशक (कृषि) की थी। यह करोड़ों रुपये के घोटाले का मामला है, इसकी रिपोर्ट इनके डिप्टी डायरेक्टर ने ही भेजी। तो मान्यवर, अब तक उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कि यह जो कार्यवाही हो रही है, इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने का प्रयास किया जायगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह करीब तीन करोड़ रुपये के घपले और गबन का मामला है और इसकी जांच की प्रक्रिया एक ही विभाग द्वारा की जा रही है और एक ही विभाग के अधिकारी/कर्मचारी इस घपले में शामिल हैं। मान्यवर, यह जांच विभिन्न स्तरों से जिस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है, उनके पास स्वयं भी इतने काम रहते हैं, जिससे वे व्यस्त रहते हैं । तो मान्यवर, इतने बड़े गबन के मामले को देखते हुए कि जांच शीघ्र हो जाय, क्या माननीय मंत्री जी जनहित में यह जांच विजीलेंस द्वारा कराने की घोषणा करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, विभिन्न स्तरों पर इस संबंध में कार्यवाही हो रही है, इस कार्यवाही के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद अगर जरूरी होगा, तो उस पर विचार कर लेंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अगर जरूरी वाली कौन सी बात है?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच हो रही है। वह जांच मंत्री जी शीघ्र करा लेंगे।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह मामला एक ही विभाग से संबंधित है और इसकी जांच भी उसी विभाग द्वारा की जा रही है। यह माननीय मंत्री जी कोई अनुपयुक्त नहीं होगा, सरकार ऐसा कर सकती है। इसलिए उनको सस्पेंड करके, विजीलेंस से जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इस पर विचार कर लें और इसको देख लें।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, किसी भी भ्रष्टाचार को छिपाने का या किसी भी भ्रष्ट कर्मचारी को संरक्षण देने का कोई प्रयास नहीं है। हम देखेंगे और आवश्यक समझा गया, तो विजलेंस से जरूर जांच करायेंगे।

(घोर व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है। इसे हल्के-फुल्के तरीके से माननीय मंत्री जी ले रहे हैं। इनके लिए यह शोभनीय नहीं है। इसमें एक विभाग के कई कर्मचारियों के खिलाफ एक ही किस्म के चार्जेज हैं। इस मामले का पर्दाफाश करने के लिए जरूर विजीलेंस से जांच करानी चाहिए। आपके अधिकारी किसी न किसी के जरिये, कोई न कोई रिश्ता घुसेड़ कर लीपा-पोती कर देंगे। मान्यवर, इनको सस्पेंड कराइये और इसकी विजीलेंस से जांच कराइये।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो सम्मानित सदस्यों की राय है, जो भावना है, उसको देखते हुए हम बहुत जल्दी से जल्दी इस कार्यवाही को पूरा करायेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो हम जरूर विजिलेंस से इसकी जांच करवायेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को हम बढ़ावा नहीं देंगे और विजिलेंस की जांच के लिए सारे माननीय सदस्यों की भावना है तो यह भ्रष्टाचार को छिपाना है, यह मेरा आरोप है वरना यह जांच कराने को तैयार क्यों नहीं है? आप पहले उसको मुअत्तल करिये और मुअत्तल करने के बाद विजिलेंस से जांच कराइये। माननीय मंत्री जी का इस हेरा-फेरी में पूरा हाथ है वरना आप क्यों नहीं जांच करवाते? जांच करवाने में क्या हर्ज है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मुझे आपत्ति है इस तरीके की बात पर जो सम्मानित नेता विरोधी दल ने कहा। मान्यवर, सम्मानित नेता विरोधी दल जैसे नेता सदन, नेता विरोधी दल दोनों बहुत ही सम्मानित नेता हैं, उनकी अगर ऐसी राय है और वह यह चाहते हैं कि इसकी विजिलेंस से जांच करा दें तो मैं इसकी विजिलेंस से जांच करवा दूंगा।

(व्यवधान)

स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्लीसरीन की खरीद

*2–श्री शतरुद्र प्रकाश, श्री किरन पाल सिंह तथा श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वास्थ्य विभाग में 4 जनवरी, 86 को ग्लीसरीन की खरीदारी का आदेश रद्द कर दिया गया था और उसका कारण क्या था? क्या यह सच है कि माह अक्टूबर, 85 से 4 जनवरी, 86 तक स्वास्थ्य विभाग ने करीब 79 लाख रुपए की ग्लीसरीन की खरीद की ? यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या था और वह किस दर पर किन शर्तों के अधीन खरीदी गयी ?

(स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मूल प्रश्न का उत्तर पढ़े जाने के लिए खड़े होने पर)

श्री भूल चन्द–

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने तो आपका नाम पुकारा था, लेकिन आप थे नहीं, अब इस प्रश्न के बाद आपका प्रश्न ले लेंगे ।

श्री लोक पति त्रिपाठी–

माननीय, सदन समाप्त होने के बाद एक दिन सम्मानित सदस्यों को बुलाकर, कब व्यवस्था का प्रश्न उठता है, क्या नियम हैं, इन बातों का रिफ्रेशर करा दें, तो बड़ी कृपा होगी ।

(स्वास्थ्य मंत्री द्वारा मूल प्रश्न का निम्न उत्तर पढ़ा गया)

जी हां । सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई श्रीमन्त इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकिल्स लिमिटेड, नई दिल्ली को ग्लीसरीन के आपूर्ति के आदेश दिनांक 7-10-1985 को दिए गए थे और माल आपूर्ति हेतु 6 सप्ताह का समय नियमानुसार दिया गया था जो नवम्बर, 1985 तक समाप्त हो गया । उक्त फर्म ने अपने पत्र दिनांक 28-10-85 को आपूर्ति हेतु समय बढ़ाने की मांग की जो स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के पत्र दिनांक 8-11-1985 द्वारा 6 सप्ताह का और समय दिया गया ।

उक्त फर्म ने पुनः आपूर्ति हेतु दिनांक 27-12-85 को और समय बढ़ाने की मांग की जो अस्वीकृत कर दी गयी है । अतः स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा दिनांक 1-1-1986 को ग्लीसरीन आपूर्ति करने के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। माह अक्तूबर 85 से 31-12-1985 तक कुल रु0 7,39,439-80 पै0 की ग्लीसरीन खरीदी गई । खरीदने का उद्देश्य अस्पतालों में आंख, नाक, कान, गले, एनिमा एवं त्वचा इत्यादि की बीमारियों में प्रयोग के लिए था । ग्लीसरीन का क्रय 79 रु0 प्रति 500 एम0 एल0 बोतल की दर से किया गया। मुख्य शर्त नियमानुसार आपूर्ति के निर्धारण मानकों एवं समय के अन्दर माल सप्लाई करना था।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय, क्या यह सच है कि निदेशालय ने अपनी पहले इसकी खरीद पर कोई आपत्ति की थी ? उस आपत्ति के आधार पर 29-9-85 को उद्योग विभाग को अधिसूचना संख्या 42 वी0 द्वारा 450 मिली लीटर की ग्लीसरीन 19.6 रु0 की दर से खरीदने की बात की गयी। आई0 डी0 पी0 एल0 ने जो दर तय की वह 79 रु0 प्रति 500 एम0एल0 बोतल की दर से की । तो, यह 65 रु0 की अधिक दर का क्या विशेष कारण था ? दूसरे, जब 19.6 रु0 की दर से 450 मिली लीटर की दर से ग्लीसरीन मिल रही थी, तो 79 रु0 प्रति बोतल 500 एम0 एल0 को खरीदने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, जो दवा में ग्लीसरीन प्रयुक्त होती है, वह केमिकल ग्लीसरीन नहीं है। यह ग्लीसरीन विदेश से आयातित की जाती है और इसकी जो लागत आयी है, वह सही है। मान्यवर, जो रेट कांट्रेक्ट हुआ, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, 19 रु0 का, वह सही है, लेकिन उसमें केमिकल ग्लीसरीन ही मिल सकती है, आर्गेनिक ग्लीसरीन नहीं मिल सकती।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि आई0 डी0 पी0 एल0 ने यह अनुबंध किया था, आई0 डी0 पी0 एल0 ने कोई प्रार्थना पत्र समय बढ़ाने के लिये दिया था? मैं बताना चाहता हूं, कि वह प्रार्थना पत्र 27-12-85 को दिया गया, जो इनके यहां 3 जनवरी को प्राप्त हुआ। लेकिन, इन्होंने प्रार्थना पत्र मिलने से पूर्व ही 1 जनवरी को इनके आर्डर को रद्द कर दिया गया। इसके क्या कारण थे? दूसरे, जो ग्लीसरीन के रेट में फर्क है करीब 65 रु0 के, इतने अन्तर के क्या कारण हैं? इसके अतिरिक्त क्या इस संबंध में कोई मंत्रि परिषद् का फैसला हुआ था? यदि हां, तो वह फैसला क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मंत्रिपरिषद् का कोई फैसला इस क्रय के संबंध में नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं कि 1981 में मंत्रि-परिषद् का यह फैसला रहा कि दवाएं जो हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से ली जायं। यह घोषणा 1981-82 का बजट पेश करते हुए मैंने भी सदन में की थी। मान्यवर, नियम यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को वरीयता दी जाती है। यदि कोई दवा वहां नहीं बनती हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो अन्य निर्माण इकाइयां हैं उनको वरीयता दी जाती है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और प्रदेश की अन्य दूसरी निर्माण इकाइयां भी उस दवा को नहीं बनाती हैं, तो फिर जो मल्टीनेशनल कम्पनियां हैं, उनसे ली जाती हैं।

मान्यवर, जहां तक समय बढ़ाने की बात है, पहले एक बार माल आपूर्ति हेतु आई0 डी0 पी0 एल0 को 6 सप्ताह का समय दिया गया था। फिर दुबारा 6 सप्ताह का समय दिया गया था। जो 31-12-85 को समाप्त हो गया। उस अवधि तक माल की सप्लाई न आने के कारण विभाग ने 1-1-1986 को वह आदेश निरस्त कर दिया।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, वी0 राज एण्ड कम्पनी के बारे में जो मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं बताना चाहता हूं कि आई0 डी0 पी0 एल0 ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी बल्कि वी0 राज एण्ड कम्पनी ने समय बढ़ाने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आई0 डी0 पी0 एल0 के यह एक अधिकृत स्थानीय विक्रेता हैं।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं एक चिकित्सक होने के नाते माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि अस्पतालों में ग्लिसरीन का इस्तेमाल बहुत कम होता है। यही कारण है कि पिछले दो वर्षों में ग्लिसरीन नहीं मंगायी गयी। इस वर्ष आपने इतनी भारी मात्रा में ग्लीसरीन खरीदा और वह भी महंगी दामों पर। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि नाक, कान और एनीमिया में ग्लिसरीन का बहुत ही कम उपयोग होता है। इसमें आर्डिनरी

ग्लिसरीन से काम चल जाता है तो फिर इतनी महंगी ग्लिसरीन खरीदने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं नहीं समझ पाया कि आर्डिनेरी ग्लिसरीन क्या होता है । माननीय सदस्य की मंशा केमिकल ग्लिसरीन से है । पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट से है, तो क्या वह नाक कान में डाला जाता है? बिल्कुल नहीं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आपका अनुबंध आई0 डी0 पी0 एल0 से था लेकिन आई0 डी0 पी0 एल0 ने आपको सप्लाई नहीं किया तो फिर उसके वितरक को देने का क्या कारण है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, आई0 डी0 पी0 एल0 ने अपने अनुबन्ध में लिखा है कि बी0 राज एण्ड कम्पनी, इनकी स्थानीय विक्रय कम्पनी है। वही आपको ग्लिसरीन देगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहला आई0 डी0 पी0 एल0 के साथ अनुबंध होने के साथ वितरक को भुगतान क्यों किया गया ? वितरक को भुगतान के संबंध में 19 प्रतिशत कमीशन दिया गया। क्या विचौलियों को अनुबंध के बीच लाने की सरकार की कोई नीति है? यदि नहीं, तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसी सदन में बजट पेश करते हुये कहा था कि हम सीधे अनुबन्ध करेंगे । इसके बावजूद भी बी0 राज कम्पनी को 19 प्रतिशत कमीशन देकर भुगतान करने का औचित्य क्या था?

बी0 राज एण्ड कम्पनी ने जो पत्र लिखा था समय बढ़ाने के लिये क्या वह तीन जनवरी उन्नीस सौ छियासी को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो एक दो दिन पहले ही उसके अनुबंध के आदेश को निरस्त क्यों कर दिया गया? यह विभाग को कैसे मालूम पड़ा कि दो दिन बाद जो पत्र आने वाला है उसमें यह लिखा होगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। आई0 डी0 पी0 एल0 की बी0 राज एण्ड कम्पनी एक स्थानीय विक्रेता है । आई0डी0पी0 एल0 को आदेश दिया गया तो उस समय इसकी सप्लाई और भुगतान के बारे में उसने कहा कि बी0 राज एण्ड कम्पनी को ही इसका भुगतान किया जाय । दूसरा, उत्तर में स्पष्ट दिया गया है कि छः सप्ताह का समय और दिया गया । वह समय जब 31 तारीख को पूरा हो गया और उन्होंने माल सप्लाई नहीं किया तो अनुबंध विभाग द्वारा स्वतः ही निरस्त कर दिया गया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह "दैनिक जागरण" में जब खबर छपी है, तब यह मामला हुआ है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

"दैनिक जागरण" में मेरी बीमारी के दौरान छपा था।

31-12-85 तक दूसरा छः सप्ताह का समय था, उसके अंदर माल सप्लाई करना था । 31-12-85 तक माल सप्लाई नहीं किया, इसलिये 1-1-86 को आदेश निरस्त कर दिया विभाग ने ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अभी जितने भी सवाल पूछे गये हैं, उससे ग्लिसरीन की खरीद का ऐसा लग रहा है कि कुछ संदिग्ध मामला प्रतीत होता है और इस खरीद को लेकर तरह-तरह की अफवाहें हैं विधायकों में भी और जनता में भी । मैं अनुरोध

करना चाहता हूं कि क्या वह इस सारे मामले की विजिलेन्स से जांच कराने के लिये तैयार हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

किसकी जांच कराऊं, मन्त्रि-परिषद् के निर्णय की या उत्तर प्रदेश विधान सभा में घोषणा की?

श्री मुलायम सिंह यादव–

खरीद की जांच करायें।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

खरीदी गयी और फिर आदेश निरस्त किया गया। मैंने अनुरोध किया था माननीय नेता, सदन और माननीय नेता, विरोधी दल, इस सदन के प्रतीक होते हैं। माननीय नेता ने कहा है मैं अवश्य इसकी जांच करा देता हूं मुख्य सचिव के द्वारा। किन्तु एक बिन्दु पर जांच कराऊंगा वह बिन्दु है 31-12-85 के बाद क्यों पहली तारीख को आदेश निरस्त किया गया? इसकी जांच मुख्य सचिव से करा लेता हूं।

श्री रघुबर दयाल शर्मा–

जो मन्त्रि-परिषद् का फैसला था कि सार्वजनिक उपक्रमों से आप उसको क्रय करेंगे यानी जो कम्पनियां पैदा करती हैं। यह अनुरोध जो आई0 डी0 पी0 एल0 से किया, जिसमें वी0 राज एण्ड कं0 का नाम आया, सार्वजनिक उपक्रम की पैदा करने वाली कम्पनी नहीं थी; फिर वी0 राज एण्ड कम्पनी से जो अनुबन्ध किया सप्लाई करने का, इससे स्पष्ट हो गया कि यह माल दिल्ली की ऐसी कम्पनियों से खरीदा गया जो इस माल को बनाने के लिए अधिकृत नहीं थीं। क्या इस बिन्दु पर विजिलेंस की जांच सेट-अप करेंगे? आपके इस अनुबन्ध में जो गड़बड़ हुई है, जिसमें सचिव श्याम सूरी साहब लिप्त हैं, जो 81 में मंत्रि परिषद् का फैसला था, उसके विपरीत जाकर वितरक से अनुबन्ध किया?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, आई0 डी0 पी0 एल0 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, उनको मैंने बुलाया था। यह उनका अन्दरूनी प्रबन्ध है, उत्तर प्रदेश को उन्होंने दो जोन्स में बांटा है। एक जोन का मुख्यालय मेरठ में रखा है, एक जोन का मुख्यालय लखनऊ में रखा है। लखनऊ और मेरठ दोनों जोन्स के जो उनके डिपो होल्डर्स हैं, ये कम्पनी के लोग हैं। वी0 राज एण्ड कम्पनी उनकी वितरक हैं मेरठ में भी और लखनऊ में भी। डिपो आई0 डी0 पी0 एल0 की है, वहां से माल सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट को। वे खुद निर्माता नहीं हैं। वह आई0 डी0 पी0 एल0 के ही वितरक हैं। अतएव, इसमें कोई विजिलेंस की जांच का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, क्या सरकार जनहित में दवाओं के दाम सस्ते हों, उनकी खरीद सस्ती दर पर हो, इस बात को देखते हुए अगर स्वयं उत्पादक-कर्ता गिलीसरीन या अन्य दवायें बनाते हैं, क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र से ही इनकी खरीद करेगी? और क्या सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी?

श्री अध्यक्ष–

अब यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, एक सवाल करने का मौका हमको भी दे दें।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं।

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, सूरी बहुत ही बेईमान है इसके खिलाफ बहुत से मामले हैं, इसके संबंध में अवश्य कार्यवाही की जानी चाहिए।

*3–श्री कनक सिंह–

[15वें शुक्रवार में नियम 29(4) के ता0 प्र0 सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े तथा उद्योग शून्य जिले एवं उनके विकास हेतु योजनायें

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े तथा उद्योग शून्य जिले कौन कौन हैं तथा उनके व्यापक विकास हेतु सरकार के पास क्या योजना विचाराधीन है?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, सुल्तानपुर, कानपुर (देहात), चमोली, पौड़ी गढ़वाल, जौनपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बलिया, बस्ती, फैजाबाद, झांसी, ललितपुर, आजमगढ़, बदायूं, बहराइच, बाराबंकी, बुलन्दशहर, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, हरदोई, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, रायबरेली, व उन्नाव तथा दादरी तहसील (जनपद गाजियाबाद) हैं।

उद्योग शून्य जिले बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, सुल्तानपुर, कानपुर (देहात), चमोली, पौड़ीगढ़वाल, टेहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी हैं।

उपरोक्त पिछड़े तथा शून्य उद्योग जनपदों में केन्द्र सरकार की पूंजी उपादान योजना अनुमन्य है। साथ ही सभी पर्वतीय जनपदों में केन्द्रीय परिवहन उपादान भी अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त उद्योग शून्य जनपदों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन व सुदृढ़ीकरण हेतु प्रत्येक जिले के लिए 6-6 करोड़ रुपए अनुमानित लागत से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की परियोजनाएं तैयार की गई हैं, जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति हेतु अनुमोदित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार 2 करोड़ रुपये का अनुदान प्रत्येक जिले के लिए देगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त सभी पिछड़े जिलों व उद्योग शून्य जिलों में औद्योगिक विकास हेतु शासन द्वारा इन जनपदों में उद्योग लगाने हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की विशेष सुविधायें व सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो उद्योग शून्य जिले निर्धारित किये गये हैं तो इसके निर्धारण का क्या मानक है कि कैसे कोई जिला उद्योग शून्य समझा जाता है?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, मापदण्ड यह है कि प्रति व्यक्ति खाद्यान्न/कामर्शियल फसल का उत्पादन अर्थात जिला मुख्यत: खाद्यान्न उत्पादित करता है अथवा नकद फसल। दूसरे कृषि मजदूरों के अनुपात में जिले की जनसंख्या। तीसरे प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन। चौथे प्रति लाख में कारखाने में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या। पांचवां है कि प्रति व्यक्ति विद्युत का उपयोग। छठा है कि जनसंख्या के अनुपात में सड़कें अथवा रेलवे लाइन की लम्बाई। इन्हीं आधारों पर निर्धारण किया जाता है।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि टेहरी गढ़वाल में मुनी की रेती में कोटा की ब्रांच लगने वाली थी इसके लिए वहां पर जमीन भी एक्वायर कर ली गयी थी लेकिन इस बात को काफी समय हो गया है, अब इसकी क्या प्रगति है?

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, यह प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने सूची पढ़कर सुना दी और उसमें रामपुर का भी नाम आया है, इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि रामपुर के लिए कौन सी योजना विचाराधीन है? आपने रामपुर का नाम लिया है।

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, यह शहर नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा। मैंने जिलों की सूची बताई है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह तो प्रश्न टालने की बात हो गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि रामपुर के बारे में क्या योजना है?

श्री अध्यक्ष–

जिले के बारे में पूछना चाहते हैं।

श्री राम औतार दीक्षित–

मान्यवर, रामपुर जनपद में पट्टी कलां में औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पर्वतीय जिलों को ट्रान्सपोर्ट सब्सीडी देने की व्यवस्था की गयी है और जहां पर बहुत ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बहुत अधिक पर्वतीय क्षेत्र में ही सब्सीडी देंगे और जगह से हटा लेंगे?

श्री राम औतार दीक्षित–

अगर माननीय सदस्य इस तरह की सूचना दे देंगे तो इसको देख लिया जायेगा।

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, जो सूची माननीय मंत्री जी की है, वह बहुत पुरानी है, सुलतानपुर जैसे जिले को उद्योग शून्य जिला बताया है, जहां पर उद्योगों की भरमार है। बस्ती में 2–4 मिलें हैं और उनके कारण बस्ती को उद्योग विहीन जिला नहीं दिखाया गया है, तो माननीय मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे? ताकि उद्योग विहीन जिले बस्ती को भी इसमें रखा जा सके।

श्री अध्यक्ष–

अगर बहुत पुरानी है तो उद्योग मंत्री जी को सुझाव दे दें, तो नई बना देंगे।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मानयवर, बदायूं जनपद उद्योग विहीन जिला है, तो क्या वहां पर कोई योजना उद्योग लगाने की है?

श्री अध्यक्ष–

इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री श्याम लाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जालौन में कौन-कौन उद्योग प्रस्तावित हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शून्य जिले का आधार क्या रखा गया है ? सीतापुर एक पिछड़ा जिला है, वहां पर कोई उद्योग नहीं है और सुलतानपुर को उद्योग शून्य में रखा गया है तो सीतापुर को शून्य में न रखने का क्या कारण है? पिछड़े जिलों में जो सुविधा प्रदान की है, कैपिटल सब्सीडी स्कीम की चर्चा की गयी है और समाचार पत्रों में भी मैंने पढ़ा है, उद्योग भी लगाये जायेंगे, तो सीतापुर के लिए कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री राम आंतार दीक्षित–

प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े तथा शून्य जिलों की सूची है, अगर आप आज्ञा दें तो पढ़ कर सुना दूं। 20 पेज की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि वह कौन-कौन जिले हैं, क्या सीतापुर के लिए कोई योजना विचाराधीन है ? मैं सीतापुर के बारे में जानना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय, मंत्री जी के उत्तर से संबंधित जो दूसरा सवाल पूछा था, मूल प्रश्न में है या नहीं है हमारा पहला प्रश्न आपने ग्राह्य कर लिया था और उसी के उत्तर के पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं । मान्यवर, सीतापुर को पिछड़े वर्ग में और सुल्तानपुर को शून्य वर्ग में जो आपने रखा है इसका तुलनात्मक अध्ययन करके अन्तर आप बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह अन्तर तो आप भी जानते हैं।

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, इसमें एक कमेटी बैठी थी सेन्ट्रल में, उसमें नेशनल डेवलपमेन्ट कौन्सिल जो बैठी थी उसकी कार्यकारिणी ने जिन जिलों की 1968 में संस्तुतियां की थी उसका सन् 1980 में फिर पुनरीक्षण किया गया। जैसा कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं उस वक्त सुल्तानपुर जनपद में, जब यह शून्य घोषित किया गया था कोई भी औद्योगिक आस्थान नहीं था ।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गाजियाबाद जिले की तहसील दादरी को उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा घोषित किया गया है तो आगरा जनपद की बाह तहसील जो दस्यु प्रभावित है और उस तहसील के मानकों से भी नीचे हैं, को उद्योग की दृष्टि से पिछड़ा घोषित न करने का क्या कारण है?

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में केन्द्र सरकार ने जनसंख्या के आधार पर, श्रमिकों के आधार पर निर्धारण किया गया था। उस वक्त दादरी तहसील ही इस श्रेणी में आता था, इसलिए उसको घोषित किया गया था।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर ले जाते हुए कि वास्तव में पिछड़े हुए जिले वह है जहां उद्योग और रोज-

गार के अवसर कम है तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने सूचना बताई कि इन-इन आधारों पर उद्योग शून्य या पिछड़ा घोषित किया जाता है तो केन्द्र सरकार को क्या राज्य सरकार पुनः यह संस्तुति देने की कृपा करेगी कि जिन जिलों में औसत से कम रोजगार मिल रहा है उन जिलों को पिछड़ा घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने भारत सरकार को एक संस्तुति इस सम्बन्ध में 29 सितम्बर, 1985 को की है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके संदर्भ में जानना चाहता हूं कि शून्य जिले का निर्धारण केन्द्र सरकार ने सन्दर्भित मामले को देखने पर 1980 में किया और यही कोई 1985 में केन्द्र सरकार का निर्देश आया शासन के पास । तो जो केन्द्र सरकार ने निर्देश दिया है उसके मानक क्या है अगर वह मानकों के परिवर्तन के सम्बन्ध में नहीं है तो क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार को इस बारे में संस्तुति करने की कृपा करेगी कि 5 वर्ष पूर्व जो निर्धारण हुआ है अब उसमें असंतुलन पैदा हो गया है? इसलिए केन्द्र सरकार नये मानकों के आधार पर पुनः शून्य जिलों और पिछड़े जिलों के निर्धारण करने की कृपा करेगी ?

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, इस संदर्भ में आपके माध्यम से मुझे निवेदन करना कि ए बी सी श्रेणी का वर्गीकरण भारत सरकार द्वारा एक अन्तरिम व्यवस्था थी । भारत सरकार में पुनः एन0 सी0 डी0 बी0 ए0 गाइड लाइन्स को कार्यान्वित करने के लिये पुनः विचार किया जा रहा है । राज्य सरकार ने भारत सरकार को यह संस्तुति की है कि इस रिपोर्ट को कार्यान्वित न किया जाय क्योंकि उसके आधार पर केवल 12 विकास केन्द्र इस प्रदेश में हैं जब कि भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार प्रदेश में 42 पिछड़े जिले हैं . . . .

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी खड़े हैं और आप लोग भी खड़े हैं । जवाब दे लेने दें .

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर, राज्य सरकार ने, दिनांक 29 सितम्बर, 1985 को यह संस्तुति की है कि कई एसे जिले हैं जहां केवल इस कारण शून्य उद्योग जिले की श्रेणी में नहीं रखा गया है क्योंकि वहां एक करोड़ लागत की बहुत पुरानी इकाई कार्यरत है । कई मामलों में एसी इकाइयां रुग्ण हो गई हैं । मान्यवर, इस सन्दर्भ में भारत सरकार को पुनः विचार करने के लिये लिखा गया है और इसके लिये वहां पर एक कमेटी भी गठित हो गई है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बहुत इच्छुक हैं कि उनके जिले में, उनके क्षेत्र में उद्योग लगें, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप सब की तरफ से यह कोशिश करें कि जो जीरो ब्लाक्स हैं उनमें उद्योग लगायें ।

बृहस्पतिवार, दिनांक 13 मार्च, 1986 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

*1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

[दि0 13-2-86 के अता0प्र0सं0 29 द्वारा उत्तरित]

टी0 बी0 सेनेटोरियम वृन्दावन, मथुरा में शासकीय शैय्याओं की संख्या बढ़ाये जाने की मांग

*2–श्री सरदार सिंह (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि सरकार टी0 बी0 सेनेटोरियम वृन्दावन, मथुरा में शासकीय शैय्याओं की संख्या 50 से बढ़ा कर 100 करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह शैय्यायें कब तक बढ़ा दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

टी0 बी0 सेनेटोरियम वृन्दावन, मथुरा में शासकीय शैय्याओं की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है किन्तु इस पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रदेश में दलहन उत्पादन में कमी एवं उसका उत्पादन बढ़ाये जाने पर विचार

*3–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जनता को पिछले 20 वर्षों में दलहनों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगातार गिरती चली जा रही है जिससे प्रदेश के नागरिक प्रोटीन कुपोषण के शिकार होते जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार दलहन उत्पादन बढ़ाने के क्या प्रभावी उपाय कर चुकी है तथा उनका क्या परिणाम सामने आया है ? क्या प्रति व्यक्ति प्रोटीन उपलब्धता बढ़ी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के सहयोग से दलहन उत्पादन योजना चल रही है जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में दलहनी उत्पादकता बढ़ी है । परन्तु जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण दलहनों की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धता में कमी आयी है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

श्रीमन् मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम में दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने का सूत्र तो है लेकिन उसमें खाद्यान्न का कोई जिक्र नहीं है। इसके बावजूद क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले 30 वर्षों में प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष उपलबध दलहन की प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है वह लगातार गिरते-गिरते आधे पर आ गई है जिसके कारण नागरिक प्रोटीन कुपोषण के शिकार हो रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि उपलब्धता की कमी है क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि बहुत हो गई है। इसके लिये प्रयास हो रहा है और दलहन की उत्पादकता को बढ़ाया जा रहा है ।इसके लिये बहुत सी सुविधायें भी किसानों को दी जा रही हैं जिनका जिक्र मैंने पिछले बजट में किया था।

श्री समरपाल सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में दालों की उत्पादकता प्रति एकड़ बहुत कम है । क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी योजना बनायें हैं जिससे ऐसे बीजों का अनुसंधान किया जाय जो प्रति एकड़ अच्छी उपज दें?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि सब तरफ से प्रयास हो रहा है। कृषि विश्वविद्यालय भी प्रयास कर रहा है और सरकार की तरफ से भी प्रयास हो रहा है जिससे दालों की उत्पादकता बढ़ाई जाय। यह बहुत आवश्यक है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस समय प्रति व्यक्ति कितनी दाल एक आदमी को पड़ती है और दूसरी बात जो आपने कही कि कोशिश की जा रही है तो क्या कोशिश हो रही है और कौन-कौन से कार्य आप निकट भविष्य में कर रहे हैं जिससे दालों की उत्पादकता बढ़ने की सम्भावना है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सन् 1984-85 में जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार 65 ग्राम प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता थी। पूरे देश में जो उपलब्धता है वह हमारी जानकारी के अनुसार 40 ग्राम है। दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश में उपलब्धता बेहतर है।

मान्यवर, जहां तक प्रयासों का प्रश्न है तो कई प्रकार के प्रयास इसमें किये जा रहे हैं प्रमाणित बीजों पर 2 सौ रु0 प्रति क्विंटल अनुदान दे रहे हैं, कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान दे रहे हैं, उपचार व्यय पर 15 रु0 प्रति हैक्टेयर व्यय की व्यवस्था की है, कृषि रक्षा यंत्रों पर 250 रु0 मूल्य तक सुविधा दे रहे हैं, राइजोरियम कलचर पर भी 50 प्रतिशत अनुदान है, सिंचाई पर जो ग्रीष्मकालीन सिंचाई पर 100 रु0 प्रति हैक्टेयर अनुदान की सुविधा दे रहे हैं, रकवे को भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जैसा मान्यवर, 1985-86 में रकवा 30 लाख हैक्टेयर में उत्पादन 28 लाख मीट्रिक टन था इसमें 1986-87 में 32 लाख हैक्टेयर में इसको करने जा रहे हैं और उमीद है कि 31 लाख मी0 टन दलहन का उत्पादन होगा। तो इस प्रकार कोशिश हो रही है कि दलहन का उत्पादन बढ़ाया जाय।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, सरकार तो यह कह रही है कि बराबर दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने जो लक्ष्य रखा था वह गिर गया 1984 में भी गिरा और 1985 में भी गिरा। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना लक्ष्य आपने रखा था उसकी प्राप्ति में क्या कठिनाई थी जो पूरा नहीं हो सका और आगे उसकी पूर्ति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 1985-86 तो अभी चल रहा है अभी लक्ष्य प्राप्ति के आंकड़े आये नहीं हैं इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कितनी प्राप्ति हुई।

श्री राम नरेश–

1984-85 के बता दें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, जो प्रदेश में कुल दलहन का उत्पादन था उसमें प्रति व्यक्ति उपलब्धता के साथ जोड़ दें तो जो मेरी जानकारी है कि इस प्रदेश में पैदा होने वाली दालों का काफी बड़ा हिस्सा बाहरी प्रदेशों को निर्यात हो जाता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह उनकी जानकारी में है कि जिस दर

से गेहूं और धान का क्षेत्रफल बढ़ रहा है उस दर से दलहन का क्षेत्रफल नहीं बढ़ रहा है। माननीय मंत्री जी ने काफी उपाय उत्पादन को बढ़ाने के बताये इसके बावजूद भी दलहन का जितना उत्पादन बढ़ना चाहिये उसमें सफलता नहीं मिल रही है। तो क्या इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिस तरह गेहूं और धान के लिए कीटनाशक अनुदान दिया जाता है जो दलहन में नहीं दिया जाता है तो क्या उसी तरह की सुविधा और कोई ऐसा प्रोग्राम निर्धारित करेंगे कि दलहन का उत्पादन बढ़ सके?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो प्रयास किये जा रहे हैं उसके नतीजे अच्छे आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, उनके पास और कोई सुझाव हों तो मुझे दे दें, उनको भी देख लिया जायेगा।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देहरादून जनपद में प्रतिवर्ष हजारों मन उर्द की फसल नष्ट हो जाती है। इस वर्ष बरसात से पहले, चूंकि बरसात में बोई जाती है तो उससे पहले कोई उपाय करेंगे जैसे कीटनाशक दवाओं का छिड़काव या मृदा परीक्षण करायेंगे ताकि अच्छी पैदावार हो सके?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने बहुत विस्तार से बताया कि क्या क्या उपाय किये जा रहे हैं जैसे कृषि रक्षा के बारे में कर रहे हैं कीटनाशक दवाओं आदि के अनेक उपाय कर रहे हैं। इसमें अगर देहरादून की कोई विशेष बात है तो उसको मैं दिखवा लूंगा।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में दलहन की इस समय जो स्थिति है उसको देखते हुए क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमी को प्रदेश में कब तक पूरी कर लेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि प्रयास हो रहा है और जैसे इसी वर्ष 30 लाख हेक्टेयर से दलहन का क्षेत्रफल बढ़ाकर 32 लाख हेक्टेयर करेंगे और उत्पादन के लिये भी 85-86 में जो 28 लाख मेट्रिक टन हुआ उसको बढ़ाकर 1986-87 में 31 लाख मेट्रिक टन तक ले जायेंगे। मान्यवर, कमी को कब तक पूरा कर लेंगे इसका अनुमान तो नहीं बता सकते हैं लेकिन इस तरफ प्रयास पूरा हो रहा है।

(प्रश्न सं0 4 पुकारे जाने तथा प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने पर)

श्री मूलचन्द–

मान्यवर, तारांकित प्रश्न सं0 1 को छोड़ दिया है, उसको लें ले।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पुकारा था आपने नहीं सुना तो मैं क्या करूं?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह बैठे थे आपने पुकारा लेकिन वह सुन नहीं पायें, यदि मौका मिल जाये तो इसको लें ले।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

कृषि भवन की पुलिस सी0 आई0 डी0 द्वारा कृषि निदेशालय के उपकृषि निदेशक श्री बदन सिंह के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

*4–कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनु0)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय में कितने ऐसे कृषि उप निदेशक हैं जिनके विरुद्ध उर्वरक में मिलावट करा के किसानों को धोखा

देने के मामले, कृषि भवन की पुलिस/सी0आई0डी0 शाखा द्वारा विगत वर्षों में दायर किये गये ? उनके नाम व पता क्या है तथा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

एसे केवल एक उप कृषि निदेशक हैं। उनका नाम श्री बदन सिंह हैं और वे वर्तमान में उप कृषि निदेशक, फैजाबाद मण्डल के पद पर कार्यरत हैं। इनके विरुद्ध पंजीकृत मामले में विवेचना प्रगति पर है । विवेचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

देवरिया जनपद के सदर अस्पताल तथा अन्य प्राथमिक चिकित्सालयों के लिये व्यय की गयी धनराशि

*5–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 83-84, 84-85 में देवरिया जनपद के सदर अस्पताल तथा अन्य प्राथमिक चिकित्सालयों के लिए शैय्या, गद्दे, चद्दर तथा शल्य चिकित्सा कक्ष के सामानों के लिए कितनी धनराशि के सामान खरीदे गये ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 4 इंच मोटे गद्दे की खरीद के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि खरीद किये गये गद्दों की मोटाई 3 इंच है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 83-84 तथा 84-85 में देवरिया जनपद के सदर अस्पताल तथा अन्य प्राथमिक चिकित्सालयों के लिये क्रमश: रु0 54,067-12 पैसे तथा रु0 61,138-10 पैसे के गद्दे चादर तथा शल्य चिकित्सा कक्ष के लिये सामानों का क्रय किया गया। गद्दों की खरीद के लिए पृथक से टेण्डर आमंत्रित नहीं किये गये बल्कि क्रय उद्योग निदेशक द्वारा निर्धारित दर अनुबन्ध पर किया गया है। गद्दों का क्रय निर्धारित मानक के अनुरूप ही किया गया है। अत: किसी अधिकारी के दोषी होने अथवा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अस्पताल में सामान किस संस्थान से क्रय किये गये ? मेरा आरोप है कि 4 इंच मोटे गद्दे की जगह पर 3 इंच के गद्दे सदर अस्पताल देवरिया में खरीदे गये हैं, क्या इसकी आप जांच करायेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, 4 इंच के गद्दे खरीदे गये जो फीट 6×3 के थे और बच्चों के छोटे गद्दे 4 फीट के 3 इंच मोटे खरीदे गये, वह उद्योग विभाग द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट की दर में खरीदे गये हैं ।

यू0 पी0 स्टेट एग्रो के कर्मचारियों की ई0 पी0 एफ0 की धनराशि एवं अनियमितताओं के विरुद्ध जांच

*6–श्री सिकन्दर अली खां नवाब (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 स्टेट एग्रो के सेवानुभाग (मु0) द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी लगभग 15 लाख रु0 की धनराशि अभी तक ई0 पी0 एफ0 के खाते में न जमा कर प्राइवेट पार्टियों के बिलों का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि को ई0 पी0

एफ0 खाते में शीघ्र जमा करानें और प्राइवेट पार्टियों के बिलों का भुगतान करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कर्मचारी भविष्य निधि में समय से धनराशि न जमा होने के कारण कर्मचारियों को होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

यू0 पी0 एग्रो के सेवानुभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते की वर्ष 1982-83 तक की धनराशि ई0 पी0 एफ0 ट्रस्ट में जमा की जा चुकी है । वर्ष 1983-84 से सितम्बर, 85 तक रु0 13,95,000 कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि की धनराशि काटी गयी है एवं इतनी ही धनराशि निगम के अंश के रूप में जमा होनी चाहिए थी । इस तरह कुल रु0 27,90,000 जमा होना था। इस धनराशि के विरुद्ध फरवरी, 86 तक रु0 13,85,825.24 पैसे की धनराशि जमा की जा चुकी है । ई0 पी0 एफ0 के धन से किसी भी प्राईवेट पार्टी के बिल का भुगतान करने की कोई सूचना नहीं है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी धनराशि रु0 13,95,000 के विरुद्ध रु0 13.85,825.24 पैसा जमा हो चुका है। शेष धनराशि जमा करने के लिए निगम को आदेश दे दिए गये हैं । ई0 पी0 एफ0 के धन से किसी प्राइवेट पार्टी के बिलों का भुगतान करने की कोई सूचना नहीं है ।

इस मामले की जांच की जायेगी ताकि इसके उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सके ।

फर्रुखाबाद में आलू पर आधारित उद्योग स्थापित करने की योजना पर विचार

*7–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक आलू उत्पादक जनपद फर्रुखाबाद में आलू पर आधारित उद्योग स्थापित करने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

आलू पर आधारित बड़े उद्योग के तकनीक के चयन पर विचार किया जा रहा है । फर्रूखाबाद जनपद में कायमगंज स्थित कारखाने के परिसर में एक कुटीर उद्योग पर आधारित आलू का आटा बनाये जाने की इकाई हार्टिको द्वारा संचालित की जा रही है जिसमें वर्तमान फसल में आलू के आटे का उत्पादन किया जा रहा है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने बताया कि बड़े उद्योग के तकनीक के चयन पर विचार किया जा रहा है । तो मैं जानना चाहता हूं कि आलू पर आधारित जो उद्योग के संस्थान हैं उनमें जिस तकनीक के चयन पर विचार किया जा रहा है, उसकी कार्यवाही क्या 1986 तक पूरी हो जायेगी? और दूसरे मैं मंत्री जी से यह

जानना चाहता हूं कि यह जो आलू बनाने वाली इकाई है, उसमें कुल कितनी पूंजी लगी है, इसमें कितने आलू की प्रति दिन खपत होगी और कितने लोगों को काम मिलेगा?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

कितनी पूंजी लगी है, इसकी जानकारी नहीं है, किन्तु कितने आलू की खपत होगी, इस बारे में यह कहना है कि अभी यह बहुत छोटी इकाई है। इसमें कुल मिलाकर वर्ष भर में 2 हजार मी0 टन आलू की खपत होगी। यह एक एक्सपेरीमेंट किया जा रहा है। प्रयास यह है कि इसमें सफलता मिले तो और इसे बढ़ाया जाए। साथ ही दो-तीन उपाय और किये जा रहे हैं, जैसे पोटेंबेल अल्कोहल बनाने के लाइसेंस के लिए हमने भारत सरकार को मूव किया है और उम्मीद है कि जल्दी ही लाइसेंस मिल जाएगा और उसमें एक लाख मी0 टन आलू की खपत होगी। इसके अलावा भी, कामनवेल्थ सेक्रेयटेरिएट की तरफ से भी टीम आई थी, उसने भी सर्वे किया है और पिकअप की तरफ से भी प्रयास हो रहा है। कुछ प्राइवेट फैक्ट्रीज भी इस क्षेत्र में आ रही हैं, जैसे टाइमेक्स स्नेक्स प्रा0 लि0, जिसने बाराबंकी में काम किया है, और गोल्डन क्रिप्स जगदीशपुर इसे पिकअप ने अनुमति दे दी है। इसी तरह बाद्धलर प्रा0 लिमिटेड, साहिबाबाद द्वारा भी कोशिश हो रही है और भी इसी तरह की एक अन्य कम्पनी है, जिसमें 20 हजार टन आलू का उपयोग होगा। तो आप सन् 86 के अंत तक की बात करते हैं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस मामले में सफलता मिले, यह हमारा प्रयास होगा।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मैंने स्पष्ट रूप से फर्रुखाबाद के बारे में प्रश्न पूछा था। यह जनपद प्रदेश में ही नहीं देश में सर्वाधिक आलू पैदा करता है। उसके किसानों का भविष्य आलू के उत्पादन और बिक्री पर ही निर्भर करता है। मंत्री जी ने जगदीशपुर का बता दिया, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद के काश्तकारों की स्थिति सुधारने के लिए फर्रुखाबाद के लिए योजनाएं स्वीकार न करके अन्य स्थानों के लिए स्वीकार करने का क्या कारण है? और फर्रुखाबाद में भी ऐसी बड़ी औद्योगिक इकाई स्थापित करने पर वह विचार करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जो पोटेंबेल अल्कोहल बनाने का कारखाना लगेगा यह फर्रुखाबाद में लगेगा और इसमें एक लाख मी0 टन आलू का कंजम्शन होगा और अपनी अपनी तरफ से लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसको हापुड़ में सुविधा है, हापुड़ में लगाता है। फर्रुखाबाद में आलू बहुत पैदा होता है और वहां के किसानों की मदद हो यह हमारा प्रयास है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फर्रुखाबाद में कुल कितना सरप्लस आलू है, जिसकी व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है और क्या आलू से संबंधित काटेज इंडस्ट्रीज को छोटे-छोटे किसानों के यहां भी लगवाने पर शासन विचार कर रहा है? और सुल्तानपुर में कितना सरप्लस आलू है जो वहां 2 यूनिट लगाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, फर्रुखाबाद में कितना आलू सरप्लस है इसकी जानकारी मुझे इस समय नहीं है। इतना जरूर कह सकता

है कि फर्रुखाबाद में सबसे अधिक आलू प्रदेश में होता है । लगभग 47 प्रतिशत आलू वहां होता है । इसीलिये वहां पर ऐसी यूनिट जिसमें सबसे ज्यादा आलू की खपत होगी, 1 लाख मी0 टन तो उसको फर्रुखाबाद में लगने का प्रस्ताव है ।

श्री गजराज सिंह–

मान्यवर, फर्रुखाबाद के बाद आलू उत्पादन में हापुड़ दूसरे नम्बर पर आता है । तो हापुड़ में कोई उद्योग लगाने की कृपा करेंगे या वहां पर प्राइवेट लोगों को लाइसेंस देने की कृपा करेंगे ताकि वह लोग वहां कारखाना लगा सकें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, अगर हापुड़ में कोई व्यक्ति कारखाना लगाना चाहे तो उनको हमारी तरफ से हर तरीके की मदद की जायेगी।

जनपद बांदा के ला कस्बा नरैनी में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

*8–सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के कस्बा नरैनी में शासन द्वारा महिला चिकित्सालय स्वीकृत है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अस्पताल हेतु किराये के भवन मिलने के बावजूद भी महिला चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हुई ? यदि हां, तो अविलम्ब महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

शासन द्वारा वर्ष 1979 में जनपद बांदा के कस्बा नरैनी में महिला चिकित्सालय स्वीकृत किया गया है ।

किराये के भवन में कार्यरत उक्त महिला चिकित्सालय में महिला चिकित्सक नहीं है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात दो पुरुष डाक्टरों द्वारा महिला चिकित्सालय का कार्य देखा जा रहा है। प्रदेश में महिला चिकित्सकों की कमी के कारण इस अस्पताल में अभी महिला चिकित्सक भेजना संभव नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात दो पुरुष डाक्टरों द्वारा महिला चिकित्सालय का कार्य देखा जा रहा है, तो मान्यवर जब महिला चिकित्सालय में पुरुष डाक्टरों को ही कार्य देखना है तो महिला चिकित्सालय की आवश्यकता क्या है । यह महिला अस्पताल 1979 से खुला है और तहसील मुख्यालय का अस्पताल है, उसके अंतर्गत बहुत से क्षेत्र आते हैं । क्या माननीय मंत्री जी इन सारी चीजों को देखते हुए वहां पर विशेष तौर पर एक महिला डाक्टर की नियुक्ति करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, माननीय सदस्य संभवतः अवगत हैं कि महिला चिकित्सकों की कमी को देखते हुए हर जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी को यह अधिकृत कर दिया गया है कि उस जनपद में अगर कोई महिला चिकित्सक है और प्राइवेट प्रैक्टिस करती है तो उन्हें वह 1500 रु0 माह पर नियुक्त कर लें । आपके जनपद बांदा में अगर महिला चिकित्सक उपलब्ध है तो सी0 एम0 ओ0 से कहकर आप नियुक्त करा लें । आज स्थिति यह है कि महिला चिकित्सकों की कमी है । वह हर जगह पर जाना नहीं चाहती हैं । लगभग 85 प्रतिशत तो इस्तीफा देकर चली जाती हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, जिस तरह से एलोपैथिक अस्पतालों में आयुर्वेद के चिकित्सकों की तृतीय मेडिकल अधिकारी के रूप में नियुक्ति करते हैं क्या उसी तरह से अस्थायी व्यवस्था के रूप में एलोपैथिक अस्पतालों में आयुर्वेदिक महिला चिकित्सकों की नियुक्ति करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह शासन के विचाराधीन है ।

जनपद बरेली में मेडिकल कालेज खोले जाने की मांग

*9–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में मेडिकल कालेज खोले जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । प्रदेश में इस समय 9 मेडिकल कालेजेज कार्यरत है । इन मेडिकल कालेजों से प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होकर निकलने वाले छात्रों की संख्या प्रदेश की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार की यह नीति है कि नए मेडिकल कालेज स्थापित करने की अपेक्षा वर्तमान में कार्यरत मेडिकल कालेजों का सुदृढ़ीकरण किया जाय। शेष प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 दिनेश जौहरी–

बरेली, मुरादाबाद, कुमायूं, गढ़वाल में गाजियाबाद से लेकर लखनऊ तक कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, न कोई मेडिकल कालेज है । मैं जब तक विधायक रहूंगा मेडिकल कालेज की मांग करता रहूंगा । मैं माननीय मंत्री जी से दो आश्वासन चाहूंगा पहला यह कि इस क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था ठीक नहीं है, मरीजों को लखनऊ या दिल्ली भागना पड़ता है, आगे जब भी मेडिकल कालेज खोला जाय, बरेली को प्राथमिकता देंगे । दूसरा इस क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल 5 सौ बेड्स का खोलने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

83-84 में और इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 5 मण्डल ऐसे हैं, जहां मेडिकल कालेज नहीं है, उनमें से दो में अल्मोड़ा और गढ़वाल में श्रीनगर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल का निर्माण हो रहा है, बरेली, मुरादाबाद, फैजाबाद में निर्माण होना है। मुरादाबाद के आदेश हो चुके हैं । बरेली के लिये 83-84 से भूमि का प्रयास हो रहा है । 19 एकड़ भूमि मिल जायेगी तो उच्चीकृत अस्पताल का कार्य वहां प्रारम्भ करा दिया जायगा।

डा0 दिनेश जौहरी–

मैं माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि कोई समय निर्धारित कर दें, एक माह, दो माह की, इसके अंदर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

समय निर्धारित करना मुश्किल है ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक निदेशालय, चांदगंज गार्डेन लखनऊ द्वारा डिमान्स्ट्रेटर्स के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

*10–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, कैन्ट रोड लखनऊ हेतु कुछ डिमान्स्ट्रेटर्स के पदों का विज्ञापन होम्योपैथिक निदेशालय उत्तर प्रदेश 468 चांदगंज गार्डेन लखनऊ द्वारा किया गया था ? क्या यह सच है कि रक्त कालेज

में डिमान्स्ट्रेटर्स के पदों पर तत्काल नियुक्ति की आवश्यकता है ? यदि हां, तो इस हेतु शासन क्या कदम उठा रहा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

कार्यवाही की जा रही है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि विज्ञापन कब निकाला गया और अभी तक चयनित न करने का क्या कारण है तथा कब तक चयनित हो जायेंगे

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इसके आदेश आज कल में होने वाले हैं । 19-11 को साक्षात्कार हुआ था, 29-11 को चयन समिति की संस्तुति शासन को चली गई । हम सोच रहे हैं कि 2-4 रोज में आदेश होने वाले हैं।

राजकीय चिकित्सालयों में सेवारत एवं पंजीकृत फार्मेसिस्टों को शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान

*11–श्री शारदा प्रताप –

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में सेवारत एवं सत्रह माह तक सेवा कालीन प्रशिक्षण प्राप्त पंजीकृत फार्मेसिस्टों को अनुमन्य वेतनमान अभी तक शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है और उन्हें कब तक अनुमन्य वेतनमानों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में सेवारत एवं सत्रह माह का सेवा कालीन प्रशिक्षण प्राप्त पंजीकृत अप्रशिक्षित फार्मेसिस्टों को प्रशिक्षित फार्मेसिस्ट हेतु अनुमन्य वेतनमान स्वीकृत किये जाने के आदेश शासनादेश संख्या 984/5-7-2515/83, दिनांक 4 मार्च, 1986 द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं । अतः शेष प्रश्न नहीं उठते ।

शीतगृहों में आलू भण्डारण का प्रभार निर्धारित किये जाने की मांग

*12–श्री अवधेश प्रसाद –

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शीत गृहों में आलू रखने के लिए शासन द्वारा प्रति बोरी या प्रति कुंटल किराया कितना निर्धारित किया गया और क्या सरकार को जानकारी है कि शीतगृह के मालिक किसानों से कितना किराया वसूलते हैं और इस संबंध में प्रत्येक वर्ष शीतगृह के मालिक अदालत में शासन द्वारा निर्धारित किराये के विरुद्ध रिट दायर कर देते हैं और किसानों से अपने मन मुताबिक किराया वसूलते हैं ? इस तरह प्रदेश के प्रायः सभी जनपदों के किसानों को करोड़ों रुपये शीत गृहों के मालिकों को देना पड़ता है ? यदि हां, तो किसानों को इस शोषण से बचाने के लिए सरकार कोई प्रभावी नीति बनायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह –

वर्ष 1986 के लिए शीतगृहों में आलू भण्डारण का प्रभार निर्धारित किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है ।

जी हां ।

कुछ शीतगृह मालिक शासन द्वारा निर्धारित किराये के विरुद्ध रिट दायर कर देते हैं ।

जी नहीं । गत वर्षों में उन शीतगृहों को छोड़कर जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से अतिरिक्त किराया लेने के अन्तरिम आदेश प्राप्त किये हैं शासन द्वारा निर्धारित प्रभार ही वसूल किया तथा शेष ने

नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 2 रु0 प्रति बोरा अधिक किराया वसूल किया है । माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

कोई भी अवैध धनराशि किसानों द्वारा शीतगृह मालिकों को दिए जाने की सूचना नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम फजलगंज के प्रबन्ध निदेशक, श्रीमती सुनन्दा प्रसाद एवं सामान्य प्रबन्धक श्री चतुर्वेदी के विरुद्ध कथित आरोपों की जांच

*13–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र –

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि फरवरी, 1985 को लोहे के मूल्य में भारी वृद्धि के समय उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम फजलगंज नं0–10 (यू0 पी0 एस0 आई0) की एम0 डी0 श्रीमती सुनन्दा प्रसाद और जनरल मैनेजर श्री चतुर्वेदी ने सरिया, प्लेट, जी0सी0सीट, जी0 पी0 सीट, एच0 आर0 सीट, इंगल, चायनल, ज्वायस्ट आदि बढ़े हुए भाव पर न बेच कर पहले की दर पर विक्रय करके 22 लाख रुपये कमीशन के रूप में प्राप्त किया जिसमें निगम को 50 लाख रुपये की हानि हुई? यदि हां, तो प्रबन्ध निदेशक एवं सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

जी नहीं, निगम को कोई हानि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*14–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

[11वें शुक्रवार में ता0प्र0सं0 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय पशुधन एवं कृषि क्षेत्र आराजी लाइन्स (वाराणसी) का आय-व्यय

*15–श्री राज किशोर सिंह –

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय पशुपालन एवं कृषि क्षेत्र, आराजी लाइन्स वाराणसी के अधीन कितनी एकड़ भूमि है और क्या समस्त भूमि पर पशु-पालन व कृषि का कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो फार्म के कर्मचारियों व दुधारू गायों आदि की संख्या क्या है और कितनी भूमि पर क्रमशः पशुपालन और कृषि का कार्य हो रहा है? फार्म के वार्षिक आय-व्ययक की क्या स्थिति है ?

श्री हुकुम सिंह –

राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र आराजी लाइन्स (वाराणसी) के अधीन 295·57 एकड़ भूमि है । इसमें से 35·07 एकड़ भूमि पर भवन, सड़क, नालियां आदि बनी है तथा 4 एकड़ भूमि पर बाग है । कुल 256·50 एकड़ कृषि कृत्य क्षेत्र पर खेती की जा रही है जिससे प्रक्षेत्र पर रखे जा रहे 227 गोवंशीय पशुओं, 10 कार्यकारी पशुओं तथा 112 सूकर व सूकरियों के लिए हरा व सूखा चारा उत्पादित किया जा रहा है 54 कर्मचारी/अधिकारी प्रक्षेत्र पर कार्यरत हैं। अधिक कार्य के दिनों में दैनिक नियुक्त करके उनसे कृषि व पशुपालन सम्बन्धी कार्य लिया जाता है ।

वार्षिक आय व व्यय की स्थिति निम्न प्रकार है :–

वर्ष	कुल व्यय	कुल आय	परिणाम
(1) 1982–83	4,87,773	5,91,702	(–) 1,03,929
(2) 1983–84	3,95,952	5,86,745	(–) 1,90,793
(3) 1984–85	4,02,905	5,58,099	(–) 1,55,194

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भोजन व्यवस्था

*16–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को भोजन देना बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी –

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है ।

चीफ मेडिकल आफिसर मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन भिनभिनोना व गढ़ी पुख्ता के किराना मर्चेन्ट की दुकानों पर मिलावटी सामान के विरुद्ध दिया गया शिकायती पत्र

*17–अमीर आलम खां–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन भिनभिनोना व गढ़ी पुख्ता के किराना मर्चेन्ट की दुकानों पर मिलावट का सामान बेचा जा रहा है जिसको खाकर जनता बीमार हो रही है? इस संबंध में सेनेट्री इन्सपेक्टर कस्बा व चीफ मेडिकल आफिसर मुजफ्फरनगर को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र जून, 1985 में मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं। जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 1985 में विषाक्त भोजन का कोई भी केस नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का तथाकथित पत्र दिनांक जून, 1985 में प्राप्त नहीं हुआ किन्तु उनसे दूरभाष पर सूचना मिलने पर खाद्य नमूनों को एकत्र करने हेतु कस्बा गढ़ी पुख्ता में खाद्य निरीक्षण का एक दल भेजा गया जिसने 3 नमूने आईस कैन्डी के एकत्र किये उनमें से एक मिलावटी पाया गया।

वर्ष 1985 में कस्बा भिनभिनोना में 5 नमूने धनिया, ठन्डा पेय, बेसन, मैदा व घी के नमूने भरे गये जिसमें एक बेसन का नमूना अशुद्ध घोषित हुआ । वर्ष 1985 में कस्बा थाना भवन में 10 नमूने तेल सरसों, दूध, घी, चाय, आटा व आईस कैन्डी के भरे गये जिसमें 3 अशुद्ध पाये गये। अशुद्ध पाये गये उक्त नमूनों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही संबंधित खाद्य विक्रेताओं के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1985 के अधीन की गई है।

*18–कर्नल केशरी सिंह–

[दि0 27-2-86 को अता0 प्र0 सं0 5 द्वारा उत्तरित]

तहसील फिरोजाबाद में अतिवृष्टि से लाही सरसों की फसल को क्षति

*19–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा और तहसील फिरोजाबाद में क्या सितम्बर व अक्टूबर, 1985 के माहों में हुयी वर्षा से लाही (सरसों) सौहा की किसानों की बोई फसल नष्ट हो गयी है? यदि हां, तो

दुबारा लाही-सरसों सोहा को बोने पर रसायनिक खाद और बीज पर किसानों को अनुदान न दिये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अनुमानतः 15 से 20 प्रतिशत क्षेत्र-फल प्रभावित हुआ।

लाही सरसों के बीज पर शासन द्वारा रु0 200/- प्रति कु0 अनुदान देय है ।

सूखा एवं अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में जिसमें जनपद आगरा शामिल थां, लघु एवं सीमान्त कृषकों को 3 फरवरी, 86 तक उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध रही है ।

*20–श्री यदुनाथ सिंह–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

अतारांकित प्रश्न

तहसील फिरोजाबाद के ग्राम भीकनपुर की श्रीमती विमला देवी का नसबन्दी आपरेशन

1–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की तह0 फिरोजाबाद के ग्राम भीकनपुर, मेघपुर की श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री कायम सिंह का दि0 30 जनवरी, 84 में नसबन्दी आपरेशन हुआ ? यदि हां, तो क्या शासन को जानकारी है कि नसबन्दी के बाद भी दि0 9-10-85 को श्रीमती विमला देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया ? यदि हां, तो शासन ने डाक्टरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, श्रीमती विमला देवी के लिखित कथन दिनांक 4-3-1986 के अनुसार उन्होंने दिनांक 9-10-1984 को, न कि 9-10-85 को एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म आपरेशन के 251 दिन के बाद हुआ है जबकि सामान्यतः 280 दिवस के पश्चात् जन्म होता है। अतएव 29 दिवस गर्भ की जानकारी न तो गर्भवती महिला को ही हो पाती और न इसकी जांच से पता चल पाता है । अतः किसी डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

मेडिकल कालेज, इलाहाबाद में एस0 पी0 एम0 विभाग के डा0 बल्देव राज द्वारा की गई अवैध नियुक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

2–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि स्वरूप रानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, एस0 पी0 एम0 विभाग के प्रोफेसर श्री बल्देव राज ने 1981 में मेडिकल कालेज के अन्तर्गत कार्यरत जसरा एवं शंकरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 12 अवैध एवं अनधिकृत नियुक्तियां की थी जो तत्कालीन माननीय विधान सभा सदस्य श्री मोहन सिंह द्वारा उठाये जाने पर निरस्त कर दी गयी थी? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

डा0 बल्देव राज प्रोफेसर एस0 पी0 एम0 विभाग द्वारा मेडिकल कालेज, इलाहाबाद से सम्बद्ध उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसरा एवं शंकरगढ़ में

जिन चतुर्थ श्रेणी के आठ पदों पर अधिकार क्षेत्र से बाहर नियुक्तियां की गयी थीं वे निरस्त कर दी गयी थीं किन्तु उन सभी कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं और वे कार्य कर रहे हैं। डा0 बल्देव राज को प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद द्वारा भविष्य में ऐसी अनियमितता न करने के लिये सचेत कर दिया गया था।

राजकीय चिकित्सालय, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं मनमानी नियुक्तियों की कार्यवाही

3—श्री चेतराम, श्री विनोद कुमार तथा श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उच्चीकृत राजकीय चिकित्सालय तिलहर, जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा नियुक्तियों में मनमानी की गम्भीर शिकायतें दि0 22-7-85 के हिन्दी दैनिक एक झलक की कटिंग सहित श्री अशोक शर्मा, तत्कालीन प्रान्तीय संयुक्त मंत्री उ0 प्र0 युवक कांग्रेस (इ) बीसूका ने दि0 22-7-85 अथवा इसके आसपास तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी को की थी? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही हुई? क्या जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां । शिकायतों की जांच के लिए सम्बन्धित उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रथम) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। शिकायतकर्ता से जांच अधिकारी से अभी तक सम्पर्क स्थापित नहीं हुआ है? सूचना रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी गई थी। जांचोपरान्त उचित कार्यवाही करना सम्भव होगा।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैतालपुर, जनपद देवरिया द्वारा दी जाने वाली सी0 एच0 जी0 की ट्रेनिंग

4—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैतालपुर, जनपद देवरिया द्वारा सी0 एच0 जी0 के अन्तिम बैच की ट्रेनिंग नियमानुसार हुई थी? यदि हां, तो इसकी सूचना नियमानुसार समय से पूर्व विभागीय अधिकारियों को क्यों नहीं दी गई ? क्या इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दाइयों का प्रशिक्षण विकास क्षेत्र के बाहर की महिलाओं को दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त दोनों प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच करवायेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

भोगनीपुर तहसील, कानपुर देहात जनपद में जंगली गायों द्वारा फसलों को भारी क्षति

5—श्री राधेश्याम—

क्या पशुधन मंत्री को यह जानकारी है कि कानपुर देहात जनपद की भोगनीपुर तह0 में आवारा जंगली गायों द्वारा काश्तकारों की फसलों को भारी क्षति उठानी पड़ती है? क्या काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र माननीय मंत्री जी को इस आशय के प्राप्त हुए हैं कि इन गायों से फसलों की सुरक्षा की जाय? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

जी हां।

विभाग द्वारा भारत सरकार से केन्द्रीय पशु पकड़ दल भेजने हेतु अनुरोध किया गया तथा निरन्तर प्रयास करने के उपरान्त उक्त पशु पकड़ दल दिनांक 27-2-86 को कानपुर देहात जनपद में आया और सम्बन्धित क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। चूंकि स्थानीय कृषकों ने अपनी खड़ी फसल को हानि से बचाने के लिये फसल कट जाने के उपरान्त जंगली गायों को पकड़ने हेतु अनुरोध किया है ।

6–श्री सिकन्दर अली खां नवाब तथा डा0 विनोद कुमार–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राजकीय चिकित्सालय, गुरसहायगंज, जनपद फर्रुखाबाद के भवन का पुनर्निर्माण

7–श्री महरम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के टाउन क्षेत्र गुरसहायगंज के राजकीय चिकित्सालय भवन की हालत खराब हो जाने के कारण अतिशीघ्र नवीन भवन का निर्माण कराने तथा चिकित्सालय का उच्चीकरण कराने पर विचार करेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

राजकीय चिकित्सालयों के भवन निर्माण का विषय जिला सेक्टर का विषय है और जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति इस पर विचार करती है। राजकीय चिकित्सालय, गुरसहायगंज के भवन की मरम्मत के लिये वित्तीय एवं प्रशासनिक आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस चिकित्सालय के उच्चीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोपागंज, जनपद आजमगढ़ के श्री राम वृक्ष पाण्डेय एवं श्री सुधाकर पाण्डेय के विरुद्ध लगाये गये आरोप

8–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम वृक्ष पाण्डेय, फार्मेसिस्ट एवं श्री सुधाकर पाण्डेय, लिपिक, प्रा0 स्वा0 केन्द्र कोपागंज, जनपद आजमगढ़ नियुक्ति तिथि से अब तक उक्त केन्द्र पर कार्यरत हैं तथा तमाम भ्रष्टाचार के शिकायती-पत्रों के आधार पर जांचोपरान्त आरोप सिद्ध होने के पश्चात् भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों कर्मचारियों का स्थानान्तरण जनहित में करने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं, श्री राम वृक्ष पाण्डेय, फार्मेसिस्ट विभाग में वर्ष 1955 में नियुक्त किये गये थे और वर्ष 1959 से वह प्रश्नगत केन्द्र पर कार्यरत हैं। इसी प्रकार श्री सुधाकर पाण्डेय, लिपिक विभाग में वर्ष 1965 में नियुक्त किये गये थे और वह वर्ष 1968 से प्रश्नगत केन्द्र पर कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठते हैं।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष राष्ट्रीय छात्र संगठन, जनपद पीलीभीत के श्री लक्ष्मी नन्द शर्मा के पत्र पर कृत कार्यवाही

9–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लक्ष्मी नन्द शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष

राष्ट्रीय छात्र संघ कां0 (इ) जनपद पीलीभीत द्वारा मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिसम्बर, 85 में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। ललित हरि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत में नियमित प्राचार्य की नियुक्ति की गयी थी परन्तु उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत के उप निदेशक डा0 बरनवाल के आश्वासन पर कृत कार्यवाही

10–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उप निदेशक (आयुर्वेद) डा0 बरनवाल द्वारा आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत में प्राचार्य पद पर नियुक्ति हेतु लिखित आश्वासन 24 जनवरी, 85 को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

लोक सेवा आयोग द्वारा नियमित चयन के आधार पर श्री दिनकर गोविन्द थत्ते की प्राचार्य पद पर नियुक्ति की गयी किन्तु उन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

खाद्य निरीक्षक, खाद्य सचल दल नैनीताल के श्री बसन्त कुमार बहुगुणा के स्थानान्तरण आदेशों की जांच

11–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या स्वाथ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री बसन्त कुमार बहुगुणा, तत्कालीन खाद्य निरीक्षक, खाद्य सचल दल नैनीताल के स्थानान्तरण रोकने के सम्बन्ध में श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी का दिनांक 24 अगस्त, 1985 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या स्वास्थ्य मंत्री जी ने उपरोक्त पत्र के उत्तर में दिनांक 30 अगस्त, 1985 को श्री बहुगुणा जी को सूचित किया था कि उन्होंने सम्बन्धित अधिकारी को स्थानान्तरण आदेश रोकने के लिए कह दिया है? यदि हां, तो श्री बहुगुणा के स्थानान्तरण संबंधित अधिकारी ने क्यों निरस्त नहीं किये हैं और इसका क्या कारण है तथा क्या संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आदेशों का अनुपालन न किये जाने के बारे में कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

बसन्त कुमार बहुगुणा, खाद्य निरीक्षक को सामयिक रूप से कार्य संचालनार्थ ही खाद्य सचल दल कुमायूं मण्डल नैनीताल में तैनाती की गई थी । अन्यथा खाद्य सचल दल में खाद्य निरीक्षकों की तैनाती की नीति ''वरिष्ठता एवं उपयुक्तता'' निर्धारित है। इसी नीति के अनुसरण में ही उक्त खाद्य सचल दल के प्रश्नगत पद पर एक अन्य खाद्य निरीक्षक की तैनाती की गई और श्री बसन्त कुमार बहुगुणा की तैनाती खाद्य सचल दल में किया जा सकना संभव नहीं हो सका । इसके लिये कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

विद्या विनोदनी उत्तीर्ण सिस्टर की पदोन्नति किये जाने की मांग

12–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्या विनोदनी उत्तीर्ण योग्यता रखने वाली सिस्टर जिनकी सेवायें 14-19 वर्ष

हो चुकी हैं को भी अभी तक सहायक मैट्रन के पद पर पदोन्नत न करने का क्या कारण है? क्या सरकार तत्काल इनकी पदोन्नति करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मामला शासन के विचाराधीन है।

13–श्री सत्यपाल सिंह–

[दिनांक 27-2-86 को अता0 प्र0 सं0 43 द्वारा उत्तरित]

शाहपुर जनपद सीतापुर में सबसिडी हेल्थ सेन्टर का निर्माण कार्य

14–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहपुर जनपद सीतापुर में सबसिडी हेल्थ सेन्टर का निर्माण अब तक नहीं हो सका जबकि कार्य स्वीकृत हुए लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1986–87 में पूर्ण होने की संभावना है।

डा0 अब्दुल रऊफ खान के निलम्बन के अवशेष वेतन का भुगतान

15–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 311 दि0 3-8-85 को जो सचिव स्वास्थ्य विभाग को सम्बोधित था, शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या डा0 अब्दुल रऊफ खान के निलम्बन के अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 311 दिनांकित 2-8-85 शासन को प्राप्त हुआ है। हकीम अब्दुल रऊफ खां की निलम्बन अवधि कालेज के शासन द्वारा प्रान्तीयकरण से पूर्व की है और इस अवधि की कालेजों की देनदारियों के भुगतान के बारे में निर्णय लिया जाना है जिस पर प्रश्नगत अवशेष वेतन भुगतान निर्भर होगा।

मत्स्य बीज वितरण केन्द्र अरतौनी, जिला आगरा में मत्स्य बीजों का अभाव

16–श्री विजय सिंह राणा–

वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र के 2रे सोम के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0-66 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में मत्स्य बीज वितरण केन्द्र अरतौनी पर अत्यधिक सीपेज के कारण मत्स्य बीज पैदा नहीं हो सकता? यदि हां, तो ग्राम समाज द्वारा मत्स्य विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की गई भूमि को पुनः ग्राम समाज को वापस करेंगे? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्तमान में सीपेज के कारण मत्स्य बीज पैदा नहीं हो पा रहा है।

जी नहीं। सीपेज की रोकथाम के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

17–श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र–

[दिनांक 12-3-86 को अता0 प्र0 सं0 49 द्वारा उत्तरित]

18–श्री सत्य पाल सिंह–

[दिनांक 27-2-86 को अता0 प्र0 सं0 18 द्वारा उत्तरित]

19–श्री राज किशोर सिंह–

[दिनांक 6-3-86 को ता0 प्र0 सं0 15 द्वारा उत्तरित]

जनपद चिकित्सालय बलिया में चिकित्सक का रिक्त पद भरे जाने की मांग

20–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद चिकित्सालय बलिया में स्वीकृत दो कार्य चिकित्सकों के पद महीनों से रिक्त रहने का क्या कारण है? यदि हां, तो इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद चिकित्सालय बलिया में कार्य चिकित्सक का केवल एक पद है। यह पद तत्कालीन फिजीशियन के स्थानान्तरण के कारण रिक्त था। 22-2-86 से उक्त पद पर फिजीशियन कार्यरत है।

जिला उद्योग केन्द्रों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमिततायें

21–श्री राम सरन–

क्या उद्योग मंत्री को ज्ञात है कि सरकार की ऐसी नीति है कि जिन जिला उद्योग केन्द्रों पर मैनेजर ग्राम उद्योग नियुक्त हैं उनसे विकास कार्य न करा-कर कनिष्ठ कर्मचारियों से कराया जा रहा है? क्या शासन द्वारा इन कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रशासनिक तथा वित्तीय अधिकार दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह प्रशासनिक तथा वित्तीय अनियमितता नहीं है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ऐसी कोई नीति नहीं है कि मैनेजर ग्रामोद्योग से विकास कार्य न कराया जाय ।

केवल अलीगढ़ व बुलन्दशहर में प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) के वित्तीय अधिकारों पर खादी बोर्ड द्वारा प्रतिबन्ध लगाया गया है क्योंकि उनके विरुद्ध वित्तीय तथा अन्य प्रकार की शिकायतें थीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मांट उच्चीकृत अस्पताल, जनपद मथुरा में डाक्टर व स्टाफ

22–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट, जनपद मथुरा में उच्चीकृत अस्पताल कब से चालू हुआ? अब तक उसमें कितने डाक्टरों की नियुक्ति की गयी है? क्या आवश्यकतानुसार यहां डाक्टरों का स्टाफ है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह उच्चीकृत अस्पताल अप्रैल, 1982 में स्थापित हुआ था। बालरोग विशेषज्ञ जून, 83 से अक्टूबर, 85 तक कार्यरत रहे। सर्जन की नियुक्ति 6-1-86 को कर दी गई है। स्त्री-रोग विशेषज्ञ का पद महिला डाक्टरों की कमी के कारण रिक्त है। डाक्टरों की कमी के कारण सभी पद को भरना सम्भव नहीं हो सका है। वैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टर उच्चीकृत अस्पताल में भी काम करते रहे हैं।

मांट उच्चीकृत अस्पताल, जनपद मथुरा में भर्ती किये जाने वाले मरीजों का विवरण

23–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मांट उच्चीकृत अस्पताल, जनपद मथुरा में वर्ष 1985 में प्रतिमाह अब तक कितने मरीज भर्ती हुए हैं? यदि हां, तो प्रतिमाह कितने मरीज भर्ती किये गये, कितने मरीजों

को दवाइयां दी गयीं? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

वर्ष 1985 में अन्तः रोगी विभाग में 21 मरीज भर्ती हुए। इनका माह विवरण निम्नवत् है :–

जनवरी, 1985	एक
फरवरी, 1985	शून्य
मार्च, 1985	शून्य
अप्रैल, 1985	छः
मई, 1985	नौ
जून, 1985	चार
जुलाई, 1985	एक

माह अगस्त, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक कोई मरीज भर्ती नहीं हुआ। बाह्यरोगी विभाग में 1039 मरीजों को देखा गया ।

अन्तःरोगी विभाग में भर्ती किये गये एवं वाह्यरोगी विभाग में देखे गये कुल 1060 रोगियों को दवाइयां भी दी गयीं ।

मांट उच्चीकृत अस्पताल, जनपद मथुरा पर व्यय की गयी धनराशि

24–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 12 नवम्बर, 82 से मांट उच्चीकृत अस्पताल, जनपद मथुरा पर दवाइयों व स्टेशनरी पर प्रतिवर्ष कोई धनराशि खर्च की गई है? यदि हां, तो कितना खर्च प्रतिमाह में किया गया है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार उच्चीकृत प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र मांट, मथुरा पर दिनाक 12 नवम्बर, 1982 से स्टेशनरी एवं दवाइयों के व्यय का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	स्टेशनरी	दवायें
1	2	3
82-83	शून्य	शून्य
83-84	1079-66	4933-66
84-85	2108-85	शून्य
85-86	702-00	शून्य
योग :	3890-51	4933-66

आवश्यकतानुसार दवाइयों की पूर्ति समीपस्थ प्रा0 स्व0 केन्द्र से कर दी गयी है।

जनपद फर्रुखाबाद के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बिल्डिंग कार्य, बिलों का भुगतान तथा कार्य हेतु मांगे गये टेन्डर

25–श्रीमती राम नन्दिनी वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 83-84 में प्रशासनिक अधिकारी जिला चिकित्सालय फतेहगढ़, फर्रुखाबाद श्री भगवान दास द्वारा चिकित्सालय बिल्डिंग कन्नौज, गुरुसहायगंज, छिबरामऊ, महिला चिकित्सालय फतेहगढ़ व फर्रुखाबाद का बिल्डिंग कार्य बगैर पूर्ण कराये हुए सरकारी पैसा आहरित कर लाखों रुपये का गबन कर लिया गया है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1983-84 में जनपद फर्रुखाबाद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कन्नौज, गुरूसहायगंज, छिबरामऊ तथा महिला च्जिकित्सालय फतेहगढ़ तथा फरुखाबाद के भवनों के कार्य विभागीय जूनियर इंजी-

नियर द्वारा तैयार किये गये आंगणन पर निदेशालय के अधिशासी अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त कर औपचारिकताओं की पूर्ति करने के उपरान्त ठेकेदारों के माध्यम से कराये गये थे । ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य को संतोषजनक पाये जाने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत बिलों का विभागीय जूनियर इंजीनियर द्वारा सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही बिलों का भुगतान किया गया है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

26–श्रीमती राम नन्दिनी वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के सभी सरकारी चिकित्सालयों में वर्ष 82-83 व 83-84 में प्रशासनिक अधिकारी जिला चिकित्सालय फर्रुखाबाद श्री भगवान दास द्वारा बगैर टेंडर कराये हुए कोटेशन पर लाखों रुपये का बिल्डिंग कार्य कराया गया ? यदि नहीं, तो उक्त प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बिल्डिंग कार्य क्या और किस आदेश से कराया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में जनपद फर्रूखाबाद के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों के भवनों का कार्य विभागीय इंजीनियर द्वारा प्रेषित आगणन पर निदेशालय के अधिशासी अभियन्ता का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त विभिन्न तिथियों में टेन्डर मांगने तथा प्राप्त टेन्डरों में से निम्नतम दरों के ठेकेदारों से जमानत राशि जमा कराकर तथा एग्रीमेन्ट निष्पादित कराने के उपरान्त ही कराये गये हैं । इसके अतिरिक्त चिकित्सालयों के भवनों के छुटपुट मरम्मत कार्य के अतिरिक्त रंगाई पुताई का कार्य विभागीय जूनियर इंजीनियर के निर्देशानुसार कोटेशन प्राप्त करके तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही कराये गये हैं।

जिला चिकित्सालय, जनपद सुल्तानपुर में दूध व फल के ठेके में बरती जा रही अनियमितताएं

27–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय जनपद सुल्तानपुर में मरीजों को दूध व फल देने का ठेका किस व्यक्ति को दिया गया है तथा प्रतिमाह उस पर कितना व्यय हो रहा है तथा प्रत्येक मरीज को कितनी मात्रा में उक्त पदार्थ दिया जाता है? क्या यह सच है कि फल एवं दूध मरीजों को न देकर ठेकेदारों से मिली भगत करके धन का अपहरण सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्तमान वित्तीय वर्ष 1985-86 में दूध व फल देने का ठेका क्रमशः श्री मोहम्मद अली व श्री मोहम्मद लतीफ को दिया गया है। प्रतिमाह निम्न व्यय हो रहा है:–

माह	दूध	फल
अप्रैल, 1985	रु0 8171.60	रु0 843.35
मई, 1985	रु0 9691.55	रु0 1669.00
जून, 1985	रु0 8922.85	रु0 2222.75
जुलाई, 1985	रु0 8575.30	रु0 2181.50
अगस्त, 1985	रु0 7799.15	रु0 954.75

माह	दूध	फल
सितम्बर, 1985	रु0 8479·84	रु0 1339·25
अक्टूबर, 1985	रु0 2893·26	रु0 79·35
नवम्बर, 1985	रु0 999·92	शून्य
दिसम्बर, 1985	रु0 1177·60	शून्य
जनवरी, 1986	रु0 1647·16	शून्य

प्रत्येक मरीज को उक्त पदार्थ नहीं दिये जाते हैं अपितु असहाय गरीब एवं जरूरतमंद रोगी को चिकित्सक की संस्तुति पर मरीज के स्वास्थ्य को देखते हुए दिये जाते हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

बी0 एच0 डब्लू0 (महिला) प्रशिक्षण, लखनऊ हेतु किये गये चयन में धांधली

28–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे **कि लखनऊ में बी0एच0डब्लू0 (महिला)** प्रशिक्षण सत्र जुलाई, 85 हेतु किये गये चयन में घपले की शिकायतों की जांच- **परान्त दोषी पाये जाने के बावजूद भी अब** तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो कब तक की जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है उसका परीक्षण किया जा रहा है। दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो, उ0 प्र0 कार्यालय में सहायकों का स्थानान्तरण एवं पुनः समायोजन

29–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो उ0 प्र0 कार्यालय में कुछ विशेष सहायकों को ही हेर-फेर करके पुनः उसी सीट पर बैठा दिया जाता है? यदि हां, तो क्या उनके नाम पद एवं कब कब पुनः उसी सीट पर बैठाया गया सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो के कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्यतः परिवार कल्याण ब्यूरो के विभिन्न अनुभागों में कार्य की महत्ता एवं कर्मचारी की दक्षता एवं क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। यह सही है कि कतिपय सहायकों को पुनः उनके पूर्व पद से स्थानान्तरण के पश्चात पुनः उन्हीं पदों पर समायोजित किया गया है। जहां तक उन कर्मचारियों के नाम, पद एवं कब-कब उन्हें उसी सीट पर बैठाया गया, का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का प्रश्न है, इस संबंध में पूर्ण स्थिति की जानकारी हेतु मामले में छान-बीन कराई जा रही है।

भूमि संरक्षण अधिकारी गोमती बाढ़ नियन्त्रण योजना प्रतापगढ़ द्वारा की गयी रुपयों की धांधली की जांच

30–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 85 में भूमि संरक्षण अधिकारी गोमती बाढ़ नियन्त्रण योजना प्रतापगढ़ ने मान्धाता ब्लाक के सराय ताराचन्द्र गांव में बिना तालाब खोदे लगभग बीस हजार रुपये हड़प लिया है जिसकी जांच

परगनाधिकारी सदर ने की है? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री संगम लाल शुक्ल, भूतपूर्व विधायक, प्रतापगढ़ की शिकायत पर परगनाधिकारी सदर प्रतापगढ़ के द्वारा ग्राम सभा कहला, ग्राम सराय ताराचन्द्र में भूमि संरक्षण अधिकारी, गोमती बाढ़ नियंत्रण योजना, प्रतापगढ़ के द्वारा तालाब न खोदे जाने के बावजूद धनराशि निकाल कर भुगतान किए जाने की जांच की गई। जांच में यह निष्कर्ष निकला कि मौके पर केवल 288 घन फिट तालाब खोदने का कार्य हुआ है परन्तु मेजरमेंट बुक में गलत माप दिखाकर 5,645·50 घन मीटर का कार्य दिखाकर रु0 20,072 का भुगतान किया गया जबकि भुगतान रु0 12,702·37 पैसे का होना चाहिए था। इस गम्भीर अनियमितता के लिए जिला अधिकारी प्रतापगढ़ को दिनांक 27-9-85 को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपचारी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध संबंधित थाने में अपराधिक कृत्य के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर फौजदारी के मुकदमें की कार्यवाही करें। संबंधित तत्कालीन भूमि संरक्षण अधिकारी श्री मनीन्द्र लाल श्रीवास्तव को शासन के आदेश दिनांक 4-10-85 द्वारा निलम्बित कर दिया गया है एवं सी0 सी0 ए0 नियमों के अन्तर्गत जांच के लिए श्री एम0 के0 सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन) को जो इस समय निदेशक (जल प्रबंध) भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र रहमान खेड़ा के पद पर कार्यरत हैं को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। सम्बन्धित अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में 11-12-85 को शासन द्वारा कृषि निदेशक को निर्देश दिये गये हैं कि वे उन्हें निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करें।

रफी मेमोरियल चिकित्सालय जनपद बाराबंकी में कार्यरत डाक्टरों की आवास-व्यवस्था

31–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के रफी मेमोरियल चिकित्सालय में इस समय कुल कितने डाक्टर कार्यरत हैं तथा इनमें से कितने ऐसे हैं जो बाराबंकी में न रहकर रोज लखनऊ से आते जाते हैं ? क्या शासन द्वारा इस प्रकार की छूट दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

रफी मेमोरियल चिकित्सालय बाराबंकी में इस समय कुल 16 डाक्टर कार्यरत हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी चिकित्साधिकारी बाराबंकी में रहते हैं। शासन ने किसी भी चिकित्साधिकारी को लखनऊ में आने-जाने की स्वीकृति नहीं दी है।

32-33–श्री फसीउर्रहमान–

[दि0 27·2·86 के अता0 प्र0 सं0 133–134 द्वारा उत्तरित]

जनपद पिथौरागढ़ में अस्थाई स्वास्थ्य प्रचार हेतु लगाए गये स्वास्थ्य शिविर

34–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत वह कौन-कौन से स्थान हैं जहां लगने वाले मेलों में मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत अस्थाई स्वास्थ्य प्रचार का कार्य करने हेतु शिविर लगवाते हैं? इन स्थानों के चयन के मानक क्या हैं? विगत 5 वित्तीय वर्षों में इन स्थानों पर अस्थाई कैम्प हेतु कुल कितनी धनराशि रखी गई थी ? कितनी खर्च की गई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जनपद पिथौरागढ़ में प्रश्नगत अस्थाई स्वास्थ्य प्रचार हेतु स्वास्थ्य शिविर नही लगाए जाते है ।

शेष प्रश्न नही उठते ।

जनपद पिथौरागढ़ में जौलजीवी नामक स्थान पर कथित एलोपैथिक अस्थाई शिविर या प्रचार केन्द्र खोलने का निर्णय

35–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वित्तीय वर्ष 83-84 से 85-86 तक के लिये जौलजीवी नामक स्थान में एलोपैथिक अस्थाई शिविर अस्पताल या प्रचार केन्द्र खोलने व खर्च करने का कार्यभार किन-किन अधिकारियों को दिया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्नगत अस्थायी शिविर, अस्पताल या प्रचार केन्द्र खोले ही नहीं गये ।

शेष प्रश्न नहीं उठते ।

जनपद पिथौरागढ़ में उ0 प्र0 हैण्डलूम कपड़ों की बिक्री एवं उससे अर्जित लाभ

36–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में उ0 प्र0 हैण्डलूम के कपड़ों की बिक्री हेतु दुकान किन-किन मानकों को ध्यान में रखकर खोली है इसमें मूल पूंजी कितनी थी ? विगत दो वित्तीय वर्ष में इसके द्वारा कुल कितनी शुद्ध आय/लाभ अर्जन किया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ में उ0 प्र0 हैण्डलूम के कपड़ों के बिक्री केन्द्र की स्थापना नवम्बर, 1984 में की गई है । यह स्थापना उक्त क्षेत्र में बिक्री की सम्भावनाओं, बिक्री केन्द्र की स्थिति एवं स्थापना में होने वाले व्यय आदि मानकों को ध्यान में रखकर की गयी है ।

इस बिक्री केन्द्र की स्थापना में कपड़े के रूप में लगभग चार लाख रुपये की पूंजी लगी है । इस विक्रय केन्द्र का मासिक किराया रु0 600 प्रतिमाह है ।

बिक्री केन्द्र की स्थापना से अर्थात नवनवम्बर, 1984 से दिसम्बर, 1985 तक कुल बिक्री पर अनुमानतः रु0 64,500 का लाभ अर्जित किया गया ।

जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर के प्रबन्धक श्री के0 सी0 निगम के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

37–श्री राम सजीवन–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र हमीरपुर के तत्कालीन प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) श्री के0 सी0 निगम के विरुद्ध 25 नवम्बर, 82 से अक्तुबर, 83 तक के बीच श्री शिवरतन लाल सक्सेना डी/28 राजकीय कालोनी हमीरपुर व कामरेड रामफल पाठक आदि ने तथा तत्कालीन विधायक श्री मुंशी लाल मैनपुरी, श्री विशनलाल, बिजनौर, ,ी शिरोमणि, शिवनरेश मिश्र, श्री रामेश्वर प्रसाद, बांदा, श्री प्रताप नारायण दुबे, हमीरपुर श्री जगदीश नारायण शर्मा, फतेहपुर एवं विधान परिषद् सदस्य श्री शिव प्रताप सिंह व श्री राम सजीवन सिंह आदि ने शिकायती पत्र प्रशासक उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ व निदेशक उद्योग कानपुर और शासन को भेजे थे? यदि हां, तो क्या तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) हमीरपुर श्री बी0 पी0 सिंह ने उनकी जांच की थी और जांच रिपोर्ट दि0 17-12-82 को प्रशासक उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ

एवं निदेशक उद्योग कानपुर को भेज दी थी? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जांच अधिकारी ने दिनांक 24-12-82 को पुनः स्मृति पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

38–श्री राम सजीवन–

[दिनांक 13-2-86 को अता0 प्र0 सं0 54-55 द्वारा उत्तरित]

श्रीमती पी0 इमरसन, संयुक्त निदेशक (उपचारिका) की नर्सिंग डिप्लोमा एवं सेवा पुस्तिका में आयु भिन्नता

39–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती पी0 इमरसन, संयुक्त निदेशक (उपचारिका) की नर्सिंग डिप्लोमा में दी गई आयु एवं सेवा पुस्तिका में दी गई आयु में एक वर्ष का अन्तर है ?यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि श्रीमती पी0 इमरसन, संयुक्त निदेशक (उपचारिका) की उक्त पद पर पदोन्नति के समय शासन को आयु की भिन्नता के संबंध में अवगत कराया गया? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, राजकीय सेवा में किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि की प्रविष्टि सामान्यतः हाई स्कूल के प्रमाणपत्र के आधार पर की जाती है, तद्नुसार श्रीमती पी0 इमरसन की सेवा पुस्तिका में उनकी जन्मतिथि 12-5-1928 अंकित की गई है । चयन के समय उनकी आयु की भिन्नता के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (चिकित्सा) द्वारा की गयी थी । जांच आख्या में राजपत्रित एवं अराजपत्रित सेवाकालों की सेवा पुस्तिकाओं में एक ही जन्मतिथि अंकित होने के प्रमाण पर वही जन्म तिथि, जो हाई स्कूल प्रमाणपत्र के अनुकूल थी, अन्ततः स्वीकार की गई ।

श्री आई0 सी0 भटनागर एवं श्री जे0 पी0 नारायण कनिष्ठ अधिकारी चुनार की पदोन्नतियां

40–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री इन्द्र मोहन मिश्र, कल्याण अधिकारी, चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री, चुनार के कनिष्ठ अधिकारी श्री आई0 सी0 भटनागर तथा श्री जे0 पी0 नारायण की पदोन्नति वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी पद पर कर दी गयी है? यदि हां, तो आधार क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। श्री आई0 सी0 भटनागर तथा श्री जे0 पी0 नारायण की पदोन्नति क्रमशः वर्ष 1975 तथा वर्ष 1977 में की गयी थी।

पदोन्नति का आधार केवल वरिष्ठता ही नहीं अपितु कार्यकुशलता एवं योग्यता भी है।

श्री जर्नादन प्रसाद श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी डाला सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा कर्मचारियों के जलपान तथा भोजन हेतु फर्जी भुगतान

41–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 81-82 तथा 82-83 में डाला सीमेन्ट फैक्ट्री में हुई हड़ताल की अवधि में कर्मचारियों के जलपान तथा भोजन हेतु एक लाख सत्तर हजार रुपए श्री

जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा फर्जी भुगतान किया गया है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, सीमेन्ट निगम ने इसकी जांच हेतु आदेश दिया था फिर भी भुगतान कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता।

42–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रभारी कार्मिक अधिकारी के पद पर चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री, चुनार, मिर्जापुर में कब से कार्यरत हैं तथा उक्त पद के लिए वांछित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव न होने के बाद भी श्री श्रीवास्तव के उक्त पद पर बने रहने का क्या औचित्य है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री जनार्दन प्रसाद श्रीवास्तव ने प्रशासनिक अधिकारी के पद पर चुनार सीमेन्ट फैक्ट्री में दिनांक 20 जुलाई, 1984 को कार्यभार ग्रहण किया था। वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के दिनांक 14-10-85 से अवकाश पर चले जाने के उपरान्त अन्तरिम व्यवस्था के रूप में श्री श्रीवास्तव को कार्मिक अनुभाग का कार्य भी दिया गया है। यद्यपि श्री श्रीवास्तव के पास वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी के पद के लिये वांछित शैक्षिक योग्यता नहीं है किन्तु कार्य के हित में उक्त प्रबन्ध केवल अन्तरिम व्यवस्था के रूप में किया गया।

उ0 प्र0 सीमेन्ट निगम में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पद पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्णय

43–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 82-83 में उ0 प्र0 सीमेन्ट निगम में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या यह भी सत्य है कि उक्त पद पर डा0 शैलेन्द्र कुमार सिंह, आयुर्वेदाचार्य को नियुक्ति कर ली गयी है ? यदि हां, तो होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पद पर आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी की नियुक्ति का औचित्य क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 1982-83 में सीमेन्ट निगम में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी पद पर कोई साक्षात्कार नहीं किया गया और न ही नियुक्ति की गयी।

उक्त अवधि में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी का कोई पद नहीं था। जी नहीं। डा0 शैलेन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) के पद पर की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज लखनऊ में डिमांस्ट्रेटर पद हेतु किये जाने वाले साक्षात्कार का निर्णय

44–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ मंत्री कृपया बतायेंगे कि नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज,

लखनऊ में 1979 से रिक्त डिमांस्ट्रेटर पद पर नियुक्ति हेतु 19 नवम्बर, 85 को साक्षात्कार निरस्त कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारों का साक्षात्कार

45–श्री राम सजीवन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी हेतु सितम्बर एवं अक्तूबर, 85 में साक्षात्कार निदेशालय, होम्योपैथिक में लिया गया था?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां।

बी0 एस-सी0 बायलोजी व होम्योपैथिक होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी का साक्षात्कार नियुक्ति एवं उसका आधार

46–श्री राम सजीवन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 एस-सी0 बायलोजी व होम्योपैथिक सर्टिफिकेट में जिन डाक्टरों का 50 फीसदी से ऊपर परीक्षा-फल था, उनका चयन नहीं किया गया और कम नम्बर वालों का चयन करके नियुक्ति कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार किया गया है । चयन प्रक्रिया गोपनीय है अतः इसके मापदण्ड को घोषित किया जाना जन-हित में नहीं है।

चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथ हेतु डाक्टरों का साक्षात्कार एवं नियुक्तियां

47–श्री राम सजीवन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक डाक्टरों का साक्षात्कार, चिकित्सा अधिकारी होम्यो-पैथ के लिए जो लिया गया उसमें कितने बायलाजी से बी0 एस-सी0 थे और परीक्षा-फल उनका 50 फीसदी से ऊपर रहा है? यदि हां, तो उसमें से कितनों की नियुक्तियां की गयी हैं? क्या सरकार पूरी लिस्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

साक्षात्कार हेतु बुलाए गये अभ्यर्थियों में से कुल 147 अभ्यर्थी बायलोजी से बी0एस0सी0 थे एवं तत्सम्बन्धी परीक्षा-फल का कोई आधार निर्धारित चयन प्रक्रिया में नहीं था। चयनित अभ्यर्थि-यों को नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं अतः सूची सदन के पटल पर रखे जाने का औचित्य नहीं है।

जनपद नैनीताल, में मेसर्स बेलवाल स्पिनिंग मिल की उत्पादन क्षमता एवं प्राप्त धनराशि

48–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में बेलवाल स्पिनिंग मिल के द्वारा वर्तमान में कुल कितनी धनराशि का उत्पादन हो रहा है? उ0 प्र0 सरकार को इस फैक्ट्री से किन-किन स्त्रोतों से क्रमशः कुल कितना राजस्व मिल रहा है ? इस फैक्ट्री में पूरी उत्पादन क्षमता कितनी है? पूरी उत्पादन क्षमता से उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद नैनीताल स्थित मेसर्स बेलवाल स्पिनिंग मिल द्वारा वर्तमान में 5 हजार

किलोग्राम धागा प्रतिदिन की दर से लगभग रुपये 1.5 लाख मूल्य का उत्पादन हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस मिल से लगभग 6 लाख रुपये विद्युत चार्जेज के रूप में प्राप्त हुआ है। मिल की पूरी उत्पादन क्षमता 8,500 किलोग्राम धागा प्रति दिन है। वर्ष 1987 के अन्त तक मिले के पूर्ण उत्पादन क्षमता में आने की सम्भावना है।

जनपद नैनीताल लालकुआं में स्थित सैंचुअरी पेपर मिल की वर्तमान उत्पादन क्षमता

49—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में लालकुआं में स्थित सैंचुअरी पेपर मिल का वर्तमान में कुल कितना कागज उत्पादन हो रहा है? उ0प्र0 सरकार को इस मिल से किन-किन स्त्रोतों से क्रमशः कुल कितना राजस्व मिल रहा है? इस पेपर मिल में पूरी उत्पादन क्षमता कितनी है? पूरी-पूरी उत्पादन क्षमता से उत्पादन कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

50—श्री काशी सिंह ऐरी—

[दिनांक 11-3-86 को अता0 प्र0 सं0 173 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में 1984—85 में जातिवार नसबंदी का प्रतिशत

51—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 84—85 में नसबंदी का कितना लक्ष्य निर्धारित था, उसमें कितना पूरा हुआ अब तक कितनी प्रतिशत नसबन्दी हिन्दुओं की की गई कितनी प्रतिशत मुसलमानों की की गई? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1984—85 के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए 7.00 लाख नसबन्दी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लक्ष्यों के विपरीत उक्त अवधि में 3,20,721 नसबन्दी आपरेशन हुए। विगत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुओं एवं मुसलमानों द्वारा कराये गये नसबन्दी आपरेशन का प्रतिशत निम्न है:—

वर्ष	हिन्दू	मुसलमान
1982-83	85.95	5.29
1983-84	86.78	6.99
1984-85	85.96	6.14

चूंकि जातिवार उपलब्धियों का विवरण वर्ष के अन्त में संकलित किया जाता है, अतः वर्ष 1985—86 की जातिवार सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बलिया में औद्योगिक आस्थान के लिये ली गयी भूमि पर खेती से कथित आय

52—श्री मैनेजर सिंह तथा श्री विक्रमादित्य पाण्डे—

क्या सरकार को ज्ञात है कि माधोपुर (रसड़ा) जनपद बलिया के औद्योगिक आस्थान (इंडस्ट्रियल स्टेट) के लिए ली गयी भूमि पर खेती हो रही है? यदि हां, तो खेती से प्रतिवर्ष कितनी-कितनी आय हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के कतिपय गांवों में चिकित्सालय खोलने का निर्णय

53—श्री राम नाथ मूंशी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गाजीपुर में ग्राम सिरगीथा, ब्लाक

देवकली, ग्राम मौंधियां, ब्लाक मनिहारी ग्राम कनेरी, ब्लाक सादात तथा ग्राम चाड़ीपुर, ब्लाक देवकली में चिकित्सालय खोलने के प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त चिकित्सालय कब तक स्थापित किए जायेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, आपने पहले व्यवस्था दी कि जो सदस्य नहीं होंगे या जो नहीं उठेंगे उनके प्रश्न बाद में पूछे जायेंगे, उसके बाद मान्यवर, आप नत्थी 'ख' पर लौट आये। मेरा 11 नम्बर का सवाल था, वह रह गया, इतना महत्वपूर्ण सवाल था। मैं स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता था। क्योंकि उन्होंने देर से हमारे प्रश्न के सन्दर्भ में शासनादेश जारी किया है। मान्यवर; नेता, विरोधी दल के अनुरोध पर आपने व्यवस्था बदल दी। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप जो व्यवस्था दें, कम से कम उस पर स्टैण्ड तो करें।

श्री अध्यक्ष–

यह मेरा अधिकार है। वह सदन में बैठे थे, उन्होंने सुना नहीं। आप तशरीफ रखें।

उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत मैं सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1986 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 3 मार्च, 1986 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 मार्च, 1986 को वापस प्राप्त हो गया।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) तथा अनुदान संख्या–77 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से...

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, क्या परम्परा हो गई है कि राज्य स्तर के मंत्री ही बजट पेश करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

काफी होशियार हो गए हैं न।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,04,57,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,58,71,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(इस समय 11 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री लाल प्रताप सिंह पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैंने जो बजट वस्तुत किया है, उसके संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 294.4 लाख हैक्टेयर है, एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें कृषि योग्य क्षेत्र 203 लाख हैक्टेयर, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 172 लाख हैक्टेयर तथा कुल बोया गया क्षेत्र 247 लाख हैक्टेयर है। इस राज्य की आर्थिक उन्नति खाद्यान्न उत्पादन पर आधारित है जो स्वयं उन्नतिशील बीज, उर्वरक, सिंचाई तथा कीटनाशक पदार्थ तथा आवश्यक संरचना पर निर्भर है । इन सबमें सिंचाई सुविधा प्रमुख है तथा इस कारण राज्य योजना में इसका स्थान अग्रणी है । प्रदेश में सतही जल के मुख्य स्रोत गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा, शारदा, सोन, व गोमती आदि नदियां हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि 137 लाख हेक्टेयर वार्षिक सींच संभव हो सकती है । इसके अतिरिक्त भूगर्भ जल से लगभग 120 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई हेतु जल उपलब्ध है ।

इस प्रकार अभी तक अनुमान के अनुसार राज्य में कुल 257 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई हेतु जल उपलब्ध है। इस प्रकार वर्तमान अनुमान के अनुसार सम्पूर्ण प्रदेश में औसत 150 प्रतिशत सिंचाई सघनता की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है ।

माननीय, योजना काल के पूर्व पूर्वी यमुना नहर, आगरा नहर, ऊपरी एवं निचली गंगानहर, बेतवा, केन एवं शारदा नहरों से राज्य में सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी तथा उस समय तक वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं से लगभग 25.53 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की जा सकी थी । सिंचाई में शीघ्रातिशीघ्र वृद्धि करने की शासन की नीति के फलस्वरूप छठीं योजना के अन्त तक यह सिंचन क्षमता बढ़कर 68.09 लाख हेक्टेयर हो गई है । इसी प्रकार राजकीय लघु सिंचाई के अन्तर्गत योजना काल के पूर्व की सिंचन क्षमता 3.14 लाख हेक्टेयर थी जो छठी योजना के अन्त तक बढ़कर 34.04 लाख हेक्टेयर हो गई है ।

माननीय, इस प्रकार छठी योजना के अन्त तक राजकीय सिंचाई साधनों से कुल 102.13 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई है जो कि कुल उपलब्ध सिंचन क्षमता का लगभग 40 प्रतिशत है । इस प्रकार अभी भी 60 प्रतिशत जल स्रोत को सिंचाई हेतु प्रयोग में लाने के लिए परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है । माननीय, इस प्रकार जो साधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उसको अभी 60 फीसदी और बढ़ाना है। सरकार प्रदेश के हित में राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा सुदृढ़ करने के लिए शेष उपलब्ध जल से सिंचाई के विकास पर अधिकतम बल दे रही है ।

माननीय, वर्तमान में विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रथम योजना के पूर्व सिंचाई कार्य मुख्यत: राज्य के पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र तथा बुन्देलखण्ड के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थे । स्वतंत्रता के पश्चात् पहाड़ी व पूर्वी क्षेत्रों के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रदेश में सिंचाई कार्य प्रारम्भ किए गए ताकि राज्य के सभी भागों में अधिकाधिक विकास हो सके ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय, मंत्री जी अपने बजट भाषण को पढ़ रहे हैं । इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय और कटौती का प्रस्ताव आप रखवा लीजिए ।

श्री अधिष्ठाता–

वे आंकड़े देख सकते हैं। आप बैठें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप चाहें तो देख लें यह पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं खाली आंकड़े देख रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी आप बैठें। मंत्री जी आंकड़े तो देख ही सकते हैं।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, छठी योजना काल के अन्त तक शुद्ध बोये गये क्षेत्र का पहाड़ी क्षेत्र में 25.7 प्रतिशत, पश्चिमी क्षेत्र में 57.4 प्रतिशत, मध्यवर्ती क्षेत्र में 61.5 प्रतिशत, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 36.9 प्रतिशत व पूर्वी क्षेत्र में 70 प्रतिशत क्षेत्र को राजकीय साधनों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मान्यवर, यह पूरा का पूरा पढ़े जा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

वे आंकड़े देख रहे हैं।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, देश में वृहत एवं मध्यम परियोजनाओं द्वारा सिंचन क्षमता के सृजन का अन्तिम अनुमानित लक्ष्य 584 लाख हेक्टेयर में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा 125 लाख हेक्टेयर आता है, जो कि देश का लगभग 21 प्रतिशत है। छठी योजना काल के अन्त तक 68.09 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन हुआ जो देश के इस अवधि के लक्ष्य 310 लाख हेक्टेयर का लगभग 22 प्रतिशत है। माननीय, इस प्रकार हमने 310 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के अगेनस्ट 22 प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा ली। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये माननीय, उत्तर प्रदेश ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है जो सिंचन क्षमता के विकास के लिये निर्धारित था। उत्तर प्रदेश की बृहद एवं मध्यम परियोजनाओं द्वारा छठी याजना अवधि में 924 करोड़ रुपये का व्यय हुआ तथा 7.81 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित हुई। सप्तम पंचवर्षीय योजना काल में 138.6 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है जिससे 6.97 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन अनुमानित है। वर्ष 1985-86 में इन परियोजनाओं हेतु 185.10 करोड़ रुपये का प्राविधान है। जिससे तीस हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जा रहा है। वर्ष 1985-86 में मध्य गंगानहर परियोजना के अन्तर्गत गंगा नदी पर बैराज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा मुख्य नहर में पानी छोड़कर उसका परीक्षण किया गया है, जिससे बारह हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। मध्य गंगा बैराज पर बना पुल अक्टूबर, 1985 में यातायात के लिये खोल दिया गया है जिससे मुजफ्फरनगर एवं बिजनौर नगर सीधे एक दूसरे से जुड़ गये हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के दौंगरी, खपरार एवं रोंहिणी बांध परियोजनाओं के आवश्यक कार्य पूर्ण करके परियोजनाओं को चालू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कई अन्य परियोजनाओं का कार्य अन्तिम चरणों में है। हरिद्वार में इस वर्ष हो रहे कुम्भ में काफी महत्वपूर्ण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा सम्पन्न कराये जा रहे हैं। इन कार्यों में

पुराने घाटों का पुनरुद्धार हरिद्वार कनखल में नये घाटों का निर्माण, महिलाओं के लिये नये घाटों का निर्माण, देखभाल के लिये वाच टावरों का निर्माण एवं घाटों पर बिजली की व्यवस्था करना सम्मिलित है। इस प्रकार कुल लगभग सत्तर लाख रुपये का कार्य संपादित किये गये हैं। वर्ष 1986-87 में वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं हेतु 205 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जिससे अट्ठावन हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन का लक्ष्य है। प्रदेश की वार्षिक योजना का कुल प्राविधान बढ़ाकर 2150 करोड़ रुपये की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा हो गई है। जिससे वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के लिये 205 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि उपलब्ध हो सकेगी जिससे अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन भी हो सकेगा। प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में शारदा सहायक नहर, गंडक नहर, सरजू नहर, मेजाबाद की क्षमता वृद्धि, कनहर सिंचाई, नरायणपुर पम्प नहर की क्षमता वृद्धि, जमानिया पम्प नहर की क्षमता वृद्धि, सोन पम्प नहर, देवकली पम्प की क्षमता वृद्धि एवं ज्ञानपुर पम्प नहर, वृहद परियोजनाओं तथा अन्य मध्यम परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें से कुछ परियोजनाओं से अन्तरिम लाभ प्राप्त करके सिंचाई प्रारम्भ की जा चुकी है। मध्यम परियोजनाओं में से बेलन, बकहर, व्यावर्तन, बकहर मड़ियन, पोषक नहर, ढेंकवा बांध, धोदा पम्प नहर, सरयू पम्प नहर परियोजनाओं पर इस वर्ष कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य है। मध्य क्षेत्र में शारदा सहायक नहर एवं सुहेली वृहद सिंचाई परियोजनायें तथा कई मध्यम परियोजनाओं पर कार्य निर्माणाधीन है। सुहेली तथा अलीगंज परियोजनाओं से अन्तरिम लाभ लेकर सिंचाई प्रारम्भ हो चुकी है। उमर हट पम्प नहर परियोजना पर इस वर्ष कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राज घाट बांध, शहजाद बांध, मोदहाबाद एवं उर्मिल बांध परियोजनाओं पर तथा कई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य निर्माणाधीन है। इनमें से सजनम बांध परियोजना एवं आँगासी पम्प नहर परियोजना से अंतरिम लाभ लेकर सिंचाई प्रारम्भ हो चुकी है। इस वर्ष सजनम बांध परियोजना को पूर्ण करने का भी प्रस्ताव है। पश्चिमी क्षेत्र में विश्व बैंक पोषित ऊपर गंगा नहर का आधुनिकीकरण, मध्य गंगा नहर परियोजना, पूर्वी गंगा नहर परियोजना, ओखला बैराज का निर्माण, माधो टाण्डा सिंचाई परियोजना, बेदर पोषक नहर परियोजना, भीमगोडा हैडवर्क्स का पुनरुद्धार एवं कई मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य निर्माणाधीन है। इनमें से माधो टाण्डा नहर परियोजना से अन्तरिम लाभ लेकर सिंचाई प्रारम्भ कर दी गई है तथा इस वर्ष इस परियोजना को पूर्ण करने का प्रस्ताव है।

पर्वतीय क्षेत्र में टिहरी बांध, लखवाड़-व्यासी बांध, कोसी सिंचाई परियाजनाओं आदि का निर्माण कार्य चालू रहेगा तथा किशाऊ बांध व जमरानी बांध के द्वितीय चरण पर प्रारम्भिक कार्य किये जायेंगे।

टिहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर ऊंचे बांध व कुल 2000 मेगावाट क्षमता के दो भूगर्भीय विद्युत गृहों का निर्माण

किया जा रहा है। प्रथम चरण के अन्तर्गत एक हजार मेगावाट पावर हाउस का ही निर्माण कराया जा रहा है। इसके पूर्ण होने के बाद द्वितीय चरण में दूसरा भूगर्भीय विद्युत-गृह एक हजार मेगावाट का और बनाया जायगा जिसमें पम्प टरबाइन लगाई जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना से 2.7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचन सुविधा मिल सकेगी। इस वृहत परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के लिये प्रदेश शासन इस बात के लिए बराबर प्रयास कर रहा है कि इस परियोजना का निर्माण भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाय। इस परियोजना के लिये भारत सरकार के माध्यम से विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप परियोजना के कार्यों में प्रगति बढ़ेगी।

इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण अंग पुनर्वास कार्य है। प्रभावित ग्रामीण कृषकों एवं भूमिहीन कृषि परिवारों को पुनर्वास हेतु भूमि अथवा उदार दरों पर प्रतिकर एवं अनुग्रह अनुदान दिया जा रहा है। पुनर्वास स्थल पर आवंटित भूमि को खेती योग्य बनाकर दिया गया है तथा उन स्थलों पर सड़क, बिजली, पीने का पानी, अस्पताल, डाकघर, पशु-धन केन्द्र, पंचायतघर एवं सिंचाई आदि की सुविधायें दी जा रही हैं। टेहरी नगर के निवासियों को मकानों के प्रतिकर एवं अनुग्रह अनुदान के साथ-साथ नये टिहरी नगर में बसाया जा रहा है जहां उन्हें मकान बनवाने के लिये भूस्थल तथा आवश्यक सुविधायें दी जायेंगी।

लखवाड़ व्यासी बहुउद्देश्यीय परियोजना के अन्तर्गत यमुना नदी पर 192 मीटर ऊंचा कंकरीट बांध लखवाड़ के पास तथा 80 मीटर ऊंचा कंकरीट बांध व्यासी के पास बनाया जायगा। इस परियोजना से 50,00 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी। परियोजना के अन्तर्गत आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर (संरचना) के सृजन के अतिरिक्त डाइवर्जन सुरंगों का निर्माण कार्य कर लिया गया है। इस परियोजना के कार्यों को भी शीघ्र पर्यावरण मंत्रालय से अनुमोदन होने पर तीव्र गति से चलाया जा सकेगा।

किशाऊ बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना के अन्तर्गत टोंस नदी पर 253 मीटर ऊंचा बांध तथा 600 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृह का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना से 2.71 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह एक अन्तर्प्रदेशीय योजना है और इस पर प्रारम्भिक कार्य चालू है।

शारदा सहायक परियोजना से मध्य एवं पूर्वी क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। शारदा सहायक कमाण्ड में जल मग्न क्षेत्र में राहत देने के लिए नालों की व्यवस्था करके सुधार किया गया जिससे समादेश क्षेत्र में काफी क्षेत्र को राहत मिली तथा जलरोध समस्या का निदान हो रहा है। समादेश क्षेत्र में लगभग 8000 कि0 मी0 नालों का निर्माण किया जा चुका है। नालों को द्रुतगति से बनाने के लिये पोकलेन मशीनों का प्रबन्ध किया गया है। दो मशीनों से कार्य किया जा रहा है तथा तीन नई अतिरिक्त मशीनें भी इस कार्य पर लगाई जा रही हैं। परियोजना से अभी तक 13.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित हुआ है, जिसमें से वर्तमान में केवल 6300

हैक्टेयर क्षेत्र ही जल प्लावित है जो कि न के बराबर है। सीपेज की समस्या के निदान हेतु फीडर नहर व दरियाबाद शाखा की लाइनिंग करने का निर्णय लिया गया है तथा इस पर कार्य किया जायगा। इस कार्य के पूरे होने से समादेश क्षेत्र में सीपेज की समस्या से पूर्ण रूप से राहत मिल जायगी।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप इतने समय से देख रहे हैं कि जो माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, पूरे का पूरा लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मंत्री जी आंकड़े पढ़ना चाहते हैं तो आंकड़े ले सकते हैं लेकिन मंत्री जी तो जो बोल रहे हैं इसकी पूरी भाषा लिखी हुई है उसी को ये पढ़ रहे हैं। तो मान्यवर, या तो आप इसको पढ़ा हुआ मान लें, नहीं तो फिर मंत्री जी से कहें कि कम से कम संसदीय परम्परा की गरिमा को बनाये रहें और उसके प्रतिकूल काम न करें और लिखा हुआ पूरा भाषण खड़े होकर न पढ़ें।

श्री अधिष्ठाता–

यह कैसे हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट के बारे में या सिंचन क्षमता के बारे में जब मंत्री जी बोलेंगे तो कैसे सब याद रह सकता है? उसे तो देखना ही पड़ेगा।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मंत्री जी बहुत परेशान हैं, इनका भाषण आप पढ़ा हुआ मान लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मंत्री जी बिलकुल परेशान नहीं हैं, इन्हें पानी की आवश्यकता है, वह मान्यवर, इन्हें सुलभ करा दें।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय मंत्री जी लिखा हुआ भाषण पढ़ना तो चाहते थे लेकिन वह पढ़ने के बजाय रो रहे हैं तो इसका क्या फायदा?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, सरयू नहर परियोजना से बहराइच, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर जनपदों के भाग लाभान्वित होंगे। इस समय राजकीय सिंचाई साधनों के द्वारा बहराइच गोंडा तथा बस्ती जनपदों में वर्तमान सिंचन क्षमता क्रमशः 14 प्रतिशत, 14.5 प्रतिशत तथा 20.6 प्रतिशत है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने के बाद इन जनपदों के समादेश क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचन क्षमता क्रमशः 63 प्रतिशत, 123 प्रतिशत एवं 106 प्रतिशत हो जायेगी। परियोजना क्षेत्र में सम्भावित जल प्लावन की समस्या को दूर करने हेतु इस परियोजना के अन्तर्गत 1000 आगमेन्टेशन नलकूपों के निर्माण प्रस्तावित है जिसके फलस्वरूप रबी की फसल में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। निकासी हेतु प्रस्तावित नालों का निर्माण नहरों के निर्माण के साथ ही करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त जलप्लावन को कम करने हेतु यथेष्ठ मात्रा में यूकीलिप्टस और पोपलर के पेड़ों का वृक्षारोपण किया जायेगा। इस वृक्षारोपण से भू-जल का स्तर नीचे हो सकेगा तथा क्षेत्र में अतिरिक्त इंधन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, सिर्फ रिफरेन्स के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं वरना उसे पढ़े बगैर ही अपना भाषण जारी रखें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मैं यही कर रहा हूं। ऊपरी गंगा नहर जो कि लगभग 130 वर्ष पुरानी

है उसका पुनरोद्धार अत्यन्त आवश्यक है। यह नहर प्रणाली प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सिंचन क्षमता उपलब्ध कराने का अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। अतः इसका पुनरोद्धार करने के लिये विश्व बैंक के द्वारा पोषित माडर्नाइजेशन ऊपरी गंगा कैनाल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत एक समानान्तर पक्की नहर का बनाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही साथ वितरण प्रणाली के लिये गूलों को भी पक्का किया जायेगा। इस परियोजना की कुल लागत 1313 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के प्रथम चरण (6 वर्षों) में होने वाले कार्य हेतु विश्व बैंक से अनुबन्ध हो गया है जिसके अन्तर्गत 173.43 करोड़ रु0 के कार्य 1990-91 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

मध्य गंगा नहर परियोजना के अन्तर्गत बैराज बना कर गंगा के पानी से खरीफ में 1.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हेतु यह परियोजना बनायी जा रही है। इसके द्वारा 1986-87 में 12000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी। सप्तम् योजना तक यह कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

इसी तरह से हिन्डन कृष्णा दोआब में धान की सिंचाई हेतु एक परियोजना तैयार की गयी है जिसके अन्तर्गत हिन्डन तथा कृष्णा नदियों के बीच दाह क्षेत्र में भू-जल स्तर काफी नीचे आ चुका है। इस क्षेत्र में नहर प्रणाली के निर्माण से सिंचाई सुविधाओं में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही भू-जल स्तर में सुधार होने से निजी नलकूपों की क्षमता में भी वृद्धि होगी। केन्द्रीय जल आयोग की संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में इस परियोजना का परीक्षण किया जा रहा है। लेकिन इसमें केन्द्रीय जल आयोग ने जो संस्तुतियां की है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो परियोजना है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। इसी प्रकार से मान्यवर, कुछ अन्तर्प्रदेशीय मामले है। बुन्देलखण्ड का जो क्षेत्र है, सूखाग्रस्त है और इसकी आवश्यकता को देखते हुए सिंचाई साधनों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र की नदियां मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की ओर बहती है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र में कुछ योजनायें निर्माणाधीन है, जिसमें कोई अन्तर्प्रदेशीय समस्या नहीं है। परन्तु राजघाट बांध परियोजना, उर्मिल बांध, केन नहर का पुनरोद्धार की योजना, केन बहुउद्देश्यीय योजना तथा पैसुनी डाइवर्जन योजना में अन्तर्प्रदेशीय समस्या आती है। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच वर्ष 1977 में हुए समझौते के अन्तर्गत केन नहर के पुनरोद्धार की परियोजना के लिये एक अतिरिक्त शीर्ष का निर्माण कराना था। यह शीर्ष मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। विभाग के निरन्तर प्रयास के फलस्वरूप शीर्ष के लिये बनाये गये विभागीय परिकल्प के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। रगवा बांध के जलग्रहण क्षेत्र में मध्य प्रदेश द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के फलस्वरूप केन नहर प्रणाली में पानी की कमी पड़ती जा रही है। केन नहर में जल की वृद्धि हेतु मध्य प्रदेश द्वारा केन बहुउद्देश्यीय योजना का प्राक्कलन बनाया जा रहा है, जिस पर मध्य प्रदेश शासन से समझौता करके कार्य प्रारम्भ करने हेतु प्रयत्न किये जा रहे है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर केन नहर प्रणाली को अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा। मध्य प्रदेश व बिहार से सोन नदी के जल

के विषय में समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश को 12.5 लाख एकड़ फिट पानी उपलब्ध होना है। इसके लिये बान सागर बांध, बिहार व मध्य प्रदेश के साथ मिलकर निर्माणाधीन है। इससे उपलब्ध जल बान सागर नहर द्वारा मिर्जापुर, वाराणसी व इलाहाबाद जनपदों को उपलब्ध हो सकेगा। यमुना नदी के जल को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली के बीच बंटवारे का मामला भी तय कराने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, इसी तरह से भारत-नैपाल परियोजनायें हैं। उत्तर प्रदेश की कई विशाल नदियां नेपाल देश से बहकर आती हैं। घाघरा, राप्ती, गंडक एवं शारदा नदियों का उद्गम नेपाल देश में ही है। इन नदियों पर उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर कई सिंचाई परियोजनायें कार्यान्वित की जा चुकी हैं और उनसे सिंचाई भी हो रही है, परन्तु अब भी इन नदियों का वर्षा का बहुत सा जल स्तर उत्तर प्रदेश में बाढ़ की भीषण समस्या उत्पन्न करता है और व्यर्थ बह कर समुद्र चला जाता है। इस समस्या का समाधान करने के लिये तथा इस जल से प्रदेश को सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत उपलब्ध कराने के लिए कई बहुउद्देशीय परियोजनायें प्रस्तावित हैं, जिन्हें नेपाल राज्य के साथ समझौता करके बनाया जाना प्रस्तावित है। घाघरा पर कर्नाली बांध, शारदा पर पंचेश्वर बांध तथा राप्ती पर भालू बांध प्रस्तावित है। इन समझौतों को भारत सरकार के माध्यम से शीघ्र अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, राजकीय लघु सिंचाई परियोजनाओं में राजकीय नलकूप डाल नहरें, बंधियां एवं पर्वतीय नहरों आदि की परियोजनायें सम्मिलित हैं, जिसमें राजकीय नलकूपों का प्रमुख स्थान है।

छठी योजना के अन्त तक 23226 चालित नलकूप थे जिसमें विश्व बैंक की सहायता से निर्मित 932 नलकूप सम्मिलित हैं। इस योजना के अंत तक राजकीय लघु सिंचाई से 34.04 लाख हेक्टेअर सिंचन क्षमता सृजित की जा चुकी है।

(मेजों की थपथपाहट)

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, ये लोग मंत्री जी को बजट नहीं प्रस्तुत करने दे रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, यह तबलची कहां से आ गये हैं?

श्री अधिष्ठाता–

यह असंसदीय है, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, सप्तम् पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजकीय लघु सिंचाई कार्य हेतु 483.15 करोड़ का प्राविधान है, जिससे 7.03 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी।

वर्ष 1985-86 में राजकीय नलकूपों के अंतर्गत 95.00 करोड़ रु0 का प्राविधान है, जिससे 1.2 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी। इस वर्ष लगभग 950 नये नलकूपों का छिद्रण तथा 1200 नलकूपों के ऊर्जीकरण के लक्ष्य को पूरा कर लिया जायेगा। वर्ष 1986-87 में राजकीय नलकूपों के लिए मैदानी क्षेत्र में 88.5 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है। इस वर्ष लगभग 225 सामान्य नलकूपों का निर्माण 35.64 करोड़ रु0 की लागत से तथा 575 नलकूपों का निर्माण विश्व बैंक की सहायता से 146.86 करोड़ रु0 की लागत से

निर्माण करना प्रस्तावित है जिससे 1.2 हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी।

विश्व बैंक से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करके नलकूप लगाने पर बल दिया जा रहा है। इस योजना का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत 559 नलकूप चालित कर दिये गये हैं तथा दूसरे चरण में 2200 नलकूपों के निर्माण कार्य प्रगति पर है। मान्यवर, इस प्रदेश में बहुत से नलकूप अधूरे पड़े हैं उनको पूरा किये जाने की जरूरत है। इस काम के लिए हम प्रमुखता दे रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि वह शीघ्र ठीक हो। मान्यवर, वर्ष 1985-86 में पर्वतीय नहरें एवं बंधियों के लिए 9.90 करोड़ रु0 का प्राविधान है जिससे 5 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी। वर्ष 1986-87 में पर्वतीय नहरें एवं बंधियों के लिए 11.00 करोड़ रु0 का प्राविधान है, जिससे 5 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश बाढ़ की विभीषिका से प्रतिवर्ष प्रभावित होता है। प्रदेश के 294.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से अधिकतम 73.4 तथा औसतन 43.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ आती है और इस प्रकार से 500–700 करोड़ रुपये की सम्पत्ति, पशु तथा जनहानि प्रतिवर्ष होती है। मान्यवर, छठी योजना के अंत तक 206.60 करोड़ रुपये के उपयोग से 13.67 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित हो पाया है। सप्तम् योजना काल में 164.50 करोड़ रु0 के परिव्यय से 250 कि0 मी0 लम्बे सीमान्त बांध 400 कि0मी0 नालों का कार्य 3 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा करने का प्रस्ताव किया गया है। योजना के प्रथम वर्ष 85-86 में 14.70 करोड़ रुपये के परिव्यय से 20,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को एवं वित्तीय वर्ष 86-87 में 18.83 करोड़ रुपये के परिव्यय से 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं। 2150 करोड़ रु0 की बढ़ी हुई वार्षिक योजना में से इन कार्यों हेतु और अधिक धन बाढ़ कार्यों हेतु खर्चा करेंगे और उससे अधिक बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करेंगे।

मान्यवर, इस प्रदेश में 57 जिले हैं और उनमें से 55 जिले ऐसे हैं जो बाढ़, अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से इस वर्ष प्रभावित हुए। लखनऊ में भयंकर बाढ़ की स्थिति रही। कुकरैल बांध में जो गैप थे उनको न्यायालय से स्थगन आदेश निरस्त होते ही तुरन्त पूरा कर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया। बलिया जनपद में तुर्तीपार श्री नगर बांध के कटाव निरोधक कार्य युद्ध स्तर पर दो माह में पूर्ण किये गये। मान्यवर, वर्षा ऋतु के बाद आजमगढ़ में घाघरा नदी द्वारा धारा बदलने के कारण मोहल्ला गढ़वाल बांध एवं गोरखपुर-आजमगढ़ राष्ट्रीय मार्ग को अत्यधिक खतरा उत्पन्न हो गया तथा विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य करके बांध एव राष्ट्रीय मार्ग को तात्कालिक सुरक्षा प्रदान की गई। माह अक्टूबर, 1985 में अधिक वर्षा होने के कारण नानक सागर बांध में अत्यधिक पानी आ गया और उससे जो हमारी नीचे की आबादी थी, नीचे के जो गांव थे, जो फसलें थीं उससे वे बह जाते और फसलें भी खराब हो जाती। हमने उस जल को रोका और बाढ़ के प्रकोप को कम किया। इसके लिये विभाग के मुख्यालय पर एक केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया जो निरन्तर कार्य करता रहा जिससे बाढ़ की स्थिति से सम्बन्धित अधिकारियों को यथासमय सूचना दी गई। इससे काफी सुविधा हुई और बाढ़ की स्थिति से सम्बन्धित अधिकारियों ने यथा समय नियंत्रण में रखी।

मान्यवर, बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सिंचाई विभाग द्वारा सभी जल विद्युत परियोजनाओं के सिविल कार्यों का निर्माण कार्य कराया जाता है जो कि परियोजना की कुल लागत का लगभग 70 प्रतिशत होता है। इस प्रकार हम इन सभी परियोजनाओं का सर्वेक्षण का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा कराते हैं। दुर्गम और जटिल स्थानों पर भी यह कार्य कराया गया है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में व्यापक ऊर्जा की क्षमता है। गंगा और यमुना के क्षेत्र में बहुत सी बहुउद्देशीय एवं जल विद्युत परियोजनायें बनायी गई हैं उनमें से कुछ निर्माणाधीन हैं जिनका मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। मान्यवर, जल विद्युत योजना में 304 मैगावाट की मनेरी भाली द्वितीय चरण, 72 मेगावाट की खारा परियोजना, 200 मेगावाट की श्रीनगर परियोजना 480 मेगावाट की विष्णु प्रयाग परियोजना तथा 372 मेगावाट की पाला मनैरी परियोजनायें निर्माणाधीन हैं . . . (व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, एक सती गंजी थी, जैसे यह है । तो जैसी गंजी सती यह है, वैसे ही पुजारी भी बैठे हैं। . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाये रखें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इसके अलावा लगभग 3200 मैगावाट की परियोजनाओं का निर्माण विचाराधीन है। इसमें से प्रमुख कोटली मेल बहुउद्देशीय परियोजना 1000 मेगावाट की है, उत्यास बहुउद्देशीय परियोजना 1000 मेगावाट की है । इनसे विद्युत क्षमता भी बढ़ेगी और उनसे सिंचन क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस संबंध में कई अन्य बहुउद्देशीय तथा जल विद्युत परियोजनाओं पर सर्वेक्षण प्रारम्भ किया जा रहा है।

श्रीमन्, कुछ समस्यायें पूरे प्रदेश में थीं जिन पर शासन ने गंभीरता से विचार किया। उनमें से सबसे प्रमुख समस्या नहरों के रोस्टर के बारे में थी। कृषकों को नहरों के चलाने के कार्यक्रम से अवगत कराने हेतु इस वर्ष से पूर्ण वर्ष का नहरवार रोस्टर बनाकर पहले ही प्रकाशित कर दिया गया है। इसके अलावा प्रत्येक फसल से पूर्व सिंचाई विभाग द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ नहर चलाने के रोस्टर की समीक्षा भी कर ली जाती है तथा इसे कृषकों को विभिन्न माध्यमों से अवगत कराया जा रहा है ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, तालियां तो बजा रहे हैं लेकिन मंत्री जी को पानी तो पिला दीजिये।

श्री भोला शंकर मौर्य–

श्रीमन्, नहरों की सफाई तथा अन्य अनुरक्षण कार्यों को समय से सम्पन्न कराया गया जिससे नहरों को पूरी क्षमता से चलाया जा सके इसमें बड़ी शिकायतें हुआ करती थी। कृषकों को सिंचाई का पूरा लाभ मिल सके। अनुरक्षण कार्यों के लिए उपलब्ध कराई गयी धनराशि का पूरा सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभाग के प्रत्येक उपखंड में एक समिति गठित की गयी है जिसमें सिंचाई विभाग के अन्य किसी खंड के अधिकारी के अलावा जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अधिकारी एवं एक स्थानीय जनप्रतिनिधि को सदस्य बनाया गया है। तीन आदमियों की इस समिति को उपखंड के अनुरक्षण कार्यों को निरीक्षण करने का दायित्व दिया गया है। इन समितियों के निरीक्षण

प्रतिवेदनों के आधार पर ही कृत कार्य का अंतिम भुगतान किया जा रहा है तथा जिन नहरों की टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा था वहां पर भी पानी पहुंचा है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य मथुरा एवं माननीय सदस्य सुलतानपुर से निवेदन करूंगा कि एप्रिशियेशन का भी एक ढंग होता है, उसकी लिमिट है। कृपा कर ऐसा न करें।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सितम्बर के अंत व अक्तूबर में आयी बाढ़ की विभीषिका से विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। काफी जनपदों में नहरों के क्षतिग्रस्त होने के उपरान्त भी खरीफ की फसल में नहरों को आवश्यकतानुसार चलाया गया।

इसी प्रकार विभाग में कंप्यूटर कल्चर का विकास अत्यंत आवश्यक है। नये कंप्यूटर को लगाना तथा उसमें कार्य करने का प्रशिक्षण दिलाने का कार्य किया जाना है जिससे विभाग के कार्यकलापों में तीव्र गति आयेगी। मुख्यालय पर लगाये गये कंप्यूटर का उपयोग अनुश्रवण तथा नियोजन कार्यों में हो रहा है।

नवनियुक्त अभियंताओं के प्रशिक्षण हेतु कालागढ़ में प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। वर्ष 1985 में सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के 115 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

सीमित जल के समुचित एवं अनुकूलतम उपयोग हेतु जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान, आंखला, नई दिल्ली में स्थापित किया गया है जिसमें जून 1985 से प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ कर दिये गये। दिसम्बर 1985 तक 89 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

विभाग में भ्रष्टाचार उन्मूलन एव अनुशासन की दृष्टि से प्रश्नगत वर्ष 1985-86 में भ्रष्ट एवं अकर्मण्य अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की गयी जिसके परिणामस्वरूप 7 अधिकारियों को बरखास्त किया गया, 6 अधिकारियों को निलम्बित किया गया और 4 अधिकारियों को रिवर्ट किया गया अथवा उनका वेतन कम किया गया, 36 अधिकारियों को अन्य लघु दण्ड दिये गये। उपरोक्त के अतिरिक्त 2 अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अंत में मैं माननीय सदस्यों से चाहूँ इस पक्ष के हों या विपक्ष के हों आग्रह करूंगा कि वे इस सिंचाई विभाग के बजट पर अपने रचनात्मक सुझाव दें और इस विभाग को और सुदृढ़ करने में मदद करें। इन शब्दों के साथ मैं आप सब के सुझाव आमंत्रित करता हूं।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अंतर्गत सम्पूर्ण

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, पिछले 5 वर्षों में सिंचाई विभाग का बजट आज के नेता सदन रख रहे हैं, मैं उम्मीद करता था कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विभाग का बजट उन्हीं के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा लेकिन अफसोस है कि इतने बड़े विभाग का बजट एक राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यह अपने में भोला शंकर है। एक भोला शंकर तो वह थे जिन्होंने गंगा के उद्गम को रोक लिया था और एक यह हैं जिन्होंने 1985 की बाढ़ में तत्कालीन मुख्य मंत्री को जमुना के किनारे भेजने का काम किया। यह इस बात का प्रतीक है कि सिंचाई विभाग कैसे चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है जिसका 9.95 प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का और इस प्रदेश की अवस्था के लिये सिंचाई की हमारी जो योजनायें रही हैं वह अत्यन्त ही सीमित रही है। यही कारण है कि हमारा प्रदेश साढ़े 12 करोड़ आबादी का है जिसका संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 294 लाख हेक्टेयर भूमि है, वह सिंचाई की सुविधा से वंचित रह गया है ।

मान्यवर, सिंचाई का सीधा रिश्ता गरीबी से है और जब तक उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल की सिंचन की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक उत्तर प्रदेश से गरीबी नहीं जायेगी। मान्यवर, सरकार दम भरती है 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से, उधर के माननीय सदस्य रोज अपनी पीठ थपथपाते हैं कि, हम सिंचन क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं लेकिन आगे आंकड़ों से हम साबित करेंगे कि लगभग 35 वर्षों में कोई उपलब्धि सिंचाई विभाग की नहीं रही है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये सिंचाई विभाग पर विशेष बल दिया जाना चाहिए था। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के बजट में पिछले वर्ष के अनुपात में 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इस वर्ष सिंचाई विभाग में 1.95 प्रतिशत की वृद्धि करके साबित हो गया है कि उनकी यह दूरदर्शिता नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी तभी खेती की पैदावार बढ़ेगी, जब पैदावार बढ़ेगी तब कृषि उत्पादन बढ़ेगा, जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो किसान की माली हालत में सुधार होगा और उसकी क्रय करने की शक्ति बढ़ेगी और तभी कृषि पर आधारित उत्पादन बढ़ेगा तो किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिससे सिंचाई विभाग का रेवेन्यू बढ़ेगा और जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो इनकी परियोजनायें आगे बढ़ेंगी । लेकिन इनके बजट में इस प्रकार की कोई नीति नहीं दिखाई देती है । इसलिये मान्यवर, इस विभाग के बारे में जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उससे मंत्री जी भी सहमत होंगे, मेरा निवेदन है कि जहां हमारे उत्तर प्रदेश का प्रतिवेदित सिंचन क्षेत्रफल 297 लाख हेक्टेयर है, जो इन्होंने पुस्तकों में रिकार्ड उपलब्ध कराया है वर्ष 1984-85 में 101.33 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचन क्षमता बढ़ाई और जो 1985-86 में बढ़कर 102.88 लाख हेक्टेयर हुई और 1986-87 में, जो बजट में इस समय विचाराधीन है, बढ़कर 104.71 लाख हेक्टेयर होने वाला है । यह जो सिंचन क्षमता बढ़ोत्तरी है, इसका प्रतिशत जो उपलब्ध है वह बहुत कम है । वह बहुत ही कम और समिति है ।

इतना ही सीमित रहा तो कतई हम उत्तर प्रदेश को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं ले जा सकेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि जहां सन् 50 में उत्तर प्रदेश में 28.67 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता थी योजना शुरू होने से पूर्व, उसके पश्चात् आज जैसा यह कहते हैं कि हम 104 लाख हेक्टेयर तक पहुंच पाये हैं, 36 वर्षों में जो हमारी वृद्धि हुई है, वह 75 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचन क्षमता बढ़ी है । यह अनुपात बहुत कम है, 102 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष यह बढ़ी थी । 77-78 में जो सिंचन क्षमता थी, उसके जरा आप फीगर्स देखिए, इन वर्षों में 3 से 4 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता बढ़ाने का हमने प्रयास किया । आप भी उन नीतियों का अनुसरण कीजिए । मैं आंकड़ों द्वारा सदन को यह बताना चाहता हूं कि 82-83 में टोटल क्षमता 98.44 लाख हेक्टेयर थी, वह 83-84 में बढ़कर 99.65 लाख हेक्टेयर हो गई, 1984-85 में बढ़कर 101.33 लाख हेक्टेयर हो गई और 85-86 में बढ़कर यह 102.88 लाख हो गयी । इस प्रकार से यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो स्पष्ट होगा कि 82-83 से 83-84 वर्ष में 1.29 लाख की वृद्धि हुई है 83-84 से 84-85 वर्ष में 1.68 लाख की वृद्धि और 84-85 के मुकाबले 85-86 में 1.55 लाख की वृद्धि हुई है । इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो थोड़ी वृद्धि हुई है, यह जो वृद्धि का प्रतिशत है वह राजकीय संसाधनों से अत्यन्त सीमित रहा है । जो उपलब्धि रही है वह निजी क्षेत्र में निजी साधनों से रही है । उसको आगे मैं सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। आपकी क्षमता में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रही है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 80-81 में राजकीय नलकूपों की क्षमता 20.40 लाख हेक्टेयर थी और जो भौतिक उपलब्धि थी वह मात्र 13 लाख हेक्टेयर थी । वर्ष 81-82 में यह क्षमता 23.92 लाख हेक्टेयर थी और भौतिक उपयोग वही रहा । 82-83 में यह 25.29 लाख रहा और 83-84 में बढ़कर 26.71 रहा, लेकिन भौतिक उपयोग वही रहा, केवल 83-84 में यह 13 से बढ़कर साढ़े 13 लाख हो गया । आपकी जो नलकूप की योजना रही, वहां पर जब उपयोग की बात आई तो क्या कारण था कि 80 से 84 तक आप सिर्फ 13 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई करते रहे। मैं कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारियों में और योजनाओं में खराबी है कि करोड़ों रुपयों की व्यवस्था करने के बाद भी आपकी भौतिक उपलब्धि पूरी पंचवर्षीय योजना में वही की वही रही है । इस विभाग की कोई उपलब्धि नहीं रही है । इसी तरह से वृहद और मध्यम सिंचाई के साधन हैं, जहां 79-80 में क्षमता थी 60.29 लाख, उसके विपरीत उपयोग हुआ केवल 49.01 का । 81-82 में क्षमता थी 65.60 और इसके साथ उपयोग हुआ केवल 51.49 लाख हेक्टेयर पर । 82-83 में 67.23 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी लेकिन 52.34 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का उपयोग हुआ । 1983-84 में 67.78 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता थी और 53.96 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का उपयोग हुआ । तो माननीय, इस प्रकार से सरकारी साधनों से जो सिंचाई हुयी उसकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही ।

आपकी जो वृहद और मध्यम सिंचाई योजनायें हैं उनकी पूरी सिंचन क्षमता का उपयोग नहीं हुआ सिर्फ 80 फीसदी ही उपयोग कर पाये तो यह सबसे बड़ी खेद की बात है । मैं निवेदन करूंगा कि जहां इन राजकीय नलकूपों के माध्यम से और वृहद तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं से जो सिंचन क्षमता बढ़ी उससे केवल 103 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई यह आपने बताया है लेकिन वास्तव में 67.46 लाख हेक्टेयर जमीन पर पिछले 5 वर्षों में सिंचाई हो पायी जो कम है । इसका कारण यह है कि आपका नियोजन सही नहीं है और आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं वह सही नहीं हैं । आपका जो नियोजन विभाग है, नियोजन विभाग की डायरी से मैंने यह आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किये हैं। दोनों आंकड़ों में फर्क है। आप बतायें कि दोनों में कौन सा सही आंकड़ा है । मेरा निवेदन है कि 5 वर्षों में 6604 नलकूप इन्होंने लगाये । यदि यह माना जाय कि एक नलकूप पर 5 लाख रुपये लागत आयी तो इस प्रकार से नलकूपों पर 330.20 करोड़ खर्च किए गये। यह रुपये आपने पिछली पंच-वर्षीय योजना में खर्च किए गए लेकिन पूरी की पूरी उपलब्धि जीरो रही। उपलब्धि जीरो इसलिये रही कि 103 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन की सिंचाई नहीं कर पाये । मैं कहना चाहता हूं कि यह जनता की गाढ़ी कमाई का 330 करोड़ रुपयों का जो आपने दुरुपयोग किया उसका आपको कोई हक नहीं था । यह पैसा जनता के हित में खर्च होना चाहिये था लेकिन आप इसे ठीक प्रकार से खर्च नहीं कर पाये और ठीक तरह से व्यवस्था नहीं कर पाये । आपकी दुर्व्यवस्था और गलत नियोजन का यह परिणाम रहा और आपके अधिकारियों के ऊपर आपकी लगाम नहीं रही इसीलिये सिंचन क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया ।

जैसा मैंने पहले निवेदन किया था वृहद और मध्यम परियोजनाओं से आपने केवल 80 फीसदी सिंचाई की है । 1950 में 30869 किलो मीटर नहरें थी। 1975-76 में 56300 किलोमीटर हो गयीं । 1975-85 के बीच, 10 वर्षों में नहरों की लम्बाई बढ़ाने के बारे में आपने कोई ठीक काम नहीं किया और कोई उपलब्धि आपकी नहीं हो पायी । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन 10 वर्षों में मात्र 2250 किलोमीटर नहरों में वृद्धि कर पाये । यह सबसे बड़ी चिन्ता की बात है। हमारे नेता सदा कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को विकास की तरफ ले जायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि जिस विभाग के वह प्रभारी मंत्री रहे हैं उसकी यह दयनीय हालत है। मैं समझता हूं कि इनके नेतृत्व में प्रदेश विकास की तरफ नहीं जा पायेगा। क्योंकि 10 वर्षों में आप केवल 2250 कि0मी0 नहरें बढ़ा पाये हैं । मान्यवर, नहरों की बढ़ोत्तरी के बारे में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं । 1950 में 30869 कि0मी0 नहरें थीं, 1979-80 में 56550 कि0मी0 हो गयीं । इसी तरह से 1984-85 में 57600 कि0मी0 नहरें थीं। 1985-86 में 57800 कि0 मी0 नहरें हो गयीं और 1986-87 जिसके लिये आपने बजट प्रस्ताव किया है उसमें आपका दावा है कि58200कि0मी0 नहरें हो जायेंगी । तो मैं कहना चाहता हूं कि यह नहरों में वृद्धि का अनुपात बहुत कम है । इतनी बड़ी लागत लगाने के बाद आप एक हजार किलोमीटर नहरों का जाल नहीं बढ़ा पायेंगे यह मेरा दावा है यदि इसी प्रकार से आपका नियोजन रहा ।

(12 बजकर 20 मिनट)

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था कि सिंचन क्षमता की वृद्धि में निजी नलकूपों नें बड़ा काम किया है और उल्लेखनीय वृद्धि उन्होंने की है, परन्तु शासन की तरफ से इनकी ओर बड़ी उपेक्षा रही है । इसलिए कि इन्होंने न तो इनको पर्याप्त मात्रा में बिजली दी है और न डीजल दिया है, और जैसा कि अन्य योजनाओं पर यह खर्च करते हैं, इन पर कुछ खर्च भी नहीं किया, फिर भी सिंचन क्षमता में जो वृद्धि इन्होंने की है, उसका शतप्रतिशत उपभोग निजी क्षेत्रों में हुआ है और हो रहा है । इनकी वृद्धि का औसत भी काफी है और आगे के वर्षों में भी लगातार इसमें वृद्धि ही हुयी है । पहले तो इन्होंने अपने सिंचन क्षमता में 62.68 लाख हेक्टेयर भूमि की क्षमता बढ़ाई फिर वर्ष 1981-82 में यह बढ़कर 75.43 प्रतिशत हुयी, वर्ष 82-83 में 80.91 लाख हेक्टेयर प्रतिशत रहा और 1983-84 में 85.89 प्रतिशत हुआ । इस प्रकार से लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि के सिंचन का कार्य निजी क्षेत्र वालों ने किया। अगर आप जरा भी तुलना करें कि आपकी योजनाओं द्वारा कितनी सिंचाई हुई और निजी क्षेत्र वालों ने कितनी की और आपने अपनी योजनाओं पर इस सिंचन कार्य के लिए कितना रु0 खर्च किया और इनके ऊपर आपने क्या लागत लगायी तो सब कुछ स्वयं स्पष्ट हो जायेगा ।

दूसरी बात मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 203 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य थी, जिसमें उन्होंने 104 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर ली है, जबकि निजी क्षेत्र वालों ने 153.25 लाख हेक्टेयर भूमि का सिंचन किया और आपका अभी भी ऐसी भूमि काफी पड़ी हुयी है, जो कृषि के योग्य है, परन्तु उनकी सिंचाई के आपके पास कोई साधन नहीं है यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार अपनी हर योजना में विफल हो गयी है, और यही कारण है जिसकी वजह से हमारे देश और प्रदेश का उत्पादन कम हो रहा है और अन्य राज्यों से काफी पिछड़ा है । इस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश का सिंचाई के मामले में चौथा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल हमारा इतना अधिक है, परन्तु सिंचाई साधन इस सरकार द्वारा कम जुटा पाने की वजह से सिंचन क्षमता का अगर औसत देखा जाए तो बहुत कम है हमारे ही दूसरे प्रदेशों से। यही कारण है जिसकी वजह से हमारे यहां की आय प्रति व्यक्ति अन्य प्रदेशों से बहुत कम है ।

मान्यवर, आप देखें कि पंजाब की स्थिति में 85.58 प्रतिशत सिंचन क्षमता में उपलब्धि की गयी है वहां की प्रति व्यक्ति आय औसत 3,164 रु0 आयी है और यही हालत हरियाणा की है जिसकी सिंचन क्षमता 60.58 प्रतिशत और उनकी प्रति व्यक्ति आय 2,581 है और इसी प्रकार से तामिलनाडू जो आपके प्रदेश से काफी छोटा है और मा0 मंत्री जी के जिले के बराबर होगा, जिसकी सिंचन क्षमता 50.92 प्रतिशत है और उनके यहां की प्रति व्यक्ति आय 1427 रु0 है, जो हमारे यहां से ज्यादा है और मान्यवर हमारी हालत क्या है, हमारी हालत यह है भारत के नक्शे में औसत आमदनी के आधार पर हमारा स्थान 13वां है और हमारे यहां की सिंचन क्षमता में जो उपलब्धि प्राप्त की गयी है वह वर्ष 1983-84 में केवल 43.05 है। इसलिए मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं आगे के वर्षों के आंकड़े आपके विभाग से मांगे गये तो आपका विभाग इतना निकम्मा विभाग है कि उसके पास वर्ष 1984-85 के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं है और न ही उन आंकड़ों को आपका विभाग आज तक जुटा पाया है । मैं यह निवेदन करना

चाहता हूं कि जो आंकड़े 1983-84 में उपलब्ध रहे, उसके अनुसार आपकी सिंचन क्षमता 43.05 प्रतिशत रही और इसी कारण से प्रति व्यक्ति औसत आय में गिरावट आई।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम 1296 रु0 औसत है और बुन्देलखण्ड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की औसत आय प्रति व्यक्ति 500 से 600 रु0 है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप निजी क्षेत्रों में विशेष ध्यान दें। इन बड़ी योजनाओं और बड़े राजकीय नलकूपों के दुष्परिणाम सामने आये हैं। जिन क्षेत्रों में आपके राजकीय नलकूप लगाये गये हैं, वहां पर जल स्तर नीचे गिरा है और वहां के निजी नलकूप बेकार होते जा रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वहां पर नहरों की व्यवस्था करें, जिससे कि जल स्तर ऊंचे उठे। निजी क्षेत्रों में आप सब्सिडी दें। मान्यवर, जो राजकीय नलकूप लगाये हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसा एक भी नलकूप नहीं है, जो अपने कमाण्ड एरिया के हिसाब से सिंचाई करता हो और एक भी ऐसा नलकूप नहीं है, जिसने लागत की राशि को लौटा दिया हो। मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि ऐसा कोई हो, तो माननीय सदन को अवगत कराने का कष्ट करें। जहां पर आप राजकीय नलकूपों पर इतना इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और सिंचाई की क्षमता नहीं बढ़ रही है अगर आप 50 फीसदी सब्सीडी देकर निजी नलकूपों को लगाने का काम करें, तो निश्चित ही सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी। आप स्वयं जानते हैं कि शतप्रतिशत निजी नलकूपों की सिंचाई की क्षमता का उपयोग हुआ है। निजी नलकूप कभी बन्द नहीं रहते हैं। इसलिये मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप निजी नलकूपों को भी सब्सीडी देने का कष्ट करें, जिससे उनकी पूरी क्षमता का उपभोग किया जा सके।

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रति वर्ष हमारी जो यह सिंचाई क्षमता है, वह घटती जा रही है। जो इसका शुद्ध परिणाम आपने दर्शाया है, वह अरबों के घाटे में है। 1981-82 में 1 अरब, 9 लाख का घाटा, 1982-83 में 1 अरब, 55 लाख का घाटा, 1983-84 में 1 अरब, 94 लाख का घाटा, 1984-85 में 1 अरब, 36 करोड़ का घाटा रहा है। आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है, वह अनुमान यह बताता है कि 2 अरब, 29 करोड़ का घाटा आयेगा। मान्यवर, यह बहुत बड़ा घाटा हमारे प्रदेश को दिया जा रहा है। यह बहुत चिन्ता की बात है। मान्यवर, इसके लिये पूरे प्रदेश की सिंचाई विभाग की हाईपावर कमेटी होनी चाहिए, जो यह देखे कि जो हमने अब तक लागत लगाई है, क्योंकि इसकी गति धीमी चल रही है, जो परिणाम हम लेना चाहते हैं, वह परिणाम नहीं मिल पाते हैं। इसके लिए विशेषज्ञ की कमेटी बनानी चाहिए। मान्यवर, इस बहुत विशाल घाटे के बारे में चिन्ता करना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैं जोड़ पाया हूं, 21 हजार करोड़ रुपया सिंचाई विभाग पर खर्च किया गया है। इस घाटे का कारण यह भी है कि जो हमारी वृहद् योजनायें हैं, उनको निश्चित अवधि के भीतर हम पूरा नहीं कर पाते। कई परियोजनाओं को प्रदेश सरकार ने बिना केन्द्र सरकार की इजाजत के, बिना प्लानिंग कमीशन की इजाजत के शुरू कर दिया है

और अपनी क्षमता इस बात की नहीं है कि हम उसके लिए धनराशि एकत्रित कर सकें। योजनायें तो शुरू हो जाती हैं प्रदेश के भीतर परन्तु वह पूरी नहीं हो पातीं । आप स्वयं देखें कैनाल शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते । कई ऐसी परियोजनायें सामने आयी हैं जिन्हें 20 वर्षों तक पूरा नहीं किया गया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान गंडक परियोजना की तरफ से ले जाना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता –

माननीय शाही जी, आधा घन्टा हो गया है । बहुत से माननीय सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं । आप 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही –

मान्यवर, गंडक परियोजना 1966 में प्रक्कलित की गई और उसका काम 10 वर्षों में पूरा हो जाना चाहिए था परन्तु 10 वर्षों के बाद जब उसका पुनरीक्षण हुआ तो उस पर 135.33 करोड़ रु0 का अधिक व्यय आया । कोशिश की गई कि छठी पंचवर्षीय योजना में उसको पूरा कर लें लेकिन वह उसमें भी पूरा नहीं हो सकी और आज आपने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उसका प्रस्ताव किया गया है । मैं समझता हूं कि यह इन लोगों का एक चारागाह है वृहत् सरकारी योजनाओं को बनाने का । सरकारी अधिकारियों का, इन्जीनियरों का । गंडक परियोजना का काम 1978 में पूरा हो जाना चाहिए था परन्तु आज 86 में मात्र 33 फीसदी उसका उपयोग किया जा रहा है । माननीय मंत्री जी अभी गूल नहीं बने । लैण्ड रिक्वीजीशन में जो भारी रकम आप इन परियोजनाओं पर खर्च कर रहे हैं तो बड़ी योजनाओं पर तो यह काम कर लेते हैं। छोटी कैनाल, बड़ी कैनाल, पर भारी काम होता है, मेहनत करनी पड़ती है, गांव में जाना पड़ता है, धूल में जाना पड़ता है इसलिए इनके अधिकारी घबड़ाते हैं, वहां जाना नहीं चाहते । मैं दावा करता हूं कि जितनी भी परियोजनायें बनी हैं उनमें आप गूल नहीं बना पाये, माइनर नहीं बना पाये इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यही हाल टिहरी परियोजना का भी है ।

मैं यह नहीं कहता कि बड़ी परियोजनायें नहीं बनानी चाहिए लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में संसाधन ऐसे नहीं हैं कि हम उनको बना पायें । आप स्वयं देखें आपने कितनी कम धनराशि इस पर आवंटित की है । आप राजीव गांधी के 21 वीं सदी को पूरा करने की बात कहते हैं लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पायेंगे, वहां तक पहुंच नहीं पायेंगे । आप ऐसी व्यवस्था करें कि टिहरी योजना को केन्द्र सरकार स्वयं अपने हाथ में ले ले। इस परियोजना से 2000 मेगावाट बिजली मिलने की बात सोची गई, यह ऐसी योजना है जिससे भारी मात्रा में हमने सिंचाई करने की बात सोची है । वही ऐसी परियोजना है जो गंगा की और ऊपर से हिमालय से आने वाली नदियों की बाढ़ को रोक सकता है । मैं माननीय भोला शंकर मौर्य से निवेदन करना चाहूंगा कि आप भारत सरकार को लिखें कि हम भागीरथ को रोकने का काम नहीं कर सकते हैं, हमारे बस का नहीं है, उसको भारत सरकार रोके ।

बाढ़ के सन्दर्भ में अपनी बात कह कर, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा । उत्तर में बाढ़ की विभीषिका भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है । मैं कहना चाहूंगा कि भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 294-4 लाख हेक्टेयर है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 73-4 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का प्रतिवर्ष बाढ़ से बुरी

तरह प्रभावित होता है । यह लगभग कुल क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अन्य प्रदेशों की तुलना की जाय, तो अन्य प्रान्तों ने बाढ़ को रोकने का काम किया है । हमारे यहां जो काम किया गया वह नगण्य है। मान्यवर, बिहार में 42-80 लाख हैक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है, पश्चिमी बंगाल में 39-66 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है, पंजाब में 39.00 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है, हरियाणा में 23-50 लाख हेक्टेयर बाढ़ से प्रभावित होती है जबकि उत्तर प्रदाश में 73-36 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है । आपने बाढ़ से रक्षा का जो काम किया है ।यानी कुल क्षेत्रफल का 18-4 प्रतिशत पर बाढ़ को बचाने का काम किया गया है । जबकि अन्य प्रभावित होने वाले प्रदेशों में बाढ़ से लगभग 50 प्रतिशत सुरक्षा हो गई है । आज भी उत्तर प्रदेश में 59-73 लाख हैक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है। इसमें कृषि योग्य भूमि भी प्रभावित होती है । किसानों की फसल बरबाद होती है, उनका नुकसान होता है । इस बाढ़ के कारण आपकी सिंचन क्षमता में कमी आती है, यह आपके नियोजन का दुष्परिणाम है ।

एक निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि 1978 में बाढ़ से 55 जिले प्रभावित हुये, 48,889 ग्राम प्रभावित हुये, 73-38 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई, कृषि क्षेत्र 39-29 लाख हेक्टेयर प्रभावित हुआ और 500 करोड़ रुपये की क्षति हुई। 1982 में 44 जिले बाढ़ से प्रभावित हुये, 33,459 ग्राम प्रभावित हुये, 55-38 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुयी, कृषि क्षेत्र 33-09 लाख हेक्टेयर प्रभावित हुआ और 585-68 करोड़ रुपयों की क्षति हुई । 1983 में 54 जिले प्रभावित हुये, 24 499 ग्राम प्रभावित हुये, 38·33 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई, कृषि योग्य भूमि 24-76 लाख हेक्टेयर प्रभावित हुई और 754·30 करोड़ की क्षति हुई । इसी प्रकार 1984 में 39 जिले प्रभावित हुये, 11,732 ग्राम प्रभावित हुये, 16-94 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई, कृषि क्षेत्र 10-41 लाख प्रभावित हुआ और 464 करोड़ रुपयों की क्षति हुई, 1985 में 55 जिले प्रभावित हुये, 27,113 ग्राम प्रभावित हुये, 40-28 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई, कृषि योग्य भूमि 24-19 लाख हेक्टेयर प्रभावित हुई और 1185-33 करोड़ रुपयों की क्षति हुई । इस वर्ष जो प्रदेश में बाढ़ आयी उसकी अनुमानित क्षति दो गुना से ज्यादा हो गयी है । मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके पास बाढ़ को रोकने की कोई योजना नहीं है । आप भारत सरकार से विचार विमर्श करके कोई मास्टर प्लान बनाये, बाढ़ से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, इतनी बड़ी कृषि भूमि का नुकसान हो रहा है । मैं तो यह कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इतने बड़े जनधन की हानि करने का दायित्व आपने अपने कन्धों पर लिया है ।

मैं निवेदन करूंगा कि आपने आज तक बाढ़ को रोकने के लिये कोई प्रभावी कार्य नहीं किया। भारत सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाई, उसमें अनुमान किया गया कि 15 सौ हजार करोड़ से पूरे देश की बाढ़ को रोका जा सकता है। यह मैं मानता हूं कि आपके आकड़ों में दर्शित 500 करोड़ रुपये से बाढ़ रोकी जा सकती है, लेकिन आप सिर्फ 14.99 करोड़ इस पर खर्च कर रहे हैं । मैं

कहना चाहता हूं कि आपको तो इस बाढ़ में डूब जाना चाहिये । जहां उत्तर प्रदेश में 1185 करोड़ का नुकसान हो रहा है और आप खर्च कर रहे हैं कुल 14.99 करोड़ रुपये । इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश के लिये दूसरा नहीं हो सकता है । यही कारण है कि जब तक आप कुर्सी कर बैठे रहेंगे, उत्तर प्रदेश में गरीबी रहेगी और सिंचन क्षमता की बढ़ोत्तरी नहीं होगी और कृषि उत्पादन का विकास नहीं होगा । आपकी योजनाएं सिर्फ राजनीतिक हितों के लिये चल रही हैं । आपके अधिकारी लगाम के बाहर हो गये हैं ।

अब मैं आपके विभाग की एनामली के बारे में कहना चाहता हूं। आपके यहां अभियंताओं के साथ ज्यादती हो रही है। सिविल और मैकेनिकल ट्रेड में यह एनामली दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ मान्यवर, 1973 में प्रोमोशन कर दिये गये और उस बैच के लोग सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर हैं। लेकिन 1964 के सिविल ट्रेड के लोगों को आज तक प्रोमोट नहीं किया गया है और वे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर भी नहीं बन पाए हैं । मैं कहना चाहता हूं कि इसमें एक नीति बननी चाहिये ट्रान्सफर और प्रमोशन के मामलों में। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कई स्थानों पर मेरे प्रश्नों पर सिंचाई मंत्री ने जवाब दिया है कि जिन अभियन्ताओं को प्रतिबंधित स्थानों पर भेजा गया था, उनमें से अब 33 को फिर भेज दिया गया है, दूसरी ओर जवाब देते हैं कि ऐसे लगभग 26 अभियन्ता हैं, जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली है, लेकिन इनके हितों का संरक्षण करने के लिये कभी प्रतिबंधित स्थानों पर एक दिन भी नियुक्त नहीं किया गया । मैं कहना चाहता हूं कि आपकी इस दुर्नीति की वजह से आप के विभाग में अराजकता है ।

अब आखिरी बात कह कर समाप्त करता हूं । आपका कैनाल एक्ट 18वीं सदी का है । अंग्रेज चले गये, लेकिन इनकी अंग्रेजियत नहीं । उस समय जमीदारी थी ।कमाण्ड एरिया छोटे थे । अब जो नहरें बनी हैं तो कमाण्ड एरिया बढ़ गये हैं, लेकिन उस क्षेत्र में किसान अपना नलकूप लगा लेता है वह दर्खास्त देता है कि उसे कमाण्ड एरिया के बाहर कर दो, तो आपके अभियन्ता वर्षों दौड़ने के बाद भी बाहर नहीं निकाल पाते हैं इसका कारण यह है कि इन्होंने कैनाल एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया । अट्ठारहवीं सदी का कैनाल एक्ट इक्कीसवीं सदी की ओर बढ़ रहा है ।मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इन बातों पर विचार करते हुए सिंचाई योजनाओं को ठीक प्रकार से नियोजित करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपका आभार प्रकट करता हूं ।

श्री समर पाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर प्रथम बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका माइक ठीक नहीं मालूम होता, आप आगे आ जाइये ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, शाही जी ने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए यहां जो आंकड़े प्रस्तुत किए, मैं नहीं समझ पाया कि कहां से आंकड़े लाकर उन्होंने प्रस्तुत किए। यह मेरे पास कार्यपूर्ति दिग्दर्शक संबंधी पुस्तिका भी उपलब्ध है ।

मान्यवर, मैं थोड़ी सी कृषि के बारे में जानकारी भी रखता हूं । मान्यवर, भारतवर्ष की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए 40 प्रतिशत से अधिक कभी भी सिंचन क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती है। पंजाब की परिस्थिति थोड़ी विशेष है लेकिन वहां भी 65 प्रतिशत क्षेत्रफल ही सिंचाई के नीचे आया हुआ है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार, वीर बहादुर सिंह जी की सरकार की मैं सराहना करता हूं कि 1985–86 में 49.07 प्रतिशत पर सिंचाई के आंकड़े ले आये हैं । मान्यवर, योजना काल के पूर्व यहां सिर्फ 27 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती थी । लेकिन, इस बीच में 68.09 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता सृजित की गई है। और इस तरीके से जो क्षमता आज हो गई है, उसके अनुसार 49.07 प्रतिशत पर सिंचाई हो रही है । उत्तर प्रदेश में पूरा कृषि क्षेत्रफल 172 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 74.82 दो फसली है । इस तरह से 247 लाख हेक्टेयर कूल कृषि योग्य भूमि है उसमें से 121.25 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है । मान्यवर, यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है । मान्यवर, इन आंकड़ों से यह साबित होता है कि सरकार सिंचन क्षमता के विकास के लिए कितनी जागरूक है ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि जितनी भी सिंचाई के साधन हो सकते हैं चाहे बड़ी नहरें हों, मध्यम योजनाएं हों, नलकूप हों या बेराज हो, कच्चे डैम हों, पोखरे हों–सरकार इनके प्रति जागरूक है और इन सबका भरपूर उपयोग इस प्रदेश की भूमि की सिंचाई के लिये किया जा रहा है।

मान्यवर, जो बड़ी नहरें बनती हैं, उसका उपयोग सिर्फ सिंचाई के ही लिए नहीं होता है । बल्कि विभिन्न योजनाओं के लिए वह सहायक सिद्ध होती है । जैसे, एक तो सिंचाई करती है दूसरे, उनके ऊपर अगर डैम बना सकते हैं जो बिजली भी उत्पादन कर सकती है । इसके अतिरिक्त बाढ़ भी रोकती है तथा जिस एरिया से वह नहर गुजरती है, वहां के सारे ट्यूबवेल कामयाब हो जाते हैं । मान्यवर, अगर सरकार निजी स्रोतों और छोटे साधनों पर ही ध्यान दे, तो काम नहीं चल सकता है ।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह कृषि प्रधान है और वहां प्रगतिशील खेती होती है । वहां अधिक नलकूप लगाये गये हैं, इसी कारण वह काला क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और यह कह दिया गया है वहां और नलकूप लगाना उचित नहीं है । मान्यवर, वहां भूमिगत पानी का लेबिल 10-12 फुट नीचे गिर गया है । अगर वहां होकर नहर जाती, तो सारे ट्यूबवेल कामयाब हो जाते । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बड़ी नहरें स्वतन्त्रता के पूर्व की थी, पंजाब से मुकाबला न करें । पंजाब से तो 5 बड़ी नदियां गुजरती हैं और ऐसे पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती हैं जहां इतना मजबूत पत्थर है कि वह पानी में घुलकर नहीं आता । वहां हर नदी पर डैम बन सकता है । लेकिन हमारे यहां हिमालय का वह भाग जहां नदियां निकलती हैं चाहे गंगा हो, यमुना हो अथवा रागगंगा आदि हो यहां का पत्थर इतना मजबूत नहीं सैन्ड स्टोन है जो पानी में एक पल में घुल जाता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदियों का बेड उथला हो गया है ।

सारा रेत पत्थर बहकर आया हुआ है। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितनी जगह नदियां उथली हो जाती हैं इसी कारण थोड़ी वर्षा से बाढ़ आ जाती है। सम्भवतः हमारे माननीय विरोध पक्ष के मित्रों को स्मरण होगा कि एक बार गंगा जी के मार्ग में थोड़ा सा पहाड़ गिर गया था जिससे पांच छः फिट नदी के पानी का स्तर ऊपर उठ गया था। परिणाम यह हुआ कि उससे इतना रेत आया कि ऊपर गंगा कैनाल रुड़की तक रेत से भर गयी थी जिसको साफ करने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करना पड़ा था इसके बावजूद भी सिंचन क्षमता कैसे बढ़े, हमारी सरकार उसके लिए जागरूक और प्रयत्नशील है। हमारी सरकार जानती है कि फर्टिलाइजर के बाद कृषि उत्पादन के लिए यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है तो वह सिंचाई है। हमारे मित्र श्री शाही ने आंकड़े दिए और उन्होंने कहा कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति आमदनी इसलिए कम है क्योंकि हमारे यहां सिंचाई कम होती है। मेरे ख्याल से उन्होंने जो यह बात कही वह सत्य नहीं है। प्रति व्यक्ति आमदनी पर प्रभाव उद्योग से भी जुड़ता है, जनसंख्या से और क्षेत्रफल से भी होता है। जैसे गुजरात में सिंचाई बहुत ही कम है लेकिन वहां पर प्रति व्यक्ति आमदनी सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां पर उद्योग बहुत है। महाराष्ट्र में भी प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत ज्यादा है सिंचित बहुत कम है हमारे विपक्षी मित्र साथी ने कहा कि निजी नलकूप से सिंचाई सबसे ज्यादा होती है। यह पता नहीं उनको कहां से यह मालूम हुआ।

मैं बताना चाहता हूं कि इस समय पूरी सिंचाई 121.23 लाख हेक्टेयर भूमि में होती है। उसमें से 95 लाख हेक्टेयर राजकीय स्रोतों से हो रही है और शेष 26 लाख हेक्टेयर निजी नलकूपों द्वारा हो रही है। निजी नलकूपों की क्षमता इतने क्षेत्रफल की सिंचाई करने को नहीं हो सकती है जितनी कि राजकीय साधनों से हो रही है। हमारे प्रदेश में 1930 के बाद नलकूप लगने शुरू हो गए थे। लेकिन अब वे बहुत पुराने हो गए हैं। मैं यों कहूं कि उनमें से अधिकांश बूढ़े हो गए हैं। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव के रूप में कहना है कि सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए वे इन पुराने राजकीय नलकूपों की नवीनीकरण की योजनाएं बनाएं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यह स्थिति नहीं होती है कि वह नलकूप लगा सके। इसी के साथ मैं सरकार का ध्यान बिजली की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। आज बिजली की बड़ी दुर्व्यवस्था है। माननीय शाही जी ने भी कहा कि क्षमता तो है लेकिन उस क्षमता का प्रयोग सही ढंग से नहीं हो रहा है। नहरों की पूर्ण क्षमता तो बरसात पर निर्भर करती है लेकिन जो हमारे राजकीय नलकूप हैं उनमें उचित मात्रा में बिजली न मिलने के कारण या जल्दी-जल्दी ट्रिपिंग हो जाने के कारण क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। यदि सरकार आश्वस्त होना चाहती है कि कृषि उत्पादन बढ़े तो मेरा कहना है कि नलकूपों की बरीयता के आधार पर बिजली दी जाय।

मान्यवर, मैं अब अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। बिजनौर में गंगा जी के ऊपर बैराज बनाया गया है जिसमें से मध्य गंगा कैनाल निकलती है। उसका उद्देश्य सिर्फ बाढ़ को रोकना है। उसमें डैम नहीं बन सकता है बैराज से पश्चिम की ओर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़ को यह नहर जाती है लेकिन दुर्भाग्य है कि पूर्व की तरफ यहां से कोई भी नहर नहीं निकाली गई हैं इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवे-

दन है कि बिजनौर बैराज के पूर्व तरफ भी एक नहर निकाल दी जाय जिसमें बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं और अन्य नीचे के जिले सिंचित हो सकें आगामी वर्ष के बजट में इस बात पर अवश्य विचार किया जाय और सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पूर्व ही यह नहर बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं श्री शाही जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। निवेदन करना चाहता हूं कि जल स्रोत के दो मुख्य स्रोत हैं एक ऊपरी सतह का पानी और दूसरा भूगर्भ का पानी। यह दो ही स्रोत हैं जिनके जरिये सिंचाई का कार्य किया जा सकता है। आज जो प्रदेश की हालत है उस हिसाब से जो सिंचाई क्षमता होनी चाहिये, नहीं है। यदि माननीय इन्दिरा कांग्रेस के विधायकों को अपनी पार्टी के घोषणा-पत्र का ध्यान हो, खासकर अपने बिजनौर के साथी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी पार्टी के घोषणा-पत्र में था कि हर खेत को पानी देंगे और आपके मुखारविन्दु से यह सुनते हैं कि सिंचाई क्षमता अनेक कारणों से नहीं बढ़ाई जा सकी तो तकलीफ होती है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, जो आपने पुस्तिका प्रकाशित की है, इसमें लिखा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है, परन्तु इसकी क्षमता उत्पादन की क्षमता का वांछित प्रयोग इसलिये नहीं हो पाया कि हमारे पास पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई के साधनों का अभाव है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों के अभाव को जब स्वीकार करते हैं तो उत्पादन की पूरी क्षमता का पूरा प्रयोग करने के लिये आपने कौन-कौन से उपाय किये हैं? आप दो-तीन बातों के बारे में बताइए–किशाऊ बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना ताजेवाला और आखला बांध परियोजना। आपकी तीनों परियोजनाओं में जो पानी है जो योजना है, वहां का अधिकतर पानी हरियाना को और आखला का पानी भी हरियाना को चला जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी उसके हिस्से का पूरा नहीं आ पाता है। आगरा कैनाल के रिमोडलिंग को 1990 तक का आपने प्रस्ताव कर दिया है कि आगरा कैनाल का रि-माडलिंग करके 1990 तक पूरा करेंगे। 1990 की आपने सीमा बांधी है। इस रि-माडलिंग को जल्द से जल्द कराकर, दो साल में कराकर आगरा का जो पश्चिमी इलाका है, जहां खारा पानी है, उस इलाके को सरसब्ज कर दीजिये। उस नहर को रि-माडलिंग कराने के लिये जल्द से जल्द पानी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

आपने अपने भाषण में चम्बल लिफ्ट योजना का कोई जिक्र नहीं किया। जनता पार्टी के शासन काल में, जो सबसे पिछड़ा इलाका है वहां पर चम्बल लिफ्ट योजना लगायी गयी। उसके बाद से अभी तक एक इंच भी काम नहीं बढ़ा है। वहां पर एक भी इंजीनियर नहीं रहता है। मेरी मांग है कि उस चम्बल लिफ्ट योजना को जल्द से जल्द चालू करायें। उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों को दंडित करें।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गंगा की कैनाल देते हैं, वह

सब पानी आगरा के पास फिरोजाबाद एत्मादपुर तहसीलों और शिकोहाबाद आते-आते इनका जल स्रोत सूख जाता है और इन नहरों की टेल पर हमें पानी सिंचाई को नहीं मिल पाता है, झूठी आबपाशी देनी पड़ती है बड़ी विडम्बना है, नहर की सूखी पड़ी टेलों पर पानी के लिए जब आपके लोग तार देते हैं, रेडियोग्राम भेजते हैं कि हमारे यहां नहर नहीं आ रही है तो आप आबपाशी लगा देते हैं। जब नहर में पानी नहीं है तो मेरी प्रार्थना है कि उस समय आप आबपाशी न लगाया करें तो ज्यादा अच्छा हो। जब गूलें सूखी पड़ी हुई हैं तो किसान बेचारे दूसरों के ट्यूबवेल से पानी लेते हैं तो आप वहां शामिल बरहा आबपाशी लगा देते हैं,, तो आप उसको न लगाया करें। यहां माननीय कृषि मंत्री जी पर बराबर यही आरोप लगाया जाता है कि शामिल बरहा आबपाशी की वजह से दलहन का नुकसान होता है और दलहन की उपज ज्यादा नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि यह विसंगतियां आपके रहते नहीं होनी चाहिये । आपने अभी गूलों के बारे में कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि गूलों के निर्माण के बारे में आपके पास गलत आंकड़े हैं। इसी प्रकार से चक रोड़ के निर्माण के संबंध में भी आपके पास गलत आंकड़े आते हैं । मैं आपको बतलाता हूं कि आगरा एतमादपुर, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मैनपुरी में कहीं भी चक बने पर चक रोड नहीं है। आपके मानक के अनुरूप किसी गूल का निर्माण नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि आप इसके लिये एक जांच कमेटी बनाये जो कि इसका सही सर्वेक्षण करे ताकि धन की बर्बादी बचे और दोषियों को दंडित किया जाय।

बाढ़ के मामले में आपने अभी देखा कि हिन्दुस्तान के नक्शे में हमारे प्रदेश की स्थिति जो है वह 31.3 प्रतिशत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बाढ़ को स्थिति 23 प्रतिशत क्षेत्रफल और 24 प्रतिशत आबादी को प्रभावित करती आती है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हो रहा है। देश भर में जहां-जहां प्रदेशों में मानक सबसे ऊंचा चल रहा है उसमें बाढ़ आती है उसमें हमारे यहां का सातवीं पंचवर्षीय योजना में बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए आपने जो प्लानिंग की है उसके संबंध में मैं दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा । मेरी प्रार्थना है कि जहां पर बाढ़ का पानी बहुत जोर से आयेगा, जहां वर्षों से नुकसान हो रहा है बाढ़ के जरिये से, उन गांवों को आप ऊंचे स्थान पर बसाने को लायें और खेतों में जो कटान हो जाती है उसको रोकने के लिये आपके पास पहले से सूचना होनी चाहिये। तो आप गांवों को ऊंचे स्थान पर लायें और बरसात में खेत की कटान को रोकने के लिये कार्यवाही त्वरित गति से होनी चाहिये।

हमारे प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका एकदम से संहार का काम करती है । आपने जो बांध बनाये हैं जैसे जमुना बांध, ताजेवाला बांध, किशऊ बांध, यहां जल संचय की क्षमता को बढ़ा कर बाढ़ को रोकने का काम करना चाहिये।

आपका एक महकमा है जो कि पानी के स्तर की नाप-जोख करता रहता है और नदियों में जल स्तर के बढ़ने की सूचना देता है। लेकिन जब बाढ़ आती है तो इस महकमें के द्वारा आपके पास

कोई पूर्व सूचना नहीं आती है। आपको अपने इस विभाग से कोई सूचना नहीं मिलती है जिसके कारण आपको पूर्वाभास नहीं हो पाता है। सन् 1978 में जब बाढ़ आयी तो आपके इस महकमें ने आपको सूचना नहीं दी थी। इस लापरवाही का मूल कारण है कि आपके अधिकारी अपने काम के अलावा भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, इसलिये आये दिन ऐसी घटनायें होती रहती है और बाढ़ की विभीषिका से ग्रसित होते रहते हैं और जन-धन की हानि उठानी पड़ती है। इस कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं। इस विभाग को सुदृढ़ किया जाये। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग द्वारा आगरा लिंक कैनाल का निर्माण कराया गया और उसमें जब पहले दिन ही पानी छोड़ा गया, उसी दिन पानी से नहर टूट गयी और मदनपुर इलाके में हानि हुई। कितना भ्रष्टाचार है, आपके विभाग में और माननीय मुख्य मंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ डंका पीट रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं। यह तो उसी तरह से है जिस प्रकार से लड़के धूल में लट्ठ मारते हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके ही कार्यकाल में जिस दिन टेस्ट के लिये पानी छोड़ा गया, उसी दिन नहर टूट गयी और उससे लाखों लोग बरबाद हो गये। मैं जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की है। उसमें घटिया किस्म का सामान लगा देने से यह घटना घटी। आपने इंजीनियरों और उन ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की, जिसने खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया। ठेकेदारों ने जो खडंजा लगाया, वह ठीक नहीं था, जो सीमेंट का प्रयोग किया वह सही नहीं थी, क्या आपने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जिसकी देख-रेख अधिकारियों ने की आप को इन लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करनी चाहिये थी वह नहीं की गयी। क्या आप इसे स्पष्ट करेंगे?

मान्यवर, अब मैं दो तीन सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर, इनका जो राजकीय नलकूप विभाग है, वह बड़ा भ्रष्ट विभाग है। एक-एक आदमी जानता है कि राजकीय नलकूप बन्द रहते हैं। जिस दिन से वह चलता है, दूसरे दिन से खराब हो जाता है। मशीन खराब हो जाती है। इनके पास जो मिस्त्री हैं वह जाते नहीं हैं जो उसको ठीक कर सके। मैं कहना चाहता हूं कि इनके 70 प्रतिशत नलकूप खराब पड़े हुये हैं। उनकी गूलें ठीक नहीं हैं। मान्यवर, मैंने 1978 में चीफ इंजीनियर को अपने यहां पर ले गया था और वहां का सर्वे कराया था और सैम्पल सर्वे कराया गया और सैम्पल को रुड़की टेस्ट करने के लिये भेजा गया था, परन्तु उसमें क्या हुआ, उसका परिणाम आज तक नहीं आया है और कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, गूलों के निर्माण में जो सीमेंट लगाया जाता है, उसकी जगह पर रेत लगा दिया जाता है। मान्यवर, इसकी जांच करायी जानी चाहिये। अगर इनका नलकूप 10 एकड़ के लिए पानी देता है तो यह 100–150 एकड़ बता देते हैं। इनका जो मटेरियल होता है, वह घटिया किस्म का होता है। यह किसानों के लिये सर दर्द बन गया है, एक भी कूप चालक वहां पर नहीं रहता है फिरोजाबाद में एक कूप चालक राजेन्द्र सिंह सेंगर हैं, उसने काश्तकारों की जमीन को बटाई ले रखा है। वह पानी देगा,

इसलिये लोगों ने उसको अपनी जमीन बटाई पर दे दी है। उसके खिलाफ शिकायतें हुईं, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। वह बटाई का पैसा लखनऊ भेजता है, इसीलिये कोई कार्यवाही नहीं होती है। मान्यवर, यह विभाग भ्रष्टाचार से आत-प्रोत है। मान्यवर, पश्चिमी क्षेत्र की घोर उपेक्षा की जा रही है, नहरें वहां पर नहीं हैं, इस कारण जो वहां की भूमि है, उसकी पूरी क्षमता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहां की भूमि का पूरा उपयोग करने के लिए कोई साधन लगाये जायें तो प्रदेश का बड़ा कल्याण होगा।

श्री गजराज राम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में सिंचाई के बजट पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी तथा सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं। मान्यवर, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है। एतिहासिक रूप से मैं आपका ध्यान कुछ बिन्दुओं पर केन्द्रित करना चाहता हूं। मान्यवर, भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। यहां कृषि के लिए सिंचाई की अति आवश्यकता है। जैसा कि सर्वविदित बात है कि सिंचाई से ही हम कृषि में प्रगति ला सकते हैं। हमारे देश की आबादी की 80 फीसदी जनता कृषि पर निर्भर करती है। कृषि जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक यह मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपका ध्यान पुनः इन बिन्दुओं से जोड़ना चाहता हूं कि सिंचाई की प्रगति कैसे हो। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने इस बजट में यह दिखाया है कि हम तमाम नहरों का जाल बिछाकर तमाम ट्यूबवेल लगाकर सिंचाई के निमित्त विकास कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से, कई बजटों में यह दिखाया गया है कि नहरों के जरिये, ट्यूबवेल के जरिये, पम्प कैनाल के जरिये हम हरितक्रान्ति का शुभारम्भ करेंगे। हमारे युवा नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने यह कहा है कि हम हर किसान को हर घर को पानी की सुविधा देंगे जिससे हम हरितक्रान्ति प्रदेश दिखायेंगे और चौमुखी विकास करेंगे। ऐतिहासिक तौर पर आज से कई सौ हजार वर्ष पहले हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी जो कि सिंचाई मंत्री भी हैं उन्हीं के पूर्वज अपने सतत प्रयास से अपनी तपस्या से गंगा जी को अपने कमंडल से इस धरती पर लाये थे। तो मान्यवर, मैं आपका ध्यान उस ऐतिहासिक घटनाक्रम से जोड़ना चाहता हूं। उन्हीं के बंसज माननीय सिंह साहब अपने इस उत्तर प्रदेश की धरती पर गंगा जी की अविरल धाराओं का प्रवाह किया है। इस प्रवाह से चारों तरफ आप देखते हैं कि हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है और चौमुखी विकास हो रहा है। हम आज इसे अतिश्योक्ति तो नहीं कह सकते हैं। बल्कि आज हम खाद्यान्न के ऊपर आत्म निर्भर नजर आ रहे हैं और खाद्यान्न बाहर भेज रहे हैं। हम इस बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए अपने सीमित साधनों द्वारा खाद्यान्न को अधिक से अधिक पैदा करके अपनी जनता की आवश्यकता पूरी कर अन्य को भी भेज रहे हैं।

मैं आपका ध्यान अपने जनपद जौनपुर के कैराकत क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं जहां सघन आबादी है वहां की 80 फीसदी जनता पढ़ी-लिखी है लेकिन खेती के मामले में बहुत पिछड़ी हुयी है और साधन का अभाव है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि हमारे

यहां केराकत तहसील मुख्यालय है वहां के लोग पढ़े-लिखे हैं, पर सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण कृषि में पिछड़े हुए हैं। इसके लिए जब कि शासन की मंशा यह है कि चौमुखी विकास हो। जैसा कि शारदा सहायक खंड 36, एवं शारदा सहायक खंड 38 के नहरें वहां चलायी गई हैं, कहीं-कहीं पर यह नहरें खोद तो दी गयी हैं लेकिन पानी के मामले में बिल्कुल नाकामयाबी है। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि नहरों की फिर से खुदाई हो और पानी की सुविधा गांव तक, ग्रामीण अंचलों में दूर-दराज तक की जाय। इन नहरों पर बने पुलों का स्लेप नहीं पड़ा है जो अभी अधूरा है।

दूसरी बात मैं बाढ़ के सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं। अभी पिछले कुछ ही दिनों में माननीय मुख्य मंत्री जी, सिंचाई मंत्री जी और उनके बहुत से अफसरान जौनपुर जनपद बाढ़ के सिलसिले में गये थे। जैसा कि आपको विदित है वहां पर एक माह तक पूरा जल से एवं बाढ़ से चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुयी थी और जनमानस अस्त व्यस्त था। मुख्य मंत्री जी ने वहां जाकर आश्वासन दिया कि इस बाढ़ के नियंत्रण के लिये कोई ठोस कदम उठा-कर कोई बन्धा जैसी परियोजना लगाई जायेगी और जन मानस को राहत दी जायेगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस जौनपुर जनपद को बाढ़ से बचाने के लिए यही उपयुक्त कदम होगा और इसके निमित्त अति-शीघ्र कार्य शुरू किये जायं। सिंचाई के लिये ट्यूबवेल जो चलाये जा रहे हैं वे पुराने हो गये हैं उनका रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य सुचारु रूप से चलाया जाय और कुछ नये ट्यूबवेल और नहरें निकाली जायं जैसा की अमरोहा माइनर की खुदाई बाकी है उसे खुदवाने की कृपा करें। इससे जनमानस में एक उत्साह पैदा हो और कृषि में प्रगति हो। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। जयहिन्द, जय भारत।

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं शाही जी के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे इस पर बोलने के लिये समय दिया उसके लिये आपको धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने पढ़कर जो बजट प्रस्ताव रखा है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। मान्यवर, सिंचाई विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। कृषि प्रधान देश में जहां पर कि 80 प्रतिशत से अधिक आबादी के लोग खेती पर निर्भर रहते हों वहां पर सिंचाई के अभाव में किसान परेशान घूम रहा है। अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ योजनाओं का वर्णन किया और कहा कि हम नहरों की सफाई और पम्पों की सफाई में पैसा लगा रहे हैं। यदि मान्यवर, मौके पर देख लिया जाय तो पम्प और नहर जहां पर घास खड़ी हुई है वहां पर सफाई के नाम पर पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। पैसा निकाल लिया जाता है और फर्जी ठेकेदारों के नाम पर अधिकारी लोग किस तरह से मौज ले रहे हैं, यह देखकर आप हैरत में पड़ जायेंगे। मान्यवर, आपके विभाग में नहरें हैं, बम्बे हैं उनकी देखरेख के लिये मेरा सुझाव मंत्री जी को है कि उनके विभाग में पैसा खर्च करने के लिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत है लेकिन अधिकारियों को उसकी देखरेख के लिये केवल एक ही जीप हर जिले में दे रहे हैं। जिससे अधिकारी लोग उसकी देख-रेख नहीं कर पाता है जीप के अभाव में। इसलिये मेरा सुझाव है कि इतने बड़े डिवीजन में कम से कम तीन जीपों का प्राविधान होना चाहिये।

इसके अलावा मेरे क्षेत्र में जिसमें कई नदियां हैं, बीहड़ों का इलाका है वहां पर ट्यूबवेल मुहैया नहीं किये गये हैं, नहरों का निर्माण हो नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी तो इस सम्बन्ध में सदन में हैं, नहीं, जब वे सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने हमारे यहां लिफ्ट योजना बनाने का उद्घाटन किया था। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जहां पर ट्यूबवेल साकार सिद्ध नहीं हो सकते, नहरें नहीं बनायी जा सकतीं, वहां पर लिफ्ट परियोजनाओं का निर्माण कराया जाय जिससे सिंचाई हो सकती है। इसके अलावा एक सुझाव यह है कि जहां छोटी-बड़ी नदियां हैं जहां ट्यूबवेल कामयाब नहीं हो सकते वहां पर बड़े-बड़े तालाब बना दिये जायं उनमें पानी भरकर पम्प सेटों से सिंचाई हो सकती है।

(1 बजकर 20 मिनट)

सिंचाई विभाग के जो कर्मचारी जैसे सींचपाल आदि हैं वे बिना सिंचाई के ही किसानों के नाम आबपासी भर देते हैं और जब किसान प्रार्थना-पत्र देता है कि मेरे ऊपर सिंचाई का पैसा लगा दिया है तो उसमें लेन-देन होता है। तो माननीय मंत्री जी इसको रोकें एसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें जिससे किसानों को बचाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय शाही जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात खतम करता हूं।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

मान्यवर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सिंचाई के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं इसका समर्थन करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र 294.41 लाख हेक्टेयर है जिसमें 203 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। इसमें से 172.25 लाख हैक्टेयर पर खेती होती है जिसमें 74.82 लाख हेक्टेयर दो फसली है। इस प्रकार 247.07 लाख हैक्टेयर कुल बोया गया क्षेत्रफल है। सब सिंचाई साधनों द्वारा योजनाकाल से पूर्व 27 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होती थी जो आज बढ़ कर 68.33 लाख हेक्टेयर हो गयी है।

सिंचाई के महत्व को देखते हुए नियोजन काल में राजकीय सिंचाई साधनों के तीव्र विकास का प्रयास किया गया। योजनाकाल से पूर्व इन साधनों से सिंचन क्षमता 28.67 लाख हैक्टेयर थी। प्रथम योजना काल में 37.57 द्वितीय में 44.62 तृतीय योजना काल में 51.67 चतुर्थ योजना काल में 60.84 पंचम योजना काल में 78.52 और छठी योजना के अन्त तक 102.13 लाख हेक्टेयर हो गयी।

राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से हट कर राजकीय सिंचाई कार्यों के निर्माण की नीति के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त भागों में आवश्यकतानुसार सिंचाई कार्यों का निर्माण लागू किया गया। राजकीय सिंचन क्षमता योजना काल से पूर्व तथा 1985-86 तक पर्वतीय क्षेत्र में 16.20

हजार हैक्टेयर से बढ़ कर 179.79 हजार हैक्टेयर हो गयी, पूर्वी क्षेत्र में 100.70 हजार हैक्टेयर से बढ़ कर 4012.96 हजार हेक्टेयर हो गयी, पश्चिमी क्षेत्र में 1920.50 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 3537.76 हजार हेक्टेयर हो गई मध्यवर्ती क्षेत्र में 602.10 हजार हैक्टेयर से बढ़ कर 1864.23 हजार हैक्टेयर हो गई, बुन्देलखण्ड में 227.20 हैक्टेयर से 644.00 हजार हेक्टेयर हो गई है। तो इस प्रकार योजना काल में सिंचन क्षमता में 39 परसेंट की वृद्धि हुई है। राजकीय सिंचाई साधनों की क्षमता में योजना काल में 3 गुना अधिक वृद्धि हुई है।

इसी तरह नहरों की लम्बाई 30869 किमी0 से बढ़कर 57800 किमी0 हुई है तथा ट्यूबवेल 2305 से बढ़कर 24426 हुये हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि सिंचाई के साधनों में हर प्रकार से वृद्धि हुई है। इससे हमारा हरित क्रान्ति का लक्ष्य पूरा हुआ है और खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है। परन्तु इस बढ़ोत्तरी के साथ-साथ जो कुछ हुआ है उसमें अभी बहुत कुछ होना है। फिलहाल प्रदेश में छठी पंच वर्षीय योजना के अंत तक 6 प्रमुख 6 मध्यम प्रोजेक्ट का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 60 प्रमुख तथा मध्यम प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य हो रहा है। सातवीं योजनाकाल की अवधि में 21 प्रमुख तथा 31 मध्यम प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा।

मान्यवर, यह देखा गया है कि इन परियोजनाओं पर शुरू में जो खर्च का अनुमान किया गया था वह निर्धारित समय के अन्दर पूरी नहीं हुई जिससे खर्च बढ़ गया है। इसका उदाहरण दूंगा कि शारदा सहायक पर प्रस्तावित खर्चा एक अरब से बढ़कर 4 अरब रुपया खर्च हो गया। इसी तरह 1961 में राम गंगा परियोजना शुरू हुई तो प्रस्तावित खर्चा 66 करोड़ रुपय का था तथा 1968 में कार्य पूरा होना था जो नहीं हुआ और 1983 में 167 करोड़ रुपये खर्च के बाद 1985 में कार्य पूरा हुआ। इसी तरह से टिहरी की परियोजना प्रारम्भ में जो इसका अनुमान था वह 167 करोड़ रुपये था जिस पर 168 करोड़ रुपये खर्च हो गया है और अब जो अनुमान तैयार किया गया है वह लगभग 8 अरब रुपये का है। कार्य 1990 तक भी पूरा नहीं हो पायेगा और 15 अरब रुपये खर्च करना होगा। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस परम्परा को आपको रोकना होगा। मेरा सुझाव है कि टाइम-बाउन्ड प्रोग्राम बनायें और कार्य समय पर पूरा न होने पर सम्बन्धित अधिकारी को उत्तरदायी होना चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि प्रोजेक्ट मानेटरिंग सेल की स्थापना की जाये जो सरकार को समय-समय पर प्रत्येक प्रोजेक्ट की प्रगति से अवगत करा सके। चूंकि छोटी सी लापरवाही से योजनाओं के निर्माण में देरी होती है तथा खर्च बढ़ जाता है।

इस सम्बन्ध में मैं उदाहरण दूंगा कि मध्य गंगा नहर की लखावटी ब्रांच के निर्माण हेतु 3 हजार एकड़ भूमि का एक्वायरमेंट होना है। इस कार्य को पूरा करने के लिये बुलन्दशहर में केवल एक एस एल ए ओ है। एक एस एल ए ओ यदि पूरा परिश्रम करे तो 600 एकड़ भूमि के एक्वायरमेंट के कागजात किसानों के तैयार कर सकता है प्रतिवर्ष इस प्रक्रिया के बगैर ज़मीन नहर की खुदाई के लिए उपलब्ध नहीं हो सकती। जिला प्रशासन 2 एस एल ए ओ की मांग साल भर से कर रहा है। नहर की खुदाई में देरी हो रही है। प्रोजेक्ट की लागत बढ़ रही

है 2 एस एल ए ओ बुलन्दशहर तुरन्त पोस्ट कराये जायें।

मान्यवर, नहर तथा रजबहों के संबंध में कहना चाहता हूं कि इनमें रेत के भरने से सिंचाई क्षमता में कमी आ गयी है, इसलिये इनकी सफाई करायी जानी चाहिए। मेरे क्षेत्र की अनूपशहर ब्रांच नहर तथा इससे सम्बन्धित किठोर, बहादुरगढ़, एल0 पी0 गढ़ रजबहों की रेत की सफाई कराई जाय। इसके साथ मैं यह भी सरकार से मांग करता हूं किठौर बहादुरगढ़ रजबहों को ए0 बी0 कैनाल से सीधा जोड़ दिया जाय। मान्यवर, सफाई और मरम्मत में प्रति-वर्ष काफी धन आवंटित होता है लेकिन इसका दुरुपयोग होता है, इसलिये मेरा सुझाव है कि प्रत्येक सब-डिवीजन में जांच होनी चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में किस किस ठेकेदार के नाम कितने वर्क आर्डर किस-किस कार्य के लिए हुए जिससे सही तस्वीर सामने खुद आ जायेगी कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं। इसी के साथ मेरी यह भी मांग है कि प्रत्येक अवर अभियन्ता आदि की संपति की जांच होनी चाहिए जैसे कि माननीय सदस्यों की संपति इसी प्रकार प्रत्येक अभियंता की संपति का डिस्क्लोजर कराया जाय और यदि किसी अभियन्ता ने सरकारी पैसे की लूट से सम्पत्ति अर्जित किया है तो वह जब्त होनी चाहिए।

मान्यवर, हमारे यहां एक एक बूंद पानी का अनमोल मूल्य है इसलिये अनूप-शहर ब्रांच से सम्बन्धित रजबहों तथा गूलों की बिरल लाइन होनी चाहिए। मान्यवर, अंग्रेजी दौर से प्रथा चली आ रही है कि रजबहों की पटरी को काटने से रोकने के लिए तवान एक तरीका है। पटरी काटने के जुर्म में किसान से लगान का 20 गुना वसूल किया जाता है। तमान सींचपाल का हथियार किसानों को लूटने का हो गया है। इसलिये मांग है कि तवान समाप्त होना चाहिए और सुझाव है कि केनाल मजिस्ट्रेट होने चाहिए जो पुलिस बल के साथ रजबहों की पेट्रोल करके देखें और उनको अधि-कार मिलने चाहिए कि कटान की सूचना पर मौके पर ही निर्णय लेकर मामले को समाप्त करें।

इसके साथ ही मेरी यह भी सरकार से गुजारिश है कि जितनी नई परियो-जनायें ली जानी हैं उनमें जरूरी है कि सभी पटरियों पर पक्की सड़क का निर्माण होना चाहिए। अनूपशहर ब्रांच और गंगा नहर की सड़कों में निर्माण कार्य हुआ है, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं होती। साथ-साथ मेरा सुझाव है कि यह सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई जानी चाहिए। साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में अनूपशहर ब्रांच पर माकड़ी से ऊंचागांव तक की सड़क की तुरन्त मरम्मत कराई जाए। साथ ही हमारे यहां रानापुर, नरेन्द्रपुर तथा भगवन्तनगर ग्रामों के सामने पुल बनने चाहिए। अनूप-शहर ब्रांच के थर्ड डिवीजन के स्थानों या बुलन्दशहर तुरन्त शिफ्ट कर दिया जाये। भाइकाऊ, भगवन्तपुर नाले का निर्माण तुरन्त हो तथा 25 नलकूप (राज्य) का कलक्टर सुल्लौ से वासी के गंगा के खादर से स्वीकृति दी जाय (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें आपका समय बिलकुल समाप्त हो गया है अब आपके लिए समय नहीं है।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिंचाई के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, मैं श्री सूर्य प्रताप शाही जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह समर्थन करने के लिए कई कारण हैं। इन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव में बहुत सी बातों का उल्लेख कर दिया है। मैं मंत्री जी का ध्यान केवल एक विशेष बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सिंचाई विभाग को जल चाहिए और जल हमारे लिए बरदान बनना चाहिए। लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में यह जल हमारे लिए अभिशाप बन रहा है। इस जल का यदि सही नियोजन हुआ होता, तो उत्तर प्रदेश में भगवान की ओर से बरदान बने जल का समायोजन किया गया होता, तो आज न पानी की कमी होती, न बिजली की कमी होती और उत्तर प्रदेश जिस बर्बादी से गुजर रहा है, उससे बच गया होता। मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें और 39 वर्ष जो आजादी के गुजरे हैं, उसमें से तीस वर्ष बाढ़ की विभीषिका तबाही में गुजरे है और केवल 9 वर्ष ऐसे बचे है, जिनमें बाढ़ नहीं आई है। इस बाढ़ से हुई भीषण क्षति को देखा जाए जो प्रतिवर्ष हुई है तो तीन अरब से ग्यारह अरब तक की क्षति इन 30 वर्षों में हुई है। इस प्रकार 1 खरब 50 अरब रुपये की क्षति बाढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश में अब तक हो चुकी है। यही क्षति नहीं है, बाढ़ रोकथाम में, बाढ़ बचाओ कार्य में बन्धे और ठोकरें बनती हैं, यह अलग खर्च है। वह खर्च भी 90 अरब के करीब आया है। 30 वर्षों में बाढ़ में केन्द्रीय और प्रदेशीय सरकार ने जो खर्च किया है वह 90 अरब है और क्षति 1 खरब 50 अरब रुपयों की है। यह 2 खरब और 50 अरब हमारा मिट गया। लेकिन मंत्री जी ने और सरकार ने चाहा होता तो बाढ़ नियंत्रण का कोई स्थायी हल निकाला गया होता और इस स्थायी हल को निकालकर इन नदियों के जल को समायोजित करके सिंचन क्षमता बढ़ जाती, बिजली उत्पादन बढ़ जाता और बाढ़ से होने वाली विनाश लीला रुक जाती और साथ ही हमारी आमदनी भी प्रति व्यक्ति बढ़ जाती, खाद्यान्न के मामले में देश आत्म निर्भर हो जाता और उत्तर प्रदेश पिछड़ा प्रदेश न रह जाता। मैं एक निवेदन यह करूंगा कि जो कुछ भी बाढ़ और ठोकर के कार्य में धन जा रहा है, उसका 40 प्रतिशत बिचौलिये ही बांट कर खा जाते हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जैसे प्रस्ताव आता है बन्धे, नहर और ठोकर बनाने का, तो क्यों नहीं आप इन अधिकारियों को मजबूर करते कि वह ऐसा प्लान बनाकर लायें जिससे बाढ़ के नियंत्रण का स्थायी हल निकल सके और उस पर सरकार मंजूरी दे। वह सोचते हैं कि स्थायी हल हो जाएगा तो हमारा चरागाह चला जाएगा। मान्यवर, अगर बाढ़ नियंत्रण का हल हो गया तो बंधे और ठोकर नहीं बनेंगे और राहत के काम नहीं होंगे जिससे प्रदेश में 40-50 प्रतिशत की जो बीच में लूट होती है वह बन्द हो जायगी इस लिये बाढ़ समस्या का स्थायी हल नहीं निकाला जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि आप माननीय जयसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट को देख लें। बाढ़ नियंत्रण के बारे में उसमें स्थायी हल दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो कार्यकारी दल बनायें। एक गंगा, यमुना, गोमती बेतवा, के लिये और दूसरा कार्यकारी दल राप्ती, बूढ़ी रांप्ती, सरयू और गंडक के लिये।

(इस समय 1 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी पीठासीन हुए)

इन चार, चार नदियों के श्रोत एक जगह है। तो इस प्रकार से दो कार्यकारी दल बनायें और माननीय जयसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने बाढ़ के लिये जो स्थायी हल निकालने के लिये 4 सुझाव दिये हैं उनका पालन करने के लिये कार्यकारी दलों को मजबूर करें कि इनको वह लागू करें। मैं आशा करता हूं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो 2 खरब, 50 अरब रुपया जो बरबाद हुआ है जिससे उत्तर प्रदेश की जनता की तरक्की हो सकती थी उस रुपए की बरबादी नहीं होगी। इस आयोग ने कहा है कि इन नदियों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाय। रेगूलेटर गेट लगाये जायं जिनसे जल को नदी में जाने से रोका जाय और जितना जल जाना चाहिये उतना ही जाने दिया जाय। सरप्लस जल को डाइवर्ट किया जाय और जल को घुमाव देने के लिये चैनल गेट बनाये जायं, नदियों को चौड़ा किया जाय। तो जब तक यह कार्य नहीं किया जायगा तब तक बंधे बनते रहेंगे, नहरें बनती रहेंगी, उनका कोई फायदा नहीं होगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल की बड़ी चर्चा हुयी। नेपाल से हमारे सम्बन्ध खराब हो चुके हैं। नेपाल के सहारे यह बाढ़ नियंत्रण का प्लान नहीं पूरा होगा। अच्छा होगा कि जहां उत्तर प्रदेश की धरती पर वहां से नदियां आती हैं वहां पर बांध बनाये जायं और पानी रोका जाय। पिछली बार इसी सदन में तत्कालीन मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने मेरे प्रश्न के बारे में स्वीकार किया था कि उत्तर प्रदेश की इन नदियों का धरातल ऊंचा हो गया है इनकी भराई होनी चाहिये लेकिन पैसा नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि इन नदियों के धरातल उथले हो गये हैं इनकी भराई की जाय और खुदाई करवायें ताकि बाढ़ की समस्या का स्थायी हल निकल सके और प्रति वर्ष प्रदेश में जो इतनी बड़ी बरबादी होती है उसको बचाया जा सके। एक निवेदन और करूंगा। सिंचाई मंत्री जी ने जब बजट रखा तो कहा कि ड्रेन निकाले जा रहे हैं तो मैं अपने यहां के एक ड्रेन का उल्लेख करना चाहूंगा। मेरे यहां बस्ती में बांसी निर्वाचन क्षेत्र में कौवा नाम की एक ड्रेन है। यह कौवा ताल से होकर जाता है। लेकिन वह ड्रेन मौत का घाट बनी हुई है। इससे 70 गांवों की फसलें डूब जाती हैं। रबी की बुवाई के पहले जल निकासी नहीं हो पाती है। मैं कहना चाहता हूं कि इस ड्रेन से ताल में पानी जाने से रोका जाय ताकि हर वर्ष जो फसल की बर्बादी होती है और रबी की फसल की बुवाई नहीं हो पाती उससे छुटकारा मिले। सरयूपार, एक सरजू नहर निकाली जा रही है। बहराइच, गोंडा होती हुयी यह बस्ती आ रही है। तो इससे बड़ी तबाही होगी। छोटे-छोटे किसान तबाह हो जायेंगे। आपकी यह जो सिंचाई विभाग की कार्य प्रगति की पुस्तिका है इसके पृष्ठ-11 को देखें जिसमें लिखा गया है कि योजना काल के पूर्व इस क्षेत्र में कोई विशेष राजकीय सिंचाई कार्य नहीं थे जिसका मुख्य कारण यह था कि अधिकतम भाग में भू-गर्भ जल स्तर ऊंचा होने के कारण नहरों से सिंचाई उचित नहीं समझी गयी। पक्के एवं कच्चे कुयें और कुछ जमींदारी नहरें इस क्षेत्र के मुख्य सिंचाई के साधन थे। योजनाकाल में इस क्षेत्र में कुछ सिंचाई की नहरें जैसे रामगंगा, कुआनों बखीरा, नारायणी, गंडक और

बड़ी मात्रा में राजकीय नलकूप निर्मित किये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरयू नहर के चालू होने से जल स्तर और ऊंचा हो जायगा और शारदा नहर की तरह से इससे तबाही होगी इसलिये इन क्षेत्रों में ट्यूबवेल लगाये जायं सरयू नहर की आवश्यकता बस्ती जिले में नहीं है। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि क्लस्टर योजना में ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। हमारे झांसी निर्वाचन क्षेत्र में 25 ट्यूबवेल गलत जगह पर लग गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इसकी जांच करायें और इनको सही जगह पर लगवाने का प्रबन्ध करें। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ नियंत्रण का कृपया स्थायी हल निकालिये ताकि यह जो 2 खरब 50 अरब बरबाद हो चुके हैं तो और पैसे की बरबादी न हो। बाढ़ से प्रदेश की जनता को बचाने के लिये युद्ध स्तर पर योजना लागू करके काम करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का आर्थिक आधार कृषि है। उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। सिंचन की समस्या राष्ट्रीय समस्या है। सिंचाई का संकट राष्ट्रीय संकट है। इस परिप्रेक्ष्य में हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री जो 5 वर्षों से सिंचाई मंत्री रहे हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो पता चलेगा कि 16 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में छठीं योजनाकाल में वृद्धि हुयी है। यही नहीं जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ा था और वहां सिंचाई के साधन नहीं थे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 30 गुनी सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुयी है। इसी तरह से प्रदेश में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिये 23 हजार से अधिक ट्यूबवेल लगाये गये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्रा जी मैं समझता हूं कि ढ़ाई घंटे की चर्चा है और सभी माननीय सदस्य इसमें भाग लेना चाहेंगे, इसलिए 5–5 मिनट ही समय निर्धारित हुआ है, कृपया इसी के अंदर अपने सुझावों को सिर्फ दें जिससे कि हर विधायक को समय मिल जाए।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

मान्यवर, हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो सिंचाई के क्षेत्र में प्रयास किये हैं, वह किसी से छिपे नहीं हैं, परन्तु अगर हम दूसरे प्रदेशों को इस ओर देखें तो मालूम होगा कि पंजाब की कृषि योग्य भूमि की सिंचन क्षमता 85 प्रतिशत है और हमारे यहां केवल 49 प्रतिशत ही है यदि इस सिंचन क्षमता को बढ़ाकर पंजाब के बराबर कर दिया जाय तो मान्यवर, हमारा प्रदेश भी आत्म-निर्भर हो सकता है, गरीबी को दूर करने में, बेरोजगारी को समाप्त करने में और साथ ही खाद्यान के मामले में। यह सही है मान्यवर कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में खाद्यान की वृद्धि हुयी है, परन्तु हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सिंचाई के क्षेत्र में बहुत कम है क्योंकि हमारे यहां केवल पूरी सिंचन भूमि में से 42 प्रतिशत ही सिंचाई हुयी है और जबकि

पश्चिमी उ0 प्र0 में 65 प्रतिशत हुयी है । यदि हमारे यहां भी पश्चिम की भांति सिंचन क्षमता में बढ़ोत्तरी हो जाए और उनके बराबर कर दें तो अनेकों समस्याओं का हल निकल सकता है । दूसरे मान्यवर, हमारे प्रदेश का 25% भूभाग बाढ़ से प्रभावित है और पूर्वी उ0 प्र0 जिसका 50 प्रतिशत हिस्सा बाढ़ में ज्यादातर डूबा ही रहता है । इसलिए बाढ़ समस्या से निपटने के लिए बाढ़ से हुयी क्षति और जनसंख्या को देखते हुए जो धन निश्चित किया गया है, केन्द्रीय सरकार और हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार के माप-दण्ड के अनुसार रु0 500 करोड़ है परन्तु इस हेतु केवल 27 करोड़ रु0 ही इस वर्ष दिया गया है, बाढ़ की स्थाई निदान के लिए और रख-रखाव आदि के लिए जो बहुत ही कम है । दूसरे मान्यवर, इसी संबंध में माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि राप्ती पर बालू बांध, घाघरा पर पर-नाली बांध तथा शारदा नदी पर पंच पर-मेश्वर बहु उद्देशीय योजना बनाई जाए, बाढ़ समस्याओं के स्थायी हल के लिए इन योजनाओं की बहुत आवश्यकता है और पूर्ण सिंचन क्षमता का हल भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए इसी में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में वृद्धि हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री का विशेष योगदान है । इन्होंने निर्धारित ट्यूवेल के लक्ष्य को पूरा किया है और यही कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

मान्यवर, इस समय ट्यूबवेलों की हमारे प्रदेश में संख्या 23500 है, जोकि देश में कार्यरत राजकीय नलकूपों का सवा गुना है । यह हमारे प्रदेश की उपलब्धि है । लेकिन जो राजकीय नलकूपों का कमाण्ड एरिया है, वह 250 एकड़ के आस पास निर्धारित है, जोकि बहुत अधिक है । आधुनिक तकनीक को देखते हुए इसकी संख्या 150 एकड़ निर्धारित कर दिया जाय, जिससे समुचित सिंचाई हो सके । मान्यवर, हमारा कुछ सुझाव है । अधिकतर नदियों का उद्गम स्थान पर्वत है । पर्वतों पर नदियों के पानी को रोकर जलाशय बनाया जाय। पूर्वांचल में बाढ़ रोकने हेतु बाढ़ अनुसंधान केन्द्र खोला जाय, क्योंकि जब तक रुड़की से कोई कार्यकारी दल नदियों की दिशा और कटान देखने तथा बाढ़ को रोकने के लिए योजना बनाता है, तब तक नदियों की दिशा और कटान दूसरी तरफ चली जाती है । योजना बनते समय तथा उसकी स्वीकृति के समय टी0 ए0 सी0 का दल मौके पर ही जाकर निर्णय ले, जिससे योजना ठीक से बन सके और योजना को पूरा धन दिया जाय, जिससे योजना समय से पूर्ण हो सके और उसका लाभ जनता को मिल सके । बाढ़ग्रस्त इलाकों में अभियंताओं को बाढ़ की ट्रेनिंग दी जाय, जिससे वह बाढ़ के रोकने का काम कर सकें । गोरखपुर में जिला योजना में ट्यूबवेलों की संख्या बहुत ही कम है, उसको बढ़ाया जाय तथा साथ ही साथ सहजनवां-पाली में एक-एक क्लस्टर ट्यूबवेल अति-आवश्यक है, वहां पर एक-एक कलस्टर ट्यूबवेल लगाया जाय तथा राप्ती पर तट-बन्ध बनाया जाय । इस समय प्रदेश में 76 मध्य और वृहद् योजनाएं कार्यरत हैं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में केवल सरयू, गंडक, कुआनों पुनरीक्षित योजना मुख्य

है, उसमें धन बहुत कम दिया गया है। उसे अधिक धन दिया जाय, जिससे इस योजना का लाभ जनता को मिल सके और सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर हो सके। इन शब्दों के साथ माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं समर्थन करता हूं और विपक्ष के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

सिंचाई विभाग श्रीमन् ऐसा विभाग है, जिसके ऊपर ही प्रदेश की कृषि निर्भर करती है। श्रीमन् पाप तो कर रहे हैं श्री भोला शंकर मौर्य जी और उसमें दोषभागी हो रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री जी। मान्यवर, आपने चूंकि पांच ही मिनट का समय निर्धारित किया है, इसलिए मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जिसका उन्होंने अभी वर्णन किया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था के बारे में मान्यवर, बात कही गयी है, माननीय मंत्री जी की पुस्तिका से ही मैं बताना चाहता हूं। जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की श्रीमन्, सम्पूर्ण जनसंख्या का प्रतिशत 37.6 प्रतिशत रहती है, जहां पर कृषि योग्य क्षेत्रफल 65.37 लाख हेक्टेयर है, जहां पर सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्रफल 82.19 लाख हेक्टेयर है, वहीं पर श्रीमन् वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल 30 99 लाख हेक्टेयर है और एक बार से अधिक सिंचित क्षेत्रफल केवल 3 85 लाख हेक्टेयर है यानि एक बार से अधिक सींचा गया क्षेत्रफल सबसे कम है। जहां पर बोया गया क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जहां पर सबसे बड़ी आबादी है, श्रीमन् उस क्षेत्र के विकास पर इसका क्या असर पड़ रहा है? यह अपने-आप में सर्वविदित है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो सिंचाई विभाग द्वारा नलकूप चलाये जा रहे हैं, उससे बराबर सिंचन क्षमता बढ़ती जा रही है। सिंचन क्षमता तो बढ़ रही है, लेकिन वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल घट रहा है। मैं मान्यवर, आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। चतुर्थ योजना काल के अंत में 12,447 नलकूप थे, वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल 12.25 लाख हेक्टेयर रहा। चतुर्थ योजना काल के अन्त में 12,447 नलकूप थे, वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल 12.25 लाख हेक्टेयर रहा। पंचम योजना काल के अन्त में नलकूप संख्या 14,560 हो गयी और वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल 10.04 लाख हेक्टेयर हो गया। 1979-80 के अन्त में नलकूप संख्या 16,622 हजार और वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल 9.09 लाख हेक्टेयर हुआ। 1984-85 के अन्त में नलकूप संख्या 23,226 हो गयी, लेकिन वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल केवल 8.10 लाख हेक्टेयर हुआ यानि जैसे-जैसे आप नलकूपों की संख्या बढ़ाते गये, सिंचित क्षेत्रफल घटता गया। इससे मान्यवर, अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने प्रभावी ढंग से आपका नलकूप विभाग काम कर रहा है। यह इसी से विदित है। उत्तर प्रदेश में 54.9 प्रतिशत इरीगेशन कवरेज है। उत्तर प्रदेश में 120.3 प्रतिशत इरीगेशन इंटेंसिटी है जब कि उड़ीसा में 19.8 प्रतिशत सिंचन क्षमता है और 140.8 प्रतिशत इरीगेशन इंटेंसिटी है। केरला में 10.9

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है और 160.6 प्रतिशत इरीगेशन इन्टेंसिटी है ।

श्रीमन्, यह सारे आंकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि माननीय मंत्री जी का विभाग केवल इस क्षेत्र की जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग कर रहा है, उसे निगल रहा है, हड़प रहा है और उससे किसान का लाभ नहीं हो रहा है । इसी तरह से ड्रेनेज विभाग का पता ही नहीं चलता । कहा जाता है कि बाढ़ आने से पहले समस्त कार्य कर लिया जाता है परन्तु मैं तो अपने क्षेत्र में देखता हूं कि मेरे क्षेत्र में राप्ती नदी का किनारा पड़ता है और जब बाढ़ प्रचुर मात्रा में होती है तब बोल्डर नदियों में डाला जाता है और एक ट्रक डाला जाता है और 10 ट्रक का बिल बनता है । यह सब आपके कागजों में दिखा दिया जाता है । श्रीमन्, कुछ हिस्सा आप भी ले लें परन्तु आप इस विभाग के मंत्री होने के नाते देखें कि इस प्रदेश के जो संसाधन हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है न कि उसका सदुपयोग हो रहा है । इस विभाग के आज तक आंकड़े नियंत्रित नहीं किये जा सके । माननीय मंत्री जी यह आपके मान की बात नहीं है कि आप इस विभाग को संभाल सकें । मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का घोर विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । सिंचाई विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है । इसका संबंध कृषि से ही नहीं बल्कि उद्योग और विद्युत से भी है । आपके 11 तापीय विद्युत गृह हैं जिसमें दो विद्युत गृह हमारे पास के जिले मिर्जापुर में ओबरा और रिहन्द हैं और उसी से उत्तर प्रदेश को काफी मात्रा में विद्युत मिलती है । चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपने क्षेत्र की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यहां कई पम्प कैनाल हैं उसमें एक ज्ञानपुर पम्प कैनाल है । पांच सालों से हर बार हम यहां उसके संबंध में कहते हैं और कहा जाता है कि अगले साल इसकी सिंचाई की मात्रा बढ़ा दी जायेगी । यह सब कागज पर जरूर होता है लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होता है । वहां पर एक आराजी लाइन है उसकी स्थिति बहुत खराब है, वहां पर पीने का पानी नहीं मिल रहा है । सिंचाई की बात कौन कहे, पीने का पानी दुरुह हो रहा है । ज्ञानपुर पम्प कैनाल योजना पहले बनाई गई थी कि वहां से आराजी लाइन और ज्ञानपुर की तरफ वहां पर गर्मी के दिनों में पानी की समस्या हल हो सके । वहां पर अगर यह नहर निकाल दी गई होती तो पीने के पानी की समस्या हल हो गई होती । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर पम्प नहर कैनाल के द्वारा शीघ्र से शीघ्र इसका निर्माण करा दिया जाय ताकि वहां सिंचाई तथा पीने के पानी की समस्या का निदान हो सके । दूसरी पम्प-कैनाल नारायन पुर है, इसकी भी वही समस्या है । पम्पगृह तो पक्का बन गया है लेकिन नहर उसी जमाने की बनी है और मरम्मत के नाम पर क्या हो रहा है, यहां बैठे हुये सभी माननीय सदस्य जानते हैं । माननीय राम सरन दास

जी बैठे हैं, वह जानते हैं एक समय में वाराणसी जिले के सिंचाई मंत्री और मुख्य मंत्री दोनों थे । जितनी नहरें उस समय में बनीं सब पटने को आ गई हैं । उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राजकीय नलकूप हमारे जिले में हैं, लेकिन प्राय: यह खराब रहते हैं । धान का उत्पादन हरियाणा के बाद चकिया तहसील में सबसे ज्यादा होता है । नहरों की मरम्मत न होने के कारण सिंचाई की सुविधा ठीक न होने के कारण धान की बुआई लोग छोड़ रहे हैं । सभी नहरें पटने की स्थिति में हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नहरों की मरम्मत एवं रख रखाव की ओर अवश्य ध्यान दिया जाय । ताकि चावल का जो उत्पादन वहां ज्यादा होता था वह आगे भी होता रहे । नारायनपुर पम्प कैनाल के बारे में बताया गया कि इतना क्यूसिक बढ़ा दिया, लेकिन काम क्या हो रहा है । छठें बजट में हम बैठे हैं, हर साल बोलते हैं, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, केवल बोलने के नाम पर बोलना । मान्यवर, जमानिया पम्प कैनाल तथा भोपाली और देवकली पम्प कैनाल में सुधार होना चाहिये । गोपई माइनर को गोपई गांव के पास गोपई गांव के काश्तकारों द्वारा अवैध पक्के बन्धे से बांध दिया गया है । जिसके कारण पानी आगे नहीं जा पाता है और हजारों एकड़ जमीन असिंचित रह जाती है । मेरा सिंचाई मंत्री से अनुरोध है कि यह चन्द्रप्रभा डिवीजन के तहत बनी है, इस पर जो गोपई गांव के पास अवैध पक्का बांध खुद काश्तकारों ने जबरदस्ती बना दिया है, उसको तुड़वाया जाय । अगर यह बन्धा तोड़ दिया जाय तो हजारों एकड़ भूमि में धान की फसल हो सकती है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मैं चन्द बातें कहना चाहता हूं, मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । पिछले साल जो बातें कही थीं उस पर कोई अमल नहीं हुआ, इस लिए सोचा था कि इस साल न बोलूं । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । माननीय नरेन्द्र सिंह जी गलती कर गए, इनको कोशिश करके सिंचाई विभाग लेना चाहिए था । हाथ पैर जोड़कर सिंचाई विभाग लेना चाहिए था । इस सिंचाई विभाग में यह तरीका है कि बाढ़ लाओ, नहर कटाओ और मुख्य मंत्री बन जाओ । माननीय सिंचाई मंत्री के समय में बाढ़ आई, नहर कटने से और वह मुख्य मंत्री बन गए । नारायण दत्त तिवारी जी चले गए, अगर सारे मामले को देखा जाय, अगर प्रजातंत्र सही माने में होता तो एक कमीशन बैठता, वह मंत्री जिसके कार्यकाल में नहर कट गई हो और बाढ़ से बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ आदि जिले बह गए हों, नहर बनाने के लिए हेड को बन्द किया गया, वह मुख्य मंत्री बन जाय, इस डिपार्टमेंट में उल्टी गंगा बहती है । मान्यवर, अब मैं नियुक्तियों के बारे में कहना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी बोलते हैं तो इतने जोर से अकड़ कर कहते हैं, यह सरकार हरिजन के मामले में बहुत कटिबद्ध है । यानी काट के वध करने के लिए है। इस विभाग में हरिजन का कोटा है, भीखाराम जी ने सवाल पूछा था इस विभाग में हरिजन का कोटा पूरा किया गया या नहीं । बहुत लम्बा सवाल था, जवाब भी तीन पेज में आया । हर जगह

*वक्ता ने भाषण का एनग्रेशण नहीं किया ।

लिखा यह है, जूनियर इंजीनियर के 6 हजार 5 सौ पद जिसमें से 538 पद अनुसूचित जाति के लिए । लेकिन इन पदों को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं किया जा सकता है । 322 पद आज भी खाली हैं ।यानी यह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । मान्यवर, 322 पद अनुसूचित जाति के खाली पड़े हैं और हजारों अनुसूचित जाति के डिप्लोमा होल्डर उत्तर प्रदेश में बेकारी की हालत में हैं । उनमें से कुछ रिक्शा तक खींच रहे हैं और यह पद सृजित नहीं किये जा रहे हैं । इन्होंने लिख दिया कि लोक सेवा आयोग से होंगे और उसके बाद 453 पद पदोन्नति हेतु हैं । उनमें से 75 और 63 आरक्षित हैं । उनमें भी आज तक भर्ती नहीं हुई । 33 अवर अभियन्ता बनाए जाने हैं । वह भी नहीं हो पाए । उसके बाद जितने ऊपर चले जायं, सारे पद खाली पड़े हैं और उनको अनुसूचित जाति के कन्डीडेट्स से भरे जाने का इन्तजाम नहीं हो रहा है । इसलिए सरकार अपने बुलन्दबागों को खत्म करे । आज अध्यादेश लाया जा रहा है कि जब कोई अपने जायज हक के लिए लड़ना चाहे तो गिरोहबन्दी कानून में बन्द कर देंगे । खैर इस पर तो बाद में बोला जायगा । इसलिए मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनको तो नौकरी पर लगा दिया गया है बजट पेश करने के लिए । मुख्य मंत्री जी पेश करते तो आंखों से आंखें मिलाकर सामने 2-4 बातें होती। इन बेचारे को क्या पता । खास बात यह है कि खरीफ में जो प्रोग्राम रखा है, तो सोच लें कि बाढ़ को रोकने का काम, चीन में हमारे बाद आजादी मिली, लेकिन उसने ह्वांगहो पर नियंत्रण कर लिया और इस देश में शुरू से आखीर तक, चन्द महीनों को छोड़कर, कांग्रेस का राज्य रहा है । तो ये जो कुबरत का जो पानी है, जमीन को उस सैलाब में डुबाने का काम कर रहे हैं । आप सैलाब को रोकने के लिए कुछ काम करें । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेन्ट को एक पैसा भी न दिया जाय । एक पैसा नाम मात्र का है, वह दे दिया जाय । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लाल चन्द निषाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सिंचाई मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, हमारे प्रदेश में सीमित संसाधनों के बावजूद हमारे प्रदेश ने सिंचाई के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी प्रगति की है । इसकी मिशाल है श्रीमन्, कि हमारे देश में जो बोई गई फसल है, उसकी सिंचित सघनता का प्रतिशत है 28.6 और हमारे प्रदेश का प्रतिशत है 49.07 । इसी से यह बात साबित है कि हम लोगों ने सिंचाई के मामले में काफी प्रगति की है । मान्यवर, हमारे जिले गोरखपुर जनपद के उत्तर में पश्चिमी गण्डक नहर परियोजना के नाम से एक नहर बनाई गई है जो नेपाल राज्य में 19 किलोमीटर अन्दर जाकर भींसालोटन स्थान से निकलती है। गण्डक नदी पर बैराज बनाकर दो पाटों में नहर निकाली गई है । एक नहर तिरहुत (दिहार) में चली जाती है, जहां से बिहार में सिंचाई होती है । दूसरी पश्चिमी नहर गण्डक परियोजना है।वह गोरखपुर जनपद से देवरिया तक जाती है । मान्यवर, इसी नहर की देन है कि गोरखपुर के उत्तरांचल में जहां एक ही फसल धान की होती थी, वह भी भगवान की मर्जी पर लोग खेती करते थे, आज उस स्थान पर उस नहर से हमारे जनपद के उत्तरांचल के लोग दोनों फसलें बहुत अच्छी काटते हैं और बहुत अच्छी पैदावार है। हमारी तहसील जो जिले की सबसे पिछड़ी

तहसील थी, अब सबसे अच्छी तहसील हो गई है । मान्यवर, हमारे जनपद के दक्षिणांचल में बांसगांव तहसील है, जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं था, वहां पर सरजू नहर परियोजना के नाम से एक नहर निकाली जा रही है जो गोला पम्प नहर इस की एक ब्रांच है । श्रीमन्, इसके बन जाने से गोरखपुर के दक्षिणांचल की आठ हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी । मान्यवर, हमारे गोरखपुर जनपद में जो विशेष समस्या है, वह बाढ़ की है । हमारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है । वहां का 3 हिस्सा बाढ़ से प्रभावित होता है । वहां जो आमी नदी है, उसके दोनों किनारों पर तटबंध के लिए जनता की विशेष मांग है । मेरी यह मांग है कि आमी नदी पर दोनों किनारों पर तट-बंध बनाए जायं । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जो अइमा कड़कही केतरारी गांव हैं, बाढ़ में पूरी तरह से कट जाते हैं । वहां भी तटबंध की मांग है । इसे बनाया जाय। इसी तरह से गजपुर, मरवसिया, कब-शरी, धसका, खिखानिया, लहसड़ी, इहिया आदि गांवों में तटबंध न होने की वजह से, बाढ़ की स्थिति में विलीन होने की स्थिति में है । यदि तटबंध नहीं बनाया गया, तो यह बाढ़ में बह जायेंगे। मान्यवर, बाढ़ में पब्लिक के लिए आवा-गमन का एक ही साधन बांध है, दूसरा कोई साधन पब्लिक के आने-जाने के लिए नहीं होता है । सिंचाई विभाग की तरफ से पब्लिक को उस पर आने-जाने के लिए रोका जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री लाल चन्द निषाद–

मैं मांग करता हूं कि जब तक कोई साधन नहीं उपलब्ध होता है, उस बंधे पर पब्लिक को आने-जाने के लिए सुविधा दी जाय । इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं । जय-हिन्द ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूं । मान्यवर, पिछली बार भी जब सिंचाई मंत्री जी ने बजट प्रस्ताव रखा था, उसमें कुछ बिन्दु कहे थे । मान्यवर, आज से लगभग 8-9 महीने पहले माननीय मुख्य मंत्री जी, जो उस समय सिंचाई मंत्री थे, इलाहाबाद का दौरा किए थे । और, वहां पर जब नहरों को चलाने के बारे में जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की थी, तो उन्होंने किशुनपुर में पम्प कैनाल चलाने के लिए कहा था । लेकिन, दुर्भाग्य है कि राम गंगा नहर आज तक नहीं चल पाई । उनके आदेश के बावजूद भी वहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकी है और न सम्बन्धित अभियन्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है । मान्यवर, मैं नहीं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र में ज्ञानपुर पम्प नहर, जिसका हेड वहां पर बना हुआ है, जो पुस्तक दी गई है, उसमें उल्लेख है कि नहर बनकर तैयार हो गई है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों नहर चलवाने के लिए वहां के किसानों ने आन्दोलन किया था । इस परिपेक्ष्य में यह कहा गया था कि ज्ञानपुर नहर के लिए अगले वर्ष 5 करोड़ रु0 दिये जा रहे हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद के एक हिस्से में पानी देने का काम कर पा रहे हैं बनारस और मिर्जापुर–उसको छू नहीं पाया है । मान्यवर, मिर्जापुर जिले में तो नहर जाती ही नहीं-इस पुस्तिका में गलत ढंग से इसे लिखा गया है । पिछले दिनों माननीय सिंचाई मंत्री जी ने यह कहा

था कि इलाहाबाद में विश्व बैंक की योजना लागू करायेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व बैंक की जो योजना है, उसके कुछ मानक हैं, उसे विश्व बैंक के लोग ही निर्धारित करते हैं । लेकिन, मान्यवर, इलाहाबाद में कुछ खास लोगों को खुश रखने के लिए, वहां के एक राजनीतिक कांग्रेस पार्टी के नेता को खुश करने के लिए माननीय सिंचाई मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि वहां पर विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत 100 नलकूप लगवायेंगे । सिर्फ जमुना पार क्षेत्र के लिए कहा गया था कि 100 नलकूप लगवायेंगे । गंगापार और द्वाबा क्षेत्र के लिए विश्व बैंक की योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया । मान्यवर, कहा जाता है कि प्रदेश में हरित क्रांति लगायेंगे लेकिन जब एक जिले में 3-4 नलकूप आते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां सिंचाई कितनी हो पायेगी। किसी एक आदमी को खुश करने के लिए यदि सिंचाई व्यवस्था है, तो यह मान्यवर, दूसरों के साथ विश्वासघात है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके यहां से नाली बनाने के लिए योजनाएं दी जाती हैं । नहरों की खुदाई के संबंध में कहा जाता है कि वहां के जनप्रतिनिधियों से पूछकर सफाई आदि करायेंगे । मान्यवर, नलकूपों की नालियां पूरी नहीं बन पाती है और पैसे का भुगतान कर दिया जाता है । ऐसी स्थिति में नलकूप के निर्माण के साथ ही सारी नालियों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में गंगा जी के किनारे कई ऐसे गांव हैं जो कटान के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं । पिछले कई वर्षों से कहा जाता रहा है कि वहां पर हम बाढ़ नियंत्रण हेतु योजनाएं बनायेंगे । लेकिन अभी तक कोई योजना वहां पर नहीं बनाई गई है । पिछली बार भी कई गांव बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए । यदि बाढ़ नियंत्रण हेतु वहां पर कोई योजना नहीं बनाई जायेगी तो इस बाढ़ की विभीषिका प्रदेश के चारों ओर फैल जायगी तो इस बाढ़ की विभीषिका से कैसे मुकाबला किया जा सकेगा । मैं जानता हूं कि आज बाढ़ की विभीषिका प्रदेश के चारों ओर है चाहे वह लखनऊ में हो, जौनपुर में हो और चाहे गोरखपुर में हो । इस लिए मान्यवर, ऐसी स्थिति में मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस संबंध में इलाहाबाद की ओर भी ध्यान देने की कृपा करें । इसी के साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपका जो सिंचाई विभाग है वह दूसरे आंकड़े देता है और राजस्व विभाग दूसरे आंकड़े देता है । राजस्व विभाग कहता है कि सिंचाई कम हुई लेकिन आपका सिंचाई विभाग कहता है कि ज्यादा हुई । सिंचाई विभाग किसानों से वसूली करना शुरू कर देता है जिससे किसानों को काफी परेशानी होती है इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां पर आप स्थायी तौर से आपरेटर की व्यवस्था करें जो इस बात को देखे कि इस बार जितनी सिंचाई हुई है और उस हिसाब से कितना वसूल किया जाना है । यदि आप ऐसा कर देंगे तो वसूली के समय किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी ।

मान्यवर, अन्त में एक निवेदन और करना चाहता हूं कि बाढ़ का पानी जो बाहर निकल जाता है और उसे आप बड़े-बड़े तालाब तक ले जाकर उसे आप जोड़ते हैं लेकिन इसमें आपकी पूरी ड्रेन नहीं बन पाती है । कई बार ऐसा होता है कि नहरों से पानी निकलकर गांवों में चला जाता है जिससे कई मकान गिर जाते हैं और करोड़ों रुपयों का सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है । इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे पानी को नियंत्रण निर्माण कर उन्हें तालों से जोड़ें जिससे में लाने के लिए पूरी तरीके से ड्रेनों का

बाढ़ के पानी के बाहर जाने से जो नुकसान होता है वह दूर हो सके । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री जय नारायण तिवारी–

मान्यवर, आपने मुझे बजट के समर्थन के लिये बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं अपने क्षेत्र की तीन-चार समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि सम्मानित सदस्य श्री श्रीनाथ सिंह जी ने कहा कि हम पांच साल से लगातार सिंचाई के बजट पर बोलते आ रहे हैं लेकिन आज तक हमारे बोलने का न तो कोई प्रभाव अधिकारियों पर पड़ा और न ही इस विभाग पर। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करते हुए माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैं सुल्तानपुर जनपद से चुनकर आता हूं, उसके बारे में तमाम बातें कही जाती हैं और तमाम लोगों की निगाहें उस पर लगी हुई हैं। हमको कितनी पीड़ा है और हम कितने मर्माहत हैं इसका इजहार मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष करना चाहता हूं। हमारे देश को आजाद हुए आज 37 साल हो गये हैं। हमारे क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है जहां पर सतहरी साइफन बना हुआ है इससे 1982 में एक बहुत बड़ा कटान हुआ था जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था। गांव के लोगों को इस बात की जानकारी है कि पानी का बहाव किधर को है और पानी कहां से होकर कहां को जाता है लेकिन उन ग्रामीण अंचल के लोगों की सलाह का अमल न कर सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने हठधर्मी का इजहार कर साइफन ऐसे जगह बना दिया जहां से बीस गांव के लोग चार महीने तक सूखी भूमि के दर्शन नहीं कर पाये। बहू-बेटियों और माताओं को पानी से गुजर कर गांव तक जाना पड़ता था। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सतहरी माइनर की निर्माण को प्राथमिकता दी जाये। कटका से मापंग बीस किलोमीटर सड़क में तीन पुल पड़ते हैं यह तीनों पुल पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा बनाकर तैयार हो गये हैं। लेकिन एक पुल सिंचाई विभाग के अन्तर्गत आता है वह आज तक अपनी किस्मत को रो रहा है जब कि आज तक उस बीस किलोमीटर सड़क को आवागमन से जुड़ जाना चाहिये था और उसके अगल-बगल आवास तथा दुकानों का विकास हो जाना चाहिये था। लेकिन वह आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है और अपनी किस्मत को रो रहा है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि क्षेत्र की मजबूरी को देखते हुए और उसकी परेशानियों का एहसास करते हुए प्राथमिकता के आधार पर पटपुरवा के इस पुल का निर्माण करवाने की कृपा करें ।

मान्यवर, एक चीज और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर जनपद में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अंशकालीन कूपचालकों की नियुक्ति की गयी है। सुल्तानपुर में और खासतौर से मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र इसौली में बल्दीराय के कूप चालकों को आपके विभागीय अधिकारियों द्वारा नोटिस दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नोटिस इसलिये दे रहे हैं कि बाद में दूसरी नियुक्ति करेंगे । अगर आपको पुनः नियुक्त करना है, उन्हीं की नियुक्ति

करनी है तो तीन साल लगातार सेवा करने के बाद नौकरी से निकाल देने का क्या औचित्य है? माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हठवादी दृष्टिकोण जो अपना रहे हैं, उनको निदेश भेजने की कृपा करें कि उन अंशकालीन कूपचालकों को सेवा का मौका मिलता रहे ।

राजकीय नलकूपों के विषय में कहना चाहता हूं कि उनकी सिंचाई की क्षमता में वृद्धि हुई है । वर्तमान परिपेक्ष्य में इससे अच्छा कोई बजट नहीं हो सकता । इसी के साथ-साथ आज तमाम एसे नलकूप लगा दिये गये हैं, जो कि मौके पर मिल रहे हैं, लेकिन चलते नहीं हैं । जब गांव के लोग पूछते हैं कि चलाये क्यों नहीं जा रहे हैं? तो आपके जूनियर इन्जीनियर, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर और असिस्टेण्ट इन्जीनियर को यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि सामान नहीं है । मेरी मांग है उनको प्राथमिकता के आधार पर सामान दिया जाय ।

माननीय शाही जी ने कहा कि नलकूप की, नहर की, कूप की कोई उपयोगिता नहीं है । आपको तो उपयोगिता कहीं दिखायी नहीं दे रही है, लेकिन अगर वास्तव में कोई उपयोगिता नहीं होती तो आज जो हरित क्रान्ति की कल्पना को साकार कर रहे हैं, वह पूरा नहीं होता । आज हम आत्म निर्भर हो गये हैं ।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और इसमें बीसियों गांव बाढ़ से हर वर्ष त्रस्त रहते हैं । मेरी मांग है कि कृपा करके इनका स्थायी हल निकाला जाय ।

इसी के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। जयहिन्द, जय भारत ।

श्री काजी कलीमुररहमान–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं शाही जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

यह सरकार और इसके अधिकारी हर वर्ष करोड़ों रु0 का बोल्डर फर्जी नदियों में और नालों की फर्जी सफाई में दिखा देते हैं और अपने लिये अच्छे-अच्छे मकान और बंगले बना रहे हैं। इसका अन्दाजा कि कितने पैसे का दुरुपयोग हो रहा है हमारे माननीय मंत्री जी को, जो इत्तफाक से भोले बाबा भी हैं, को नहीं है । सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने इन अधिकारियों से बहुत होशियार रहिये । यह आपको फर्जी आंकड़ों में ऐसे उलझा देते हैं कि लगता है कि इन्होंने सारी समस्याओं का बाढ़ इत्यादि का समाधान कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। उदाहरण के रूप में आजमगढ़ के बारे में बताना चाहूंगा । महुला के पास एक कटाई हुई है, उसमें लगभग 40–50 लाख रु0 के बोल्डर गिराये जाने की बात कही जाती है। अब वह पानी हट गया है। वह बोल्डर और ईंटा कहां गया, पता करें तो मालूम होगा कि वहां पर जो बोल्डर गिराना कहा गया है कि लगभग 40 लाख रु0 का गिराया है, तो वहां पर 4 लाख रु0 का भी नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैंने कई बार निवेदन किया है कि हमारा क्षेत्र दियारा क्षेत्र है, वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। नई नलकूप योजना के अन्तर्गत जो निर्माण होना था महा-

राजगंज विकास खण्ड देवारा क्षेत्र में दो क्लस्टर का निर्माण होना चाहिये था, लेकिन अधिकारियों ने कोई तवज्जो नहीं दी। सम्पर्क मार्ग नहीं बन रहे हैं।

(2 बजकर 20 मिनट)

महुला गढ़वल बांध से लगभग दो लाख जनता आती-जाती है क्योंकि वही एक मात्र साधन है वहां पर आवागमन का। यही एक रास्ता है, वहां एक किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक मुख्य आबादी रहती है लेकिन उसके बांध पर जहां कि एक बार कटान हो चुकी है और उसको ठीक कराने में करीब 40 या 50 लाख रुपया खर्च किया गया था लेकिन वह तब भी ठीक नहीं हुआ है। मेरा सुझाव है कि उसको पिच रोड कर दिया जाय तो वहां से दो लाख लोगों को आने-जाने की आसानी हो जायेगी और आप वहां की जनता को राहत पहुंचा सकेंगे।

मान्यवर, मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि जितनी भी ड्रेनें हैं महराजगंज और बिलरियागंज ब्लाक में, कहीं भी इन ड्रेनों की सफाई का कार्य नहीं हुआ है। यहां से जो पैसा ड्रेनों की सफाई के लिये स्वीकृत हो कर जाता भी है तो वह अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच में ही पता नहीं कहां चला जाता है और ड्रेनों की सफाई नहीं होती है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि आपके जूनियर इंजीनियर के दरबार में असिसटन्ट इंजीनियर दरबार दारी करता है। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहां चीफ इंजीनियर दरबार करता है क्योंकि उन्हीं के द्वारा खुला लेना-देना होता है। यह बड़ी गलत परम्परा हो रही है कि सारा अनुशासन समाप्त हो गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आपका एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर के घर पर आंखें बिछाये खड़े रहते हैं घण्टों और जब वह बाहर आता है, तब उनसे उनकी बातचीत हो पाती है।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र का कुछ इलाका गोरखपुर में चला गया है। मैंने खुद कहा कि इसको ठीक करो तो उन्होंने चीफ इंजीनियर को कहा लेकिन अभी तक वह ठीक नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि हमारे यहां महराजगंज और बिलरियागंज में जो कमियां हैं, उनको सही किया जाय। वहां शारदा नहर में जो पानी नहीं रहता है, लोगों को आने-जाने की सुविधा के लिये रास्ता नहीं है कई पैदल पुल का बनाना बहुत जरूरी है। इन सब बातों को ठीक किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी द्वारा पेश किये गये बजट का विरोध करता हूं।

श्री राधेश्याम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे सिंचाई बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बजट आज सदन में पेश किया है उससे निश्चित ही इस प्रदेश के सिंचाई के साधनों में प्रगति होगी और हमारे प्रदेश की हरितक्रान्ति में इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। हमारे विपक्ष के सदस्य, श्री शाही जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं सुनता चला आ रहा हूं कि यहां जो बजट पेश होता है तो विपक्ष के सदस्यगण उस पर कटौती का

प्रस्ताव रखते हैं, कभी कोई रचनात्मक सुझाव तो दे नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि यह इनकी आदत में बन गया है कि कटौती का प्रस्ताव रखना जरूर है।

(इस समय 2 बजकर 24 मिनट पर उपाध्याय, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए)

जैसे एक छोटी बच्ची थी जिसे गुड़ खाने की आदत थी। घर पर उसके पिता एक बार उसका दुलार करते हुए कहने लगे कि जब हमारी बिटिया बड़ी होइहैं तो हम ईका बिआह करिहैं, बरात अइहै, हम ईके लिये घाघरा, ओढ़नी, करधनी, खड़ुआ बनवइहैं। यह सब कहते-कहते अन्त में उन्होंने कहा कि फिर हमार बिटिया अपन ससुराल जइहै। तो बिटिया ने सुनते-सुनते अन्त में कहा कि बप्पा, गुड़। तो बहुत हंसी आयी। वैसे ही विपक्षी सदस्यों का मामला है, इनको सिर्फ कटौती से मतलब है, इस प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की प्रगति किस प्रकार से होगी, इस ओर इनका ध्यान नहीं है। मान्यवर, अगर यह प्रदेश की प्रगति की ओर ध्यान दिये होते तो 1977 में इनको जब काम करने का अवसर मिला था और इनको बजट बनाना पड़ा और प्रदेश की प्रगति करनी पड़ी, तो यह उसमें सफल नहीं हो पाये और तीन साल में वापस चले गये और जनता का इन पर विश्वास नहीं रह गया।

मान्यवर, अब मैं अपने जनपद की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। मेरे जनपद कानपुर में 2 लाख 25 हजार 233 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि थी और सिंचाई के लिये 1 लाख 88 हजार 995 हेक्टेयर जमीन कमाण्ड में होती है। हमारा क्षेत्र सिंचाई के जितने साधन हैं, नहरों के टेल पर पड़ता है, इस कारण हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आता है। हमारा क्षेत्र जमुना की पट्टी में आता है, वहां पर किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। जमुना नदी से 16 किलोमीटर उत्तर का जो क्षेत्र है। यहां पर बुन्देलखण्ड के तरीके की सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये। मान्यवर, हमारे यहां पर ताहरापुर की सिंचाई लिफ्ट योजना प्रस्तावित है, जिसके सम्बन्ध में पिछले दिनों सर्वे भी हुआ था, लेकिन आज तक कार्यान्वित नहीं हुई है, इसको लागू किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य अब समाप्त करें। आप बैठें।

श्री राधेश्याम–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र में धुधुवा स्थान है, जो ऐतिहासिक है, वहां पर अंग्रेज इन्जीनियर एक खारजा बनवा रहे थे और आगे ले जा रहे थे, लेकिन 1857 के आन्दोलन के समय वह इस क्षेत्र के लोगों के द्वारा मारा गया जिससे वह खारजा नहर का निर्माण रोक दिया गया था इसे सर्वे कर पुनः बनवाया जावे।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, इसका समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष–

इसका समय नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसका समय निश्चित है।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, इसका समय बढ़ा दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

इसका समय नहीं बढ़ाया जा सकता है। समय निश्चित है। 20 मिनट बाकी है। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(दोनों पक्षों के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, दोनों पक्ष के माननीय सदस्य चाहते हैं कि समय बढ़ा दिया जाये। 2-2 मिनट का समय दे दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें। मैंने शाही जी को बुला लिया है।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, पिछले वर्षों में जब माननीय मुख्य मंत्री सिंचाई मंत्री का दायित्व सम्भाल रहे थे तो उस समय सिंचाई विभाग के बजट पर 2 दिनों तक चर्चा हुआ करती थी, पिछली परम्परा यह रही है कि अकेला सिंचाई विभाग ऐसा विभाग रहा है जिसके बजट पर 2 दिनों तक विधान सभा में चर्चा हुई है। मुझे इस बात का खेद है कि जिस विभाग के ऊपर 9 अरब रुपये करीब खर्च किया जाने वाला है उस विभाग के बजट पर आप ढाई घंटे की चर्चा करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ यह सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए इस चर्चा का समय बढ़ाने के अनुरोध को स्वीकार करें। मैं समझता हूं कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि यह ऐसा विभाग है जिस पर चर्चा होनी चाहिए इसलिए कि यह सारे उत्तर प्रदेश की गरीबी, पिछड़ेपन और उसकी आमदनी के ऊपर इस विभाग का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मान्यवर, शारदा प्रताप शुक्ल को आप इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपना बोले मैं किसी को इजाजत नहीं देता हूं। शारदा प्रताप जी बैठें, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री शारदा प्रताप

मुझे अपनी क्षेत्र की बात कहने का मौका नहीं मिला तो हमारा इस सदन में रहना बेकार है।

(श्री शारदा प्रताप सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

जितना समय था दे दिया, अब मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आज सिंचाई विभाग में 20 हजार करोड़ रुपया खर्च करने के बाद सिर्फ 100 लाख हेक्टेयर सिंचाई

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

की क्षमता को उपलब्ध करा सके। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नलकूप और नहरों से प्राप्त होने वाले सभी राजस्व का समायोजन होने के पश्चात् उनका सीधा घाटा पिछले साल प्रति हेक्टेयर 280.30 रु0 हुआ था और इस साल जो नुकसान संभावित है वह 334 रुपये 70 पैसे प्रति हेक्टेयर है। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस हानि में पूंजी निवेश से प्राप्त धन का कोई समायोजन न हों। इस प्रकार से मान्यवर, इनकी गलत नीतियों के फल-स्वरूप लगभग 2 अरब रुपये ब्याज के रूप में, यह जो बजट पास होने जा रहा है, ब्याज के रूप में हमें अन्य संसाधनों को देना पड़ता है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी बड़ी परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का नियोजन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से कि वह उतनी ही परियोजनाओं को अपने हाथ में लें, उस पर काम शुरू करें जितना कि वित्तीय संसाधन हमको करने की इजाजत देते हैं। मैं इस संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 71 परियोजनाएं चल रही थीं और छठी पंचवर्षीय योजना में मान्यवर, 50 परियोजनाओं को पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि अब तक सिर्फ 13 परियोजनाएं पूरी हुई। इससे सारी परियोजनाएं सातवीं पंचवर्षीय योजना में जाने के लिए बाध्य हुई हैं। इस तरह से मैं आग्रह करूंगा कि सातवीं पंचवर्षीय परियोजना में आपने 63 परियोजनाओं को चलाने की बात की है। 52 परियोजनाओं को सातवीं पंच वर्षीय योजना में पूरा करने का आपने लक्ष्य रखा है। मैं कहना चाहता हूं कि आज तक की जो भी स्थिति रही है और आपने इस वर्ष सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में जो इन योजनाओं पर धन आवंटित किया है उसके द्वारा कतई आपकी ये निर्धारित 52 योजनायें सातवीं योजना में पूरी नहीं हो सकेंगी। जो आपकी उपलब्धियां हैं उसकी तरफ भी यदि आप नजर रखें तो देखेंगे कि घाटे के परिणाम ही सामने आ रहे हैं। मान्यवर, इनको 1980-81 में 180.3 हजार रुपये का नुकसान हुआ। 1984-85 में 427.9 हजार रुपया, 1985-86 में 280.3 हजार रुपये का घाटा हुआ है और 1986-87 में 334,8 हजार रुपये के घाटे का अनुमान है। यह घाटा क्यों हो रहा है। जब कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई की दरें अन्य राज्यों के अनुपात में ज्यादा हैं। तब क्यों घाटा आ रहा है। मान्यवर, तमिलनाडु में 24 रुपये प्रति हेक्टियर सिंचाई पर खर्च करते हैं, पंजाब में 28 रुपया, हरियाणा में 57 रुपया, मध्य प्रदेश में 59 रुपया खर्च आता है जब कि उत्तर प्रदेश में 68 रुपया प्रति हेक्टियर सिंचाई का खर्च है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सिंचाई की दर अन्य प्रान्तों की तुलना में ज्यादा है तो क्या कारण है कि आपका घाटा सर्वाधिक होता जा रहा है। एक निवेदन और करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 711.13 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद आज तक आपने सरकारी नलकूपों से 16 लाख हेक्टियर भूमि की सिंचाई की है। पिछले वर्षों में जो सरकार ने निजी नलकूपों को अनुदान दिया है जिसकी मात्रा बहुत कम है लेकिन आप देखेंगे तो सिर्फ 27.19 करोड़ रुपया निजी नलकूपों को अनुदान के रूप में दिया गया था और इस पांच वर्ष की अवधि में 28.94 लाख हेक्टियर भूमि

की सिंचन क्षमता में वृद्धि की गई ।' मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपकी यह नीति है, इस पर आपको पुनर्विचार करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपके ट्यूबवेल क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं, क्यों सिंचन क्षमता में वे वृद्धि नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि इस सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है। निजी नलकूपों में जब वृद्धि हो रही है, सिंचन क्षमता में बढ़ोत्तरी हो रही है तो उससे आपको सबक लेना चाहिए। आपका यह विभाग असमर्थ हो गया है। जब आप इसमें असमर्थ हैं तो पुन: आप इसे निजी क्षेत्रों में देने का काम करें ।

दूसरी बात यह है कि जो बजट का आवंटन हुआ है, पिछले साल के बजट के मुकाबले में 23 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। सिंचाई विभाग में सिर्फ 1.95 प्रतिशत के लगभग वृद्धि हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि 1984 के आधार पर 10 फीसदी मूल्यों में वृद्धि आयी है और उसके आधार पर 33 प्रतिशत सिंचाई परियोजनाओं पर वृद्धि करके खर्च करना चाहिए था और उसके हिसाब से 900 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन होना चाहिए था। चूंकि इन्होंने ऐसा नहीं किया और जो ये हमारी बड़ी परियोजनायें हैं उनमें जो खर्च का आवंटन किया गया है उसमें कमी कर दी। इस तरह से टेहरी बांध परियोजना पर इस वर्ष 500 करोड़ रु0 खर्च किया। इस तरह से कन्धार योजना और कई योजनाओं की यही हालत है। यदि ऐसा होगा तो कतई आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे । यह घाटा होता ही रहेगा। इसलिये मेरा आग्रह है कि इसको समयबद्ध और सारे संसाधनों को जुटाकर कम योजनाओं और परियोजनाओं को लेते और उनको समय से पूरा करते। यदि ऐसा किया गया तो मान्यवर, इससे तीन लाभ होंगे। पहला तो यह कि जो आपकी मूल परियोजना की लागत होती है और उसका जो पुनरीक्षण होता है तो ये दोनों दरें बढ़ जाया करेंगी और कम लागत पर वह परियोजना तैयार हो जायेगी । दूसरा यह कि विश्व बैंक से जो कर्जा ले रहे हैं, ब्याज भी उससे कम लगेगा। आज जो आप दो अरब ब्याज दे रहे हैं वह घट जायेगा । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि योजना समयबद्ध ढंग से चलाई गयी तो उससे सिंचन क्षमता में बृद्धि आयेगी और उससे आपके विभाग का राजस्व बढ़ेगा और यह जो दो अरब रुपये का घाटा प्रस्तुत किया गया है वह भी कम होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

शाही जी एक मिनट में समाप्त कर दें । दस मिनट मंत्री जी को दूंगा उत्तर के लिए ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इतना बड़ा विभाग है और जो हमारे नेता सदन हैं वह उस पर 6 वर्षों से बैठे हुए हैं और टस से मस नहीं कर रहे हैं इतने बड़े विभाग पर चर्चा आप ढाई घंटे में समाप्त कर रहे हैं तो कैसे काम होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ का इतना भीषण रवैया रहा उसमें एक मुख्य मंत्री जी यमुना के किनारे चले गये दूसरे राप्ती के किनारे चले जायेंगे। इतनी भीषण बाढ़ आई उस पर आपने 14 करोड़ रुपया खर्च किया है । तो इसमें हमें नेता सदन से वंचित होना पड़ेगा और वह भी राप्ती नदी के किनारे चले जायेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं कि गंडक की बाढ़ से पूरा देवरिया त्रस्त है।

मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कुछ कार्य किया है लेकिन बिहार सरकार से समन्वय न बन पाने से उत्तर प्रदेश में यह स्थिति बिगड़ती जा रही है। अतः दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के एक संयुक्त बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनना चाहिये जो निर्धारित समय के भीतर समन्वित रूप से काम कर सकें।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में सारी नदियां नेपाल से उतरती हैं। आज 38 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश का 25% भाग बाढ़ से प्रभावित होता है उसको रोकने के लिए हमारी सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बाढ़ को रोकने के लिए नैपाल सरकार से वार्ता करें और वहां पर जलाशय बनाये जो बर्फ वहां से पिघल कर आती है उसे वहीं रोककर जलाशय बनायें जायं जिससे विद्युत उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ आती है वह रुकेगी और सिंचाई की क्षमता भी बढ़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आखिरी बात कह कर समाप्त करता हूं। आज जल विद्युत परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात है इसका सीधा संबंध सिंचाई विभाग से है। मैं कहना चाहता हूं कि जल विद्युत परियोजनाओं पर हमारा ध्यान घटा है। उत्तर प्रदेश में 1966 में सम्पूर्ण क्षमता का 52 परसेंट जल विद्युत के द्वारा होता था जो घटता गया यानी मार्च 1966 से मार्च, 69 तक 36 परसेंट, 1968 से 1978 के बीच भी 36 परसेंट और मार्च, 78 से मार्च, 85 तक वह 27.76 परसेंट हो गया। जल विद्युत परियोजनाओं का सीधा संबंध सिंचाई विभाग से है और इसके लिए बड़ी-बड़ी योजनायें बननी चाहिये जैसे टेहरी बांध से लाभ होने वाला है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की योजनायें इस बजट में प्रस्तावित नहीं हैं। इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्तावों पर बल देते हुए आग्रह करता हूं कि हमारे इन सुझावों के अनुसार अपने बजट को संशोधित करें जिससे प्रदेश की जनता का आर्थिक स्तर उठेगा। इस आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं शाही जी से अपेक्षा करता था कि वह इस पर रचनात्मक सुझाव देंगे। आरम्भ में मैंने जो निवेदन किया था उसी में कह चुका हूं कि बृहद और मध्यम योजनाओं को जितना धन चाहिये वह हमें नहीं मिल रहा है। हमारे जो सीमित संसाधन हैं उसी में हम अब तक केवल 54.4 प्रतिशत ही बड़ी और मझौली योजनायें हैं जिनको हम पूरा कर पाये हैं इसका एक मात्र कारण धनाभाव है।

श्रीमन्, शाही जी खुद ही कहते हैं कि हम उन योजनाओं को अधिक पैसा दें। तो श्रीमन्, इस प्रकार श्री सूर्य प्रताप शाही जी हमारे बजट का समर्थन करते हैं, तो उनका प्रस्ताव स्वयं ही रद्द होने लायक है। मान्यवर, तीसरी बात उन्होंने कही कि गंडक नहर परियोजना में बड़ी-बड़ी नहर बनाते हैं, छोटी नहर नहीं बनाते हैं। तो मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि गंडक नहर परियोजना में जो बड़ी नहर बननी थी उसका मुख्य कार्य पूर्ण करके रबी में 88,600 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 1,10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गयी है

जो कि लक्ष्य से अधिक है। मान्यवर, इसी तरह से खरीफ में 50% सिंचाई किया है, यह कमी इसलिये हो जाती है कि वर्षा होती है। इस प्रकार आपका कहना है कि सिंचाई क्षमता को पूरा नहीं किया तो यह गलत है।

मान्यवर, स्टेट ट्यूबवेलों के संबंध में जो कहा गया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि कमान्ड जितना बना रखा है, यदि पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलती तो ज्यादा मात्रा में हम स्टेट ट्यूबवेलों से सिंचाई कर लेते लेकिन बिजली की कमी के कारण इसमें लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये। लेकिन विश्व बैंक के ट्यूबवेलों के लिये अलग फीडर लाइन है इसलिये उसमें हमने लक्ष्य से अधिक काम किया है, तो यह कहना उनका गलत है कि उसमें हमने लक्ष्य से अधिक काम किया स्टेट ट्यूबवेलों की कोई आवश्यकता नहीं है।

मान्यवर, आप तो प्राइवेट सेक्टर के हमदर्द हैं चूंकि उनका दल प्राइवेट सेक्टर पर निर्भर करता है किन्तु उनको हम बताना चाहते हैं कि स्टेट सेक्टर से जो नलकूप बना रहे हैं वह गरीब, निर्बल और हरिजन लोगों के लिये बना रहे हैं। उन्होंने जो बड़े लोगों को अनुदान की बात कही है तो उससे कोई सहमत नहीं है, यह आपकी कल्पना हो सकती है किन्तु इससे सिंचन क्षमता कितनी बढ़ी है उसको आप देख सकते हैं। आप तो पूर्वी क्षेत्र के हैं, आजादी के पहले कितनी सिंचाई होती थी हम देखें जबकि आज आपके यहां 70 प्रतिशत सिंचाई हो रही है जो कि गौरव की बात आपके लिये होनी चाहिए और मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहिए।

मान्यवर, श्री रघुवर दयाल वर्मा ने एक सुझाव दिया आगरा कैनाल जो कटी, तो उसमें उच्च स्तरीय कमेटी बना दिया है और निर्देश दिया है कि शीघ्र कार्यवाही करें और एक महीने में रिपोर्ट दें और दोषी व्यक्तियों को छोड़ा नहीं जायेगा।

मान्यवर, श्री इम्तियाज मोहम्मद खां ने जो कहा तो उसमें मैं कहूंगा कि मध्य गंगा कैनाल के लिये भूमि अध्याप्ति आफिसर अलग से नियुक्त कर दिया है जो काम को देखेगा।

मान्यवर, खासतौर से स्टेट ट्यूबवेलों के आपरेटरों के बारे में कहा गया कि वह समय से कार्य पर नहीं रहते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि उनके लिये एक अंशकालीन कूपरक्षक रखा गया है, जो उसी गांव का होगा और वह बराबर नलकूप पर रहेगा इससे यह शिकायत दूर हो गयी है और इससे अच्छे सिंचाई के आंकड़े आये हैं।

मान्यवर, सिंचाई क्षमता के लिये जो बड़ी योजनायें बनायी गयी हैं, वह इसलिये कि जो जल स्तर क्षेत्र का नीचे आ गया है तथा इसके कारण सरकारी ट्यूबवेल और प्राइवेट ट्यूबवेल बड़ी मात्रा में फेल हो रहे हैं। जो हो रहे थे, के जल स्तर को सुधारने हेतु बड़ी योजनाओं का बनाना जरूरी है। तो बड़ी योजना बनेगी मध्य गंगा कैनाल और श्री वर्मा जी जो बहुत चिंतित हैं तो वह योजना 92 किलोमीटर तक बन रही है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं और बेवर पोषक नहर एवं माठ ब्रांच जो है उसको हम शीघ्र जोड़ने जा रहे हैं। तो इसमें पूर्व और पश्चिम में भेदभाव करने की कोई बात नहीं है। श्रीमन्, हमें सम्पूर्ण प्रदेश का एक साथ विकास कार्य करना है। माननीय सदस्यों ने कई अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं, उन पर हम विचार करेंगे और

जो हमारे पास संसाधन हैं, उनके द्वारा हम उनका पूरा उपयोग करते हुए अधिक से अधिक कार्य करेंगे । अंत में मैं शाही जी से अनुरोध करूंगा कि कटौती के अपने प्रस्ताव को इन परिप्रेक्ष्य में वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 76–सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,04,57,52,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 77-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 77–सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 6,58,71,72,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जनपद हरदोई के पिहानी क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल लगाये जाने के संबंध में याचिका†

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं जनपद हरदोई के पिहानी क्षेत्र के एक लाख गन्ना कृषकों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सहकारी चीनी मिल लगाये जाने विषयक श्री कृष्ण मुरारी बाजपेयी तथा श्री राधा कान्त शुक्ला निवासीगण जनपद हरदोई द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) विधेयक, 1986 पर विचार करने की अनुमति दिये जाने पर आपत्ति

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत माननीय बेनी प्रसाद वर्मा ने आपत्ति की है, तो वह दो मिनट केवल ग्राह्यता पर कह दें कि क्या कहना है?

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह जो गिरोहबंद और समाज विरोधी अध्यादेश विधेयक यहां पर विचार करने के लिए आ रहा है, उस पर हमें संवैधानिक आपत्ति है । यह पूरा विधेयक आलोकतांत्रिक है और संविधान की मूल भावना के बिलकुल विपरीत है। इसके सम्बन्ध में मैं कुछ विशेष बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

†छापी नहीं गयी।

र्षित करना चाहूंगा। इसमें भारतीय दंड विधान की भी कई धाराओं को शामिल किया गया है जैसे इसमें 171, 107, 108, 110, 366, 367, 371 आदि हैं इसके साथ-साथ लोकल ऐक्ट्स के संबंध में भी इसमें कहा गया है, अर्थात् जो उसके अंतर्गत आएगा उसको भी दंडित किया जा सकता है। यह एक प्रकार से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन पर खुला कठाराघात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार जिसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान सरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। किन्तु यदि यह विधेयक पारित हो गया तो एक ही प्रकार के व्यक्तियों को जैसे अफसर शाही चाहेगी, अलग-अलग उपयोग करेगी। वह चाहेगी तो एक ही अपराध करने पर किसी का मुकदमा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चलाएगी और जिसका चाहेगी उसका गिरोहबंदी कानून में मुकदमा चलाएगी यह चीज अनुच्छेद 14 के सर्वथा विपरीत है। अब आप इसकी धारा पांच देख लीजिए—विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा और उसका उद्देश्य दिया है—इनको शीघ्र न्याय दिलाने के लिए। तो मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगा कि सुप्रीमकोर्ट में जो एक मुकदमा हुआ था पश्चिमी बंगाल सरकार बनाम अनवर अली, उसमें अपने निर्णय में कोर्ट ने कहा है कि शीघ्र न्याय दिलाने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन नहीं हो सकता है। विशेष न्यायालयों के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है इसका बहाना बेकार बनाया गया है। शीघ्र न्याय पाने का अधिकार हर नागरिक को है ।

माननीय, इस विधेयक की धारा 14 को भी देख लीजिये। इसमें कहा गया है कि यदि जिला मैजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई सम्पत्ति चाहे वह जंगम हो या स्थावर, किसी गिरोह बंद के द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणाम स्वरूप अर्जित की गयी है तो वह ऐसी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है, चाहे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध का संज्ञान किया गया हो या नहीं।

माननीय, यह एक प्रकार से जिला मैजिस्ट्रेट को निरंकुश अधिकार दे दिया गया है कि वह जिसके घर की चाहे तलाशी ले सकता है और कुर्की करके संपत्ति जब्त कर सकता है। जिसकी संपत्ति जब्त की गयी है यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह साबित करे कि यह संपत्ति गिरोहबंदी के अन्तर्गत अर्जित नहीं की गयी है। हमारे यहां पहले समय में पुलिस को अंग्रेजों ने इस तरह प्रशिक्षित किया था कि उनका उपनिवेश कायम रहे, उनका आंतक कायम रहे और लोग उनसे भयभीत रहें। वही पुलिस का पैटर्न आज कायम है। पुलिस को कोई विशेष प्रशिक्षण आज भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस पुलिस से अपेक्षा करना कि वह इस कानून का सही उपयोग करेगी यह कोरी कल्पना करना होगा । इसलिये हमारी आपत्ति है कि अगर इस तरह का विधेयक पारित हो गया तो हमारे प्रदेश के लोगों की स्वतंत्रता का हनन होगा । इसमें प्रशासकीय विवेक को प्रमुखता दी गयी है। मैं इस सम्बन्ध में सुभाष चन्द्र खरे जिन्होंने संविधान की व्याख्या की है, उन्होंने कहा है कि बहुधा यह देखा जाता है कि विधायिका विधि में

निहित उद्देश्यों की पूर्ति का निर्देश प्रशासकीय अधिकारियों को कर देता है किन्तु उन सिद्धान्तों का निर्धारण नहीं करता है जिनके अनुसार प्रशासकीय अधिकारी उनका निर्वाह करने हेतु कार्य करेंगें और न यह ही विधायिका द्वारा निर्देशित होता है कि शासन किस प्रकार व्यक्तियों का वर्गीकरण करेंगी। इस प्रकार के मामले जब न्यायालय के समक्ष भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध जाते हैं तो न्यायालय यह देखता है कि विधि में नीति या सिद्धांतों का निर्धारण किया गया है या नहीं। यदि नीति एवं सिद्धांतों का निर्धारण विधायिका द्वारा नहीं किया गया है तथा प्रशासन को स्वविवेक से निर्णय करने का अधिकार दिया गया है और उसके द्वारा भेदभाव बरता गया है तो न्यायालय उसे अनु0 14 के विपरीत घोषित कर देता है। इस लिये यह निर्णय जो दिया गया है वह अनुच्छेद 14 के विपरीत है क्योंकि इस पर इनके विवेक पर कोई अंकुश नहीं है और मान्यवर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका कोई औचित्य नहीं है । यह नियमों के प्रतिकूल है जिससे संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है। इस लिये आपसे अनुरोध करूंगा कि आज इस पर चर्चा करने की अनुमति आप न दें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरी एक आपत्ति है। मैं आपका ध्यान केवल नियम–128 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसका अंतिम पैराग्राफ आप देखें जिसमें यह है कि 'किन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों और सदस्यों द्वारा की गयी आपत्ति अभिभावी होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दें। इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने में इन नियमों का पालन नहीं किया गया है जैसा कि तीन दिन पूर्व इसकी सूचना माननीय सदस्यों को दी जानी चाहिए थी, जो नहीं दी गयी। कल इसकी प्रतियां हम लोगों को दी गयी हैं और आज उस पर विचार हो रहा है इसलिये इसमें संवैधानिक मामला अन्तरनिहित है और यदि आप एक्ट को स्वयं देखें जिससे यह मालूम पड़ता है कि इसमें कितने निरंकुश अधिकार ब्यूरोक्रेसी को और पुलिस को दे रहे हैं। लगता है कि यह विधेयक शासन द्वारा नहीं बल्कि पुलिस विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है नियमों का भी हनन किया गया है इसलिये मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आज इस पर माननीय मंत्री जी को बहस के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति न प्रदान कर।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय तिवारी जी ने इस पर आपत्ति उठाई है, मैं भी आपका ध्यान इस सम्बन्ध में नियम 120(3) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें साफ दिया है कि "जब कभी कोई विधेयक जो किसी अध्यादेश को रूपभेद सहित प्रतिस्थापित करता हो, सदन में पुरः-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थापित किया जाय तो सदन के समक्ष विधेयक के साथ एक विवरण भी रखा जायेगा जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया हो जिसके कारण ऐसा रूपभेद करना आवश्यक हो गया था।'' **तो मान्यवर, इसमें बात साफ है कि जो कोई विधेयक सदन में पुर:-** स्थापित किया जाय तो सदन के समक्ष इसके विवरण भी रखें जायेंगे। इन विवरणों का रखना आवश्यक है परन्तु इसमें ऐसा नहीं किया गया है और **इस अध्यादेश में बहुत सी तब्दीलियां** की गयी हैं और यह तब्दीलियां किन **परिस्थितियोंवश की गयी हैं इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए मान्यवर, इस पर व्यक्तियों के मौलिक** अधिकारों का हनन होगा और नियम 120(3) के तहत जो पालन होना चाहिये था वह भी नाममात्र का किया गया है और जो इसमें उद्देश्य और कारण दिये गये हैं और उसमें भी इसके आशय का कहीं भी पालन नहीं किया गया तो मान्यवर, नियमों का पालन न करना भी नियमों के विरुद्ध है। **जैसा कि विधेयक के कारण और** उद्देश्य में जिन बातों का उल्लेख किया गया है **उसके कुछ शब्द मैं** आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा जिसमें केवल एक दो शब्द जैसे ''गिरोहबन्दों को दण्ड देकर गिरोहों को तोड़ने और उनकी योजनाओं को विनष्ट करने की दृष्टि से और समाज विरोधी क्रिया-कलापों को रोकने आदि का उल्लेख किया गया है। तो मान्यवर, यह अपने आप में पूरे विवरण नहीं है और परिस्थितियों के तहत यह अध्यादेश नहीं लाया गया है और दूसरी बात जब यह विधेयक लाया गया है तो उसमें भी कुछ संशोधन कर दिये गये उसमें भी यह नहीं बताया गया है कि किन परिस्थितियों की वजह से ऐसा किया गया है। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह नियम 120(3) की जो प्रक्रिया है उसका इसमें पालन नहीं किया गया है इसलिए आज आप इस पर बहस की अनुमति न देने की कृपा करें।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–**

मान्यवर, अभी जैसा कि माननीय तिवारी जी और माननीय श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने नियमों के तहत इस विधेयक के सम्बन्ध में अपनी अपनी आपत्तियां उठायी हैं मैं भी नियम–139 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपने आपको उन लोगों से सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि **मान्यवर, इस काले विधेयक पर चर्चा करने की अनुमति आप न दें।** जैसा कि इसमें स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि ''यदि विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची में किसी संशोधन की सूचना उस दिन से 36 घण्टे पूर्व न दी गयी हो जिस दिन कि विधेयक पर विचार किया जाना हो, तो कोई भी सदस्य संशोधन के प्रस्तुत किये जाने पर आपत्ति कर सकेंगे, और यदि अध्यक्ष संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति न दे दें, तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होंगी।'' तो मान्यवर, यह ऐसा गम्भीर स्थिति है कि किसी भी नियमों का पालन इस विधेयक को लाने में नहीं किया गया है और मान्यवर, यही नहीं भारत के संविधान और भारत के पाश्चात्य विधि प्रक्रिया की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है जिससे संवि-

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धान की हत्या हुई है और जैसा कि मैंने नियम 139 के तहत यह बात सामने रखी कि किसी भी विधेयक को पुर:स्थापित करने से पहले 36 घण्टे का समय दिया जाना चाहिये जो नहीं दिया गया है यह मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस पर आज विचार न होने दें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मुख्य रूप से तीन आपत्तियां उठायी गयी हैं। माननीय तिवारी जी ने इसमें तीन दिन पहले सूचना दिये जाने की बात कही है जबकि मान्यवर, मैंने कई बार इन्हीं के संरक्षण में यह सीखा है कि हाउस अपना काम अपने पसन्द से करता है। दूसरी बात यह सारे काम कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा तय होते हैं और वहां से तय हुए प्रस्तावों को इस सदन में रखा जाता है जिस पर सभी माननीय सदस्यों की अनुमति प्राप्त हो जाती है। इसलिए इस पर दोबारा और समय दिये जाने के औचित्य पर विचार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह पहले ही आपके संज्ञान में लाई जा चुकी हैं। दूसरे माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने अध्यादेश के बाद विधेयक में तब्दीली की बात कही है कि कुछ संशोधन किये गये जिनकी परिस्थितियों का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है मान्यवर, उसमें सम्मानित नेता सदन और माननीय विरोध पक्ष के नेताओं द्वारा पूरी तौर पर विचार किये जाने के बाद ही संशोधन जहां जहां रखे जाने थे वहीं रखे गये हैं और जहां तक नियमों का प्रश्न है मैं इस ओर आपका ध्यान अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पृष्ठ–114 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह स्पष्ट तौर पर रूलिंग दी गयी है कि 13 जुलाई, 1972 को उत्तर प्रदेश भंण्डार अधिग्रहण (जारी रखने का) विधेयक, 1971 के पुर:स्थापन के समय श्री कल्पनाथ सिंह ने आपत्ति की थी कि "अध्यादेश और विधेयक में रूपभेद होने के कारण यह विधेयक पेश नहीं हो सकता है। और न पास हो सकता है।" श्री अध्यक्ष ने निम्न व्यवस्था दी–

"वह उसके रूप को ही बदल कर नहीं बल्कि पूरा परिवर्तन करके भी रख सकते हैं क्योंकि वह आर्डिनेंस के जोर से नहीं कहते, वह सदन की राय से चलेगा आप अपनी राय उस पर देंगे, खंडों पर आपको मौका होगा, आप उसके रूप को उस वक्त बदल सकते हैं . . . . ." तो आर्डिनेंस में क्या है, विधेयक में क्या है? अध्यादेश में और विधेयक में कुछ परिवर्तन भी हो, तो उसका आशय यह नहीं हो जाता कि उस पर विचार नहीं किया जाता। सम्मानित सदन ने पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा इस विधेयक को दी है, तो आप क्या चाहते हैं कि अनुज्ञा देने के बाद इस पर चर्चा न हो। कल अनुज्ञा के संबंध में आपत्ति उठाई गयी थी और यह देखा गया कि अनुज्ञा दी जा सकती है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, इस सम्मानित सदन के लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस अधिकार क्षेत्र में यह बात है कि यदि कोई केन्द्र का कानून गतिरोध भी हो और गतरोध का कानून पहले से बना हुआ है, और प्रदेश का कानून उससे भिन्न है, तो भी यह सदन उस कानून को पास कर सकता है। लेकिन 40 दिन पहले

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राष्ट्रपति से इसके लिए अनुमति लेनी होगी। जहां पर केन्द्र में सी0 आर0 पी0 सी0 में एंटीसिपेटरी बेल की बात थी, उसको आपने ले लिया। केवल अन्तर यह है कि जो कानून पहले से दिया हुआ है, उसमें हम संशोधन करने जा रहे हैं इस विधेयक के माध्यम से, बशर्ते राष्ट्रपति अपनी अनुज्ञा दे दें। मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़ना चाहता हूं। ए0 आई0 आर, 1979, पेज 899 मान्यवर, देखें। इसमें लिखा है–

ह्वेयर हाऊइवर इफ ला पास्ड बाई द स्टेट कम्स इनटू कोलिजन विथ ए ला पास्ड बाई पार्लियामेन्ट आन एन इन्ट्री इन द कानकरेन्ट लिस्ट, द स्टेट एक्ट शैल प्रीवेल टू दि इक्सटेन्ट आफ द रीपगनेन्सी एण्ड द प्राविजन्स आफ द सेन्ट्रल एक्ट . . .''

श्री उपाध्यक्ष–

हिन्दी इसकी कर दीजिए।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह ए0 आई0 आर0, 1979 में पृष्ठ 899 पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। इसमें लिखा है कि जहां पर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश विधान मंडल द्वारा कोई कानून इस प्रकार बनाया जाय, जिसका टकराव केन्द्र से हो, तो वहां पर प्रदेश का कानून वैलिड माना जायगा। तो मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इस पर विचार करने की अनुज्ञा आप दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने श्री बेनी प्रसाद वर्मा को नियम 300 के अन्तर्गत सुना। श्री वर्मा का कहना है कि गिरोह बन्द विधेयक में ऐसे प्राविधान रखे गये हैं जो भारतीय दण्ड संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विपरीत है। इसके अतिरिक्त यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करता है।

माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि भारतीय दण्ड संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्राविधानों में यह सदन राष्ट्रपति की स्वीकृति से संशोधन करने के लिए सक्षम है, क्योंकि यह विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची में शामिल है। इसके अतिरिक्त 17-8-64 को इस पीठ से यह निर्णय भी हो चुका है कि किसी विधेयक की संवैधानिकता के संबंध में आपत्ति विधेयक के पुरःस्थापन के समय ही की जा सकती है, कोई विधेयक कानूनी है अथवा नहीं, इसका फैसला अदालत द्वारा किया जाता है। अतः यह आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती।

शतरुद्र जी ने कहा कि जो मूल अध्यादेश आया था उससे विधेयक में कुछ तब्दीली कर दी गयी है। इसमें ज्ञापन पत्र दिया गया है, इसमें पीछे दिया हुआ है। यह इतना देना ही उचित है। मैं आपकी आपत्ति को निरस्त करता हूं। माननीय गुप्ता जी ने जो आपत्ति की थी कि 36 घंटे पहले कापियां मिलनी चाहिए थीं। इसको कार्य मंत्रणा समिति ने तय किया और उसको सम्मानित सदन में पास किया गया और यही नियम तिवारी जी की आपत्ति में भी आता है। मैं इनको निरस्त करता हूं। यह सदन अपने काम में पूरी बरीके से मास्टर है। वह कितना ही समय दे सकता है और कितना ही समय रद्द कर सकता है?

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986†

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज दिनांक 13-3-86 की उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य सूची की मद संख्या 9 अंकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है।

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय नेता विरोधी दल ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उस पर चर्चा तो हो जाय। मेरा नाम भी उसमें है।

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा हो जायेगी। बाद में हो जायेगी।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, हमारे सभी सम्मानित सदस्य, साथी तथा सभी सम्पूर्ण प्रदेश के नागरिक इस बात से भली प्रकार से परिचित हैं कि किस प्रकार से गिरोहबन्द और समाज विरोधी तत्व तेजी से बढ़ते जा रहे हैं उन्हें रोकने के लिए वर्तमान उपाय पर्याप्त और प्रभावी नहीं दिख रहे थे। इस कारण गिरोहबन्दों को दण्ड देकर प्रभावी ढंग से उनके कार्य कलापों की सजा देकर उनके ऊपर ठीक ढंग से प्रभावी ढ़ंग से कार्यवाही की जाय। मान्यवर, चूंकि विधान मंडल सत्र में नहीं था, असेम्बली नहीं चल रही थी, इस कारण एक अध्यादेश लाया गया महामहिम राज्यपाल द्वारा और राष्ट्रपति महोदय ने उस पर स्वीकृति प्रदान की। यह 15 जनवरी, 1986 को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 प्रख्यापित किया गया। तद्नुसार कतिपय आवश्यक स्थानों पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986 पुर:स्थापित किया जा रहा है। मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि यह जो गैंग हैं, गिरोहबन्द हैं, समाज विरोधी तत्व हैं, छुटपुट रूप में क्राइम करते थे, व्यक्तिगत रूप से करते थे, एक व्यक्ति या 4, 5, 6 व्यक्ति मिलकर क्राइम करते थे, व्यक्तिगत रंजिशों के कारण अपराध करते थे। उन सबको रोकने के लिए आधुनिकतम तरीके पर यह समझा गया कि न्यायालयों में मुकदमा जाने के बाद भी सजा नहीं होती है। कोई दण्ड नहीं मिलता है इसलिये उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया कि किसी तरह से सबूत, गवाह और गवाही को समाप्त किया जाय। जो यह कहा गया कि यह संविधान के विरुद्ध है, सी0 आर0 पी0 सी0 की धाराओं के विरुद्ध है, यह बात गलत है। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेन्ट ने भी दि टेरिरिस्ट एण्ड डिसरपटिव एक्टीविटीज ऐक्ट पास किया

†दिनांक 14 मार्च, 1986 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

है। उसी से प्रेरणा लेकर उसी आधार पर इसकी धारायें और उपधारायें हैं और उसी आधार पर इस एक्ट को बनाया गया है। जब पार्लियामन्ट ने इस प्रकार का विधेयक पास किया और असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया तो यह विधेयक भी किसी प्रकार से असंवैधानिक नहीं है। मान्यवर, सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से कचेहरियों में जब आबकारी का ठेका होता है तो यह गैंगेस्टर लोग बोली बोलते हैं। किसी दूसरे को वहां नहीं आने देते हैं। इसके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 नहीं हो सकती है, जो स्वतंत्र व्यापार करने वाले लोग थे वह अपना व्यापार नहीं करने पा रहे हैं। इसी प्रकार से मान्यवर आप देखें बहुत से ऐसे गैंग हैं, चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग हो या सिंचाई विभाग हो अन्य विभाग हो, जो टेन्डर डालने वाला बक्स होता है; उस पर राइफल लेकर बैठते हैं। किसी दूसरे आदमी को टेन्डर नहीं डालने देते थे। मैं नम्रतापूर्वक माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक का मकसद इस प्रकार का नहीं है कि किसी भले आदमी के विरुद्ध इसका उपयोग किया जायेगा।

मान्यवर, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आगरा के फिरोजाबाद के माननीय सदस्य सामने बैठे हैं। यह जानते हैं कि वहां पर किस प्रकार गैंगेस्टर लोग आदमी की जिन्दगी की खरीद फरोख्त करते थे, उनकी सम्पत्ति की खरीद फरोख्त करते थे। हमें खुशी है कि यह सरकार पूरी तरह से मारली कनविंस होकर यह विधेयक लायी है ताकि प्रदेश के आम आदमी का जीवन और उसकी सम्पत्ति सुरक्षित रहे। हमारे संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी बोल रहे थे तो उधर से कहा गया कि कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मंत्री फिर कहना चाहता हूं कि सरकार ने पूरी तरह मारली कनविंस होकर इस विधेयक को सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। जो वर्तमान उपाय थे वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, तभी यह विधेयक आप के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें शीघ्रता से न्याय दिया जायेगा, स्पेशल कोर्ट का गठन होगा, इसकी कार्यवाही कैमरे में होगी, जो जमानत है उसमें सख्ती की गई है। इस प्रकार यह कहना कि यह विधेयक संविधान के विरुद्ध है तथा गलत नीयत से प्रस्तुत किया गया है, गलत है। यह बिल्कुल सही नीयत से लाया गया है। मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि प्रदेश की जनता के अमन चैन के लिये, सभी नागरिक सुख की नींद सो सकें, इस विधेयक को पारित करें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986 को जनता की राय जानने के लिए तीन माह तक परिचालित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है....

श्री उपाध्यक्ष–

दूसरा संशोधन भी प्रस्तुत हो जाय?

श्री शतरुद्र प्रकाश।

(3 बजकर 20 मिनट)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप देख लें कि कार्यसूची में जिसका नाम है। नेता, विरोधी दल किसी प्रस्ताव की अग्रता करते हैं तो उनको अधिकार है, लेकिन यदि उनसे भिन्न कोई व्यक्ति आता है तो यह प्रवर समिति

का जो प्रस्ताव है, इसमें हरीश जी का नाम सबसे ऊपर है, उनको पेश करना चाहिये । जिसका नाम नम्बर-1 पर है, उनको पेश करना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

हरीशजी कर दें, कोई भी कर दे, कोई बात नहीं है।

श्री राम सरन–

मान्यवर, इनका तीन माह के लिये है और मेरा एक माह के लिये है।

(श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बाद में प्रस्तुत कर दीजियेगा, पहले नेता विरोधी दल बोल लें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि बहुत अफसोस के साथ आज मुझे बोलना पड़ रहा है। 15 जनवरी, 1986 को राज्यपाल महोदय ने जब यह अध्यादेश जारी किया था तो वह दिन उत्तर प्रदेश के लिये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दिन था और उसके बाद भी हमारे विपक्ष के सभी नेताओं ने और सभी माननीय सदस्यों ने कोशिश की कि इस सरकार को सद्बुद्धि आ जाय और इस काले अध्यादेश को वापस ले लें। तमाम अनुरोध के बाद, तमाम आग्रह के बाद सरकार ने इस अध्यादेश को वापस नहीं लिया और आज इस विधेयक को प्रस्तुत कर ही दिया । आज यह विधेयक तमाम अनुरोधों के बाद, मान्यवर, पेश किया जा रहा है, आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा काला दिन होगा। और इसलिये कि मान्यवर, आज समस्त उत्तर प्रदेश की जनता के अधिकारों का सवाल है। किसी व्यक्ति का सवाल नहीं है और आज इस विधेयक को पेश करके उत्तर प्रदेश की जनता की स्वतंत्रता को छीना जा रहा है पूरी तरह से। इसके अलावा जो जनता की आवाज उठाने वाले जन-प्रतिनिधि, समाचार-पत्र और मजदूर संगठन हैं, इसके अतिरिक्त बुद्धिजीवी जो हमेशा जनता के सवालों को लेकर लड़ते थे, अपनी बात कहते थे, उन सबके अधिकार को आज छीना जा रहा है इस विधेयक के जरिये से। मान्यवर, इस सम्बन्ध में ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने इस विधेयक को तैयार किया है, वह हिटलर, मुसोलिनी जैसी आत्मा वाला, मानसिकता वाला व्यक्ति है, जिसका यह विधेयक है और यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज पक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है आज सवाल है नागरिकों की सुरक्षा का, उनके अधिकारों का । मान्यवर, मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों की आत्मा से अपील करता हूं कि बंधुवा मजदूर बनकर अपनी मौत के कागज पर दस्तखत न करें ।

मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों को इसलिये समझाना चाहता हूं कि इमरजेंसी के अत्याचारों की बातें यह ताजी याद है। आपको याद होगा कि इमरजेंसी में सरकार ने असीमित अधिकार अधिकारियों और पुलिस को दिये थे, हजारों-हजारों निर्दोष लोगों को जेलों में बन्द किया गया था, हजारों परिवारों को उजाड़ा गया था। और, मान्यवर, याद होगा उस समय कांग्रेस के लोग भी नहीं बचे थे। कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में बन्द किया गया। आज यह हथियार जो पुलिस को देने जा रहे हैं, केवल विपक्ष के लिये नहीं है, यह आपके पक्ष के लोगों के लिये भी होगा।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री कह रहे थे कि विपक्ष के नेताओं से बातचीत की। मान्यवर,

हमने बार-बार मुख्य मंत्री जी से अनुरोध किया कि इस अध्यादेश को वापस लें। लेकिन, इन्होंने अपने प्रचंड बहुमत के बल पर अध्यादेश को वापस न लेकर हमारे सारे विपक्ष के नेताओं की राय को ठुकरा दिया। मान्यवर, मैं समझता हूं कि जब-जब इस तरह के विधेयक या प्रस्ताव आये हैं, उसका पुराना इतिहास बताता हूं, इमरजेंसी में जब मीसा लगाया गया था, उसका दुरुपयोग हुआ, उसमें राजनीतिक लोगों की गिरफ्तारियां हुईं। डकैतों पर नियंत्रण करने के लिये अध्यादेश जारी किया गया, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि इसका राजनीतिक लोगों पर दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग हुआ। मान्यवर, 1980 से 1981 तक प्रदेश के अन्दर सूचीबद्ध डकैतों की संख्या केवल 440 थी लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 हजार लोगों को मौत के घाट उतारा था और उन सूचीबद्ध डकैतों में कई डकैत आज भी जिन्दा हैं। इसलिये उसका दुरुपयोग किया गया। मान्यवर, इसका भी हाल यही है, अभी तक यह विधेयक पेश नहीं हुआ है, पेश होने से पहले इसका दुरुपयोग शुरू हो चुका है। मान्यवर, हम लोगों ने कहा उसके बाद भी इन्हें सद्बुद्धि नहीं आयी। अगर अभी भी सद्बुद्धि आ जाय, तो अच्छा रहे। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यह उत्तर प्रदेश में चली चले का मेला है यहां पर, आप हमेशा उस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। आप कहते हैं कि हमारी नेताओं से बात हुई। मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह, रामचन्द्र बख्श सिंह, मा0 रमाशंकर कौशिक, राज-किशोर सिंह जी सभी से विचार-विमर्श हुआ, उस समय सब लोग मौजूद थे, माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि जिस दिन आप कहेंगे कि गलत गिरफ्तारी हो गयी है, उसी दिन हम छुड़ा देंगे। लेकिन, अगर कोई व्यक्ति एक बार समाज में अपमानित हो गया, उसे आप छुड़ा भी लेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं। मान्यवर, मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि आपको उसे छुड़ाने की हिम्मत नहीं होगी और होगी अगर हिम्मत, तो मैं एक नहीं कई उदाहरण आपके सामने रखूंगा। अगर आपकी नीयत साफ है इस विधेयक को लाने के लिये तो मैं कहना चाहता हूं कि आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिये, पूरे प्रदेश की जनता के सामने चर्चा हो जायेगी। आप सूची जारी करके बता दें कि ये लोग हैं, जो प्रदेश की जनता की सुख शांति के लिये बाधक हैं और इनकी गतिविधियों को रोक पाने के लिये कोई प्रभावी कानून नहीं है, इसलिए यह विधेयक लाये हैं। अगर आप में हिम्मत है और नीयत साफ है तो सूची और श्वेत पत्र जारी कीजिये चर्चा हो जायेगी। लेकिन, आप में ऐसी हिम्मत नहीं है। अगर आप सूची जारी करेंगे, वास्तव में आप गिरोहबन्द और समाजविरोधी तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तो मैं समझता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सारा विपक्ष इसमें आपको सहयोग प्रदान करेगा आप श्वेत पत्र और सूची जारी कर दीजिए और बता दीजिये कि ये लोग जनता की सुख शांति में बाधक हैं। लेकिन आप श्वेतपत्र के जारी करने के लिये तैयार नहीं होंगे। इसे मैं भली भांति जानता हूं। मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं, इमरजेंसी के बाद स्व0 श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह स्वीकार किया था कि समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा करके हमने गलती की थी। उसकी वजह से जो बड़े-बड़े खतरनाक अत्याचार जनता पर हुये थे वे सरकार

तक पहुंच नहीं पाये। आज फिर सरकार इस विधेयक द्वारा समाचार पत्रों पर सेंसर-शिप लगा रही है। यदि कोई समाचार पत्र ऐसी कोई खबर छापता है जो सरकार विरोधी है तब आप कहेंगे इससे आतंक फैला है तो आप उस समाचार पत्र के पत्रकार को जेल भेज देंगे। अगर इसी बात पर किसी को उत्तेजना आ गयी या गुस्सा आ गया तो उसे भी आप गिरोहबंदी विधेयक के तहत बन्द कर देंगे। यदि कोई प्रदर्शन करता है तो उस पर भी इसका इस्तेमाल करेंगे। आपकी पूरी मंशा है कि आपके जो काले कारनामें और प्रशासनिक अधिकारियों के क्रिया-कलाप हैं, उसका जो विरोध करेगा उसी को जेल भेजा जायगा। सभी अधिकारी एक से नहीं हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा है परन्तु जो लोग साजिश कर रहे हैं और वर्तमान कानूनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और प्रचलित कानूनों को पालन कराने की उनमें क्षमता नहीं रह गयी है इसलिये अपने निकम्मेपन और नकारापन को छिपाने के लिये अपनी बेवकूफी और मूर्खता तथा कमजोरी को छिपाने के लिए इस विधेयक को लाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आप से फिर कह रहा हूं कि आप अभी भी चेत जाइये और इस काले विधेयक को आप वापस ले लीजिये।

आप कहते हैं कि दुरुपयोग नहीं होगा जब कि इसका दुरुपयोग शुरू हो गया है। वर्तमान कानून पर्याप्त थे। इसके बावजूद भी आपको ऐसे काले कानून को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गयी जिससे साफ जाहिर होता है कि आप इसका इस्तेमाल राजनैतिक विरोधियों के लिये करेंगे और यह होता भी रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपके सामने दो-तीन उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि 28 जनवरी को रास्ता रोको आन्दोलन हुआ। संविधान के तहत सभी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है लेकिन उसके बाद भी इस कानून का आपके कलेक्टरों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ठीक है गोंडा में आप ने इसे वापस ले लिया। कानपुर में इसे आपने वापस ले लिया लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि तब भी आपने उस समय इस गिरोहबंदी कानून का दुरुपयोग किया था। कानपुर में राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल की वहां पर भी इस गिरोहबंदी का आपने दुरुपयोग कर लोगों को उन्नाव और कानपुर के जेलों में भेजा तो क्या यह दुरुपयोग नहीं है? इसकी शिकायत आपसे की गयी थी तो आपने उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? जिन्होंने इस गिरोहबंदी का दुरुपयोग किया? यदि नहीं की, तो क्यों नहीं की? आन्दोलन करना संविधान के तहत एक अधिकार है।

मैं आपको उरई का उदाहरण देना चाहता हूं। साढ़े सोलह वर्ष का विनोद कुमार एक लड़का है। हाई स्कूल का इम्तहान देने जा रहा है और दूसरा लड़का साढ़े सत्तरह साल का है जो बी0 ए0 क्लास का विद्यार्थी है। साढ़े सोलह साल के लड़के की फोटो भी मैंने आपको दे दी है। इस लड़के के खिलाफ किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट नहीं है उसके बावजूद भी गिरोहबंदी कानून में उसको जेल भेज दिया गया। आपने कहा परसों कि हमने इसे वापस ले लिया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कलेक्टर ने इसका दुरुपयोग क्यों किया? माननीय मुख्य मंत्री जी आज भी इस सदन में इस बात की घोषणा करें कि वह इस संबंध

मैं कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही करूंगे। इसी तरह मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मैंने सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलते हुये कहा था कि आनंद पाठक एक लड़का था जो कमलेश पाठक विधायक जी का चचेरा भाई है केवल राजनैतिक विद्वेष भावना की वजह से उस पर रा0सु0का0 लगाया गया था। जब रासुका लाया गया तो आनंद पाठक पर आरोप लगाया गया कि बलात्कार किया, बलात्कार करने वाला आनंद चौबे था। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे औरय्या के। विद्वेष की भावना से आनन्द चौबे के विरुद्ध कार्यवाही न करके आनन्द पाठक के विरुद्ध कार्यवाही की गयी । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला, एक दर्जन विधायक गृह सचिव से मिले, डी0जी0 से मिले और तत्कालीन मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी से तीन बार मिले। मैंने कहा कि आनंद पाठक दूसरा है, आनंद चौबे दूसरा है, लेकिन आनन्द पाठक को 10 महीने तक जेल में रहना पड़ा। आप देख लीजिये, पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट ने लिखा है। जब हाईकोर्ट ने स्वयं लिखा है कि गलत आरोप लगाकर जेल में भेजा गया है तो क्यों नहीं कार्यवाही की गयी? जो आज ईमानदारी से जनता की आवाज को उठाने वाले लोग हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। अगर आपमें हिम्मत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इसको ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं तो कांग्रेस (आई) के दो एम0पी0 हैं । अगर आप उनके नाम सदन में पूछना चाहते हों तो मैं बता सकता हूं। आप अपने सेक्रेटरी से हाट लाइन पर पूछिये कि दोनों एम0पी0 के लड़कों का चाल-चलन कैसा है। अगर उत्तर प्रदेश में कहीं गिरोहबंदी का कानून लगना चाहिये, तो वह एक एम0पी0 का लड़का है । एक बार एक एस0एस0पी0 ने कोशिश की थी कि उसको जेल भेजेंगे, उस समय तीन महीने के अंदर एस0एस0पी0 का ट्रान्सफर करा दिया गया। उत्तर प्रदेश में अगर 10 एस0एस0पी0 ईमानदार होंगे, तो उनमें से वह एक था। दोष उसका यही था कि वह एम0पी0 से नहीं डरता था। एक एम0पी0 का लड़का आगरे में बैंक डकैती में पकड़ा गया था, लेकिन पोलिटिकल प्रेशर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको छुड़ा दिया। अगर नाम पूछना चाहते हों तो मैं नाम भी बता सकता हूं, अगर आप कार्यवाही करने का आश्वासन दें। उससे बड़ा कोई गुण्डा नहीं हो सकता है, लेकिन उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये आप तैयार नहीं हैं। गाजियाबाद में दिल्ली की पुलिस ने एक गुण्डे को पकड़ा और दिल्ली की पुलिस पकड़ ले गयी, उसके पास स्टेनगन और हथियार निकले, वह कई अपराधों में वांछित था। उसके बाद उसके भतीजे को भी पकड़ा। डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 उसको गाजियाबाद कोतवाली में बुला लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वहां जाते हैं और डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 से मिलकर, बावजूद इसके कि उसके पास स्टेनगन थी और उससे दिल्ली पुलिस को कुछ चोटें भी आयी थीं, उसे कोतवाली से छुड़ाकर ले गये । केवल विपक्ष की जुबान बन्द करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। प्रधान श्याम सिंह यादव, जिला परिषद् के मेम्बर और उन्हीं लोगों ने जो आज त्यागी नाम का गिरोह हिन्दुस्तान में प्रसिद्ध हो गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे लोग जानते हैं, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक

जिला परिषद् के मेम्बर को केवल इस-लिये कि कांग्रेस का विरोध किया था, उसे जेल में बन्द कर दिया। उसकी पत्नी की जब मृत्यु हो गयी तो मान-वीय आधार पर जज ने उसे पैरोल दे दिया लेकिन कलैक्टर और एस0 पी0 उसको पैरोल पर भी नहीं छूटने देते। क्या आप न्याय देंगे? आपकी मंशा नहीं है आपकी नीयत साफ नहीं है। आपने हमेशा आश्वासन दिया है और उन आश्वा-सनों का हमेशा उल्लंघन हुआ है। इसी-लिये मैं कहता हूं कि जो वर्तमान कानून हैं उन्हीं को आप शक्तिशाली बना कर उनसे ही काम लीजिये, उन कानूनों को सफल बनाइये, इस विधेयक को लाकर नागरिकों के संवैधानिक अधिकार का आप हनन न करिये। मैं समझता हूं कि उधर सत्ता पक्ष में बैठने वाले भी हमारी बात को समझते होंगे कि यह विपक्ष पर ही नहीं बल्कि पक्ष के सदस्यों के साथ भी ऐसी घटना घटित हो सकती है। इसीलिये मेरा सुझाव है कि मुख्य मंत्री जी इसको आप वापस ले लीजिये।

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रति-वेदन सदन में प्रस्तुत करे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आज किस नीयत से प्रेरित होकर इस बिल को सरकार ने सदन में रखा है, इसको तो अपनी आत्मा से पूछ कर वह बयान कर सकते हैं। लेकिन मान्यवर, मुझे श्री जय प्रकाश नारायण की वह उक्ति याद आती है कि "विनाश-काले विपरीत बुद्धि" कि विनाश काल जब आता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करने लगती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्ति बनाये रखिये। कृपया शान्ति से सुनिये।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इन लोगों को यही आता है जैसा कि अभी नेता विरोधी दल ने कहा कि ये बन्धुआ मजदूर की तरह हैं तो क्या करें? ये आत्मा की आवाज पर भी केवल वाह-वाह की ही आवाज निकाल सकते हैं। मान्यवर, इस बिल के सम्बन्ध में यह सरकार यह कह सकती है कि इससे हम बहुत ज्यादे बुराइयां दूर कर देंगे। लेकिन आप देखें कि इसके पहले जो ऐसे बिल आये हैं जैसे कि मीसा का कानून और एन0 एस0 ए0 का कानून आया, आप कहते हैं कि हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे, लेकिन कब तक आप इस पर रोक लगा पायेंगे? जो आपके हथियार हैं जिनके द्वारा आप इसका पालन करायेंगे, इसको लागू करने वाले आपके जो लोग हैं यह देखने की बात है कि उन पर आपका कितना नियंत्रण है? आप जो कानून का पालन जिनसे कराना चाहते हैं वे स्वयं आपके कानून को नहीं मानते हैं।

आपके डी0 जी0 का नियंत्रण एस0 एस0 पी0 पर नहीं है, एस0 एस0 पी0 का नियंत्रण दरोगा पर नहीं है। कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। असली रूप में दरोगा ही इसका क्रियान्वयन करेगा और इस पर कार्यवाही करेगा।

मुख्य मंत्री जी को याद होगा कि मैंने उन्हें बतलाया था कि फैजाबाद का मामला है कि वहां मेहतरों पर गिरोह-बन्द कानून लगा दिया गया। मेरी इसके बारे में डी0 जी0 से बात हुई तो, उन्होंने बाद में कहा कि दरोगा ने गलती से इसे लगा दिया है। तो मान्यवर, यह शुरुआत है। आप आज बहुमत के बल पर इसे पास करा लेंगे। अभी मुख्य मंत्री जी उठ कर कहेंगे कि इसका दुरुपयोग नहीं होने पायेगा, बहुत कठोरता से इसमें दण्ड दिया जायेगा। लेकिन होगा क्या?

15 जनवरी के बाद से लगातार इस प्रदेश में ऐसे तत्व घूम रहे हैं और आपकी पुलिस में ताकत नहीं है कि वह उनको पकड़ सके। 15 जनवरी से आज 13 मार्च आ गयी कितने ऐसे तत्वों को आपने गिरोहबन्द कानून के अन्तर्गत बन्द किया है? आज भी वे बदमाश नगरों में खुले आम घूम रहे हैं क्योंकि आपकी पुलिस उनसे मिली हुई है। आपकी पुलिस जो उनसे मिली हुई है उसके हाथ में आप यह ताकत दे देंगे तो न वकीलों की वकालत चलेगी, न मजदूर फैक्ट्री में काम कर पायेंगे और न किसी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो पायेगी। और किसी बात में दरोगा नाराज हो गया, तो इस कानून को लागू करके उसको अन्दर कर देगा। जो लोग लागू करने वाले हैं, वह कौन लोग हैं, उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही कर सकेंगे, अगर वह इसका गलत प्रयोग करते हैं? डी0 जी0 ने कह दिया कि दरोगा ने गलत लागू कर दिया है अब उसको छोड़ दिया जायेगा। मान्यवर, अगर यही प्रक्रिया अपनायी गयी तो निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग होगा। अगर आप गलत लागू करने वाले को सजा नहीं देंगे, तो कुछ हो नहीं पायेगा।

मान्यवर, इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। मैं इसका विरोध इसलिये कर रहा हूं कि अगर कोई ऐसी बात बन जाती है, तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता है, उसको वापस नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, पार्लियामेन्ट में एक बार एक बिल पास हो गया, नागपाई ने संविधान में संशोधन प्रस्तुत किया और पूरे सदन के सभी लोग उस विधेयक के पक्ष में थे और चाहते थे कि अमेन्डमेंट हो जाना चाहिये, लेकिन डा0 राम मनोहर लोहिया ही थे, जिन्होंने उसका विरोध किया था। उन्होंने यह कहा था कि यह बिल नहीं पास होना चाहिये और उन्होंने नागपाई के हाथ जोड़े थे कि इस बिल को न लायें, बहुत अनिष्ट हो जायेगा और मान्यवर, 1971 में उसी बिल को कार्य रूप में परिणत किया गया, लागू किया गया और उसके बिना पर ही इस देश में इमरजेंसी लागू की गयी। आप सत्ता में हैं इस समय, आप इस बिल को पास करा लें। क्या पुलिस को इतनी ताकत देकर जनता का जीवन यापन ठीक प्रकार से हो सकेगा? क्या जनता अपना जीवन यापन कर सकेगी? आपने कहा कि ठेकेदारी में जो घपला होता है, उसको रोका जायेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि 15 फरवरी से 15 मार्च तक कितने गुन्डों को आपने पकड़ा है? आपसे आग्रह है कि इसको जैसा और सदस्यों ने कहा कि इस बिल को अभी आप लाना चाहते हैं तो इसको प्रवर समिति में भेज दें और इस पर चर्चा हो जाये, तो इसकी मंशा साफ हो जायेगी।

वहां से लौट आने पर इसको आप लागू कर दें। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं ? मैं आपकी भलाई के लिये कह रहा हूं, अपने विनाश के लिये ऐसा काम न करें। इन शब्दों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि इस काम में जल्दबाजी न करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जहां तक अशांति और अपराध करने वालों को पकड़ने का सवाल है, प्रतिपक्ष का हर सदस्य शासन का सहयोग देने के लिये तैयार है । अभी नेता विरोधी दल और नेता जनता पार्टी ने इस विधेयक की सैद्धान्तिक आलोचना की, मैं खण्डों के द्वारा यह सिद्ध कर दूंगा कि संविधान की मान्यताओं के विपरीत यह विधेयक है । समस्त धारणाओं की हत्या कर दी गयी है, इसलिये मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। अब तक चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों आपस में बात करते रहे कि इस पर चर्चा होनी चाहिये। मान्यवर, आप इसकी परिभाषा को देखें, यह बहुत ही वेग है। इसमें अनुचित शब्द को प्रयोग किया गया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि उचित और अनुचित का निर्णय कौन करेगा ? मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों इस सदन में, अपट्रान में जो हड़ताल हुई, उसके कार्य-स्थगन का प्रस्ताव रखा था। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि बोनस हम उनको देंगे, जिसकी-जिसकी फैक्ट्रियां फायदा लाभ उठाती हैं। मैंने कहा था कि वह एक ही तरह से लेखा-जोखा रखने वाली फैक्ट्रियों को बोनस एक तरह से मिलना चाहिये। अब यह उचित अनुचित का भेदभाव करने की बात क्या होगी ? अब यह प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर इसकी परिभाषा मान ली जायेगी आर्थिक लाभ या प्रदर्शन तो क्या होगा? वे 8·33 के बजाय 20 प्रतिशत बोनस की मांग कर रहे हैं। सरकार की निगाह में मांग अनुचित है तो वह सब मजदूर इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। अब सांसारिक, आर्थिक और भौतिक लाभ है । सांसारिक का क्या मतलब है इसको स्पष्ट करने की जरूरत है । भौतिक और शारीरिक इसका क्या मतलब है। अगर इसको सांसारिक हित के लिये, उचित अनुचित की बात छोड़ दीजिए, तो कोई आदमी कौन सा काम करेगा जिसे आप भौतिक मानेंगे (फिजिकल) शारीरिक मानेंगे कोई शारीरिक व्यायाम कर रहा हो उसको। इसमें उसको भी ले लेंगे । अब है अन्य लाभ, अन्य लाभ की परिभाषा इसमें नहीं की गयी है अर्थात इसमें उठने, बैठने, खाने, पीने और रहने जिसको भी आप अनुचित कह देंगे उसको इस अधिनियम के अन्तर्गत ले आयेंगे । आपने कांस्टेबिल को इतने अधिकार दे दिये हैं कि वह किसी कार्य को उचित अनुचित बताकर इसके अन्दर ले लेगा। तो इसका किस तरह से दुरुपयोग होगा। अब आती है टार्चर यानि संत्रास। माननीय तिवारी जी बैठे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। मैंने कहा था कि एक ललितपुर के वकील साहब ने एक 80 सी आर0 पी0 सी0 की नोटिस दे दी मैजिस्ट्रेट को। उस मैजिस्ट्रेट ने उस नोटिस के बदले में कह दिया कि आप पर क्यों न गिरोहबन्द अध्यादेश लागू कर दिया जाय। आपने मुझे 80 सी आर0 पी0 सी0 की नोटिस दी है इससे मुझे मानसिक संत्रास हुआ है। तो आप कल्पना करिये कि यह इसका क्या होगा? आगे कहते हैं यह कौन सा अपराध माना जायेगा यह भारतीय दण्ड विधान संहिता के अध्याय 16, अध्याय 17 और अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय अपराध?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बात न करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह आपने कई बातें दी हैं। इनमें जो व्यक्ति अपराध करेगा उसको दण्ड देंगे। सामान्य सिद्धान्त यह है कि किसी को अपराध में दोहरा दण्ड नहीं दिया जायेगा और न परीक्षण किया जायेगा। अब यह एक्साइज एक्ट है इसमें अगर दफा 60 में चालान हुआ है, लेकिन दफा 60 में चालान होने के कारण गिरोहबन्द में आ गया तो क्या दो बार दण्ड देंगे ? जुआ का जो अपराध है उसमें थाने से जमानत हो जाती है, आपने व्यवस्था दी है कि नानकागनेजबिल अफेन्स है, इसमें काजनेजबिल मान लिया है। अब मैं इसकी धारा 2 (दस) पर आता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

खण्डों पर बाद में विचार होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं जनरल डिसकशन पर बोल रहा हूं। मान्यवर, इसमें लिखा है अन्य व्यक्तियों को साम्प्रदायिक सामंजस्य में विघ्न डालने के लिये हिंसा करने के लिए उद्दीप्त करना। मान्यवर, जब तक "साम्प्रदायिक" शब्द की परिभाषा इसमें नहीं की जायेगी तब तक यदि कोई व्यक्ति किसी भी साम्प्रदायिक काम को करेगा तो उसे आप साम्प्रदायिक मान लेंगे। आगे चलिये। सार्वजनिक या निजी उपक्रमों या कारखानों के कर्मचारियों या स्वामियों या अध्यासियों को आतंकित करना या उन पर हमला करना और उनकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाना। इसमें मान्यवर, अगर कोई ट्रेड यूनियन लीडर अपने सेवायोजक के पास जाकर कहता है कि हमारी वेजेज बढ़ा दी जायं। सेवायोजक कहता है कि नहीं देते। इस पर वह कहता है कि नहीं देंगे तो हड़ताल हो जायेगी। तो मान्यवर, इस हड़ताल की चेतावनी देना धमकी हो जायेगी और इसके अन्तर्गत उसे आप पकड़ लेंगे।

इसमें आपने लोक सेवक की परिभाषा की है। मैं यह कह रहा हूं कि कैसे इसका दुरुपयोग होगा। लोक सेवक की परिभाषा हमारे एक्ट में दी हुई है। उसमें लोक सेवक की परिभाषा जो फेमिली के अलावा दी हुई है कि वह व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी हो, उसकी मुखबिरी करता हो, लोक हित की चिन्ता करता हो, लोक हित रखता हो, वह लोक सेवक माना जायेगा। इसके खिलाफ, लोक हित के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता हो तो उस पर यह गिरोह बन्द अधिनियम लागू हो जायेगा।

आपने इसमें व्यवस्था रखी कि 5 हजार रुपये से कम की सजा नहीं

होगी। आपने बड़े-बड़े एनिशमेंट के लिये सजा की व्यवस्था की है लेकिन इसमें सबसे गम्भीर बात यह है कि अपराधशील व्यक्ति का ध्यान रखा जायेगा। इसमें 4 (ङ) में दिया है। इस हेतु जो विशेष न्यायालय होंगे वे फैसला करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वह व्यक्ति कौन-कौन से अपराधों में जेल गया था। विधि शास्त्र का नियम यह है कि जो अपराध हमारे सामने आते हैं उसको लेकर सजा दी जायेगी। लेकिन इसमें यह व्यवस्था की गई है कि सजा देते समय पुश्त दर पुश्त उसने क्या-क्या अपराध किया है इसको ध्यान में रखा जायेगा। यह बदले की भावना की बात है। यह सबसे गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष–

गुप्ता जी, खण्ड तो आगे आयेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, खण्डों पर मैंने संशोधन दिये हैं। जिन पर संशोधन नहीं दिये हैं उन्हीं पर मैं बोल रहा हूं। आपने स्पेशल कोर्ट बनाने के लिये इसमें कहा है। 5/6 स्पेशल कोर्ट बनायेंगे और वह कोर्ट चाहे जहां अपनी बैठक कर सकते हैं। इस तरह से आप अभियुक्त को परेशान करेंगे। यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जिस जिले का अभियुक्त होगा न्यायालय उसी जगह और उसी जिले में जाकर फैसला करेगा। ऐसा नहीं हुआ। कितनी गम्भीर बात इसमें है। सरकार ने अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये अधिनियम बनाया है। उन्होंने न्यायपालिका में जाने का भी आवरण प्रस्तुत किया। अगर इनको जरा भी विश्वास हो जायेगा कि कौन जज न्याय प्रिय है और कौन नहीं है तो आप उसी तरह का निर्णय लेंगे। इसी तरह से मुकदमों के ट्रांसफर की बात है। आपने इसमें यह व्यवस्था की है कि राज्य सरकार को यदि यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लम्बित कोई मामला किसी अन्य विशेष न्यायालय में अन्तरित कर सकती है। जो आरोप लगा रहा है, उसको यदि समाधान हो जाय कि यह जज सही काम करने वाला है तो वह दूसरे जज के पास चला जायेगा। अब इसमें लोक अभियोजक की नियुक्ति की गयी है। मैं मान्यवर, रिपीटीशन नहीं कर रहा हूं एक एक करके चल रहा हूं, इसमें समय कोई निर्धारित नहीं हो सकता है। इसमें आपने लोक अभियोजक के माध्यम से अपनी पार्टी के लोगों को भरने की व्यवस्था की है। इसके लिये नियम बनाया है कि वही व्यक्ति नियुक्त होगा जो 7 वर्ष तक वकील रहा हो या सात वर्ष तक कहीं विधि की सेवा में रहा हो। तो इसमें अपने लोगों को भरने की साजिश दिखाई देती है।

एक बात और जो कहीं नहीं है, सब जगह नियम हैं कि कम्प्लेंट अभियुक्त को मिलती है तो उसको उसके बाद चार्जशीट मिलेगी। लेकिन इसमें पुलिस की कम्प्लेंट पर ही काम हो जायेगा और कम्प्लेंट करने वाला किस स्तर का आदमी होगा वह भी नहीं बताया गया है। मेरी मांग है कि इसमें वह व्यक्ति एस0 पी0 के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए।

इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि सीक्रेट कोर्ट्स में समरी ट्रायल होंगे, न जिरह होगी और न सुनवाई होगी। सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि अगर

जिलाधिकारी को इस बात का समाधान हो जाय कि किसी व्यक्ति की सम्पति उसकी अर्जन क्षमता से ज्यादा है तो वह उसको कुर्क कर सकेगा । वह न्यायालय में नहीं जायेगा यह साबित करने के लिए सम्पति सही है या गलत है । जिलाधिकारी जिसको न्यायिक अधिकार नहीं है उसको यह अधिकार दे दिया जाय इस बात का कोई समर्थन नहीं करेगा ।

अब आखिरी बात कह कर समाप्त करूंगा आप इसके अधिभावी प्रभाव को देखें । इसमें दिया है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियमिति में इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे । मेरा सुझाव है कि यहां पर यह बात हो जानी चाहिए अगर सरकार की मंशा सही है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं होगा तो इसमें यह उपबंध जोड़ दें कि जो लोग ट्रेड यूनियन में काम करते हैं, एम0 एल0 एज0, एम0पीज0 जनप्रतिनिधि हैं या मान्यता प्राप्त पोलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं उनको छूट देंगे । वर्ना मेरा साफ आरोप है कि हम तो विरोध पक्ष में है लेकिन आपकी आपस की पार्टीबन्दी में भी यह रंग लायेगा । सत्तापक्ष में बैठे हुए लोग भी जो विरोधी गुट बनाए हुए हैं वे अगर सत्ताधारी गुट के विरुद्ध जिले में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई काम करेंगे या मुख्य मंत्री जी के गुट के लोगों के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो वह भी इसमें आ जायेंगे उनको भी संत्रास या गुप्त तरीके से इसके अन्तर्गत ले आयेंगे । इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्य विधान मण्डल के सदस्य, एम0 पी0, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियन के सदस्यों को इसमें से अलग कर दें । इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक, 1986 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह तमाम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का निषेध करता है और जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको पूरी तरह से नकारता है । लोकतांत्रिक और तानाशाही में अगर किसी को कोई सजा देनी है तो किसी एक अपराध की सजा एक हो सकती है लेकिन उसका तरीका एक नहीं हो सकता है । तानाशाही में किसी अपराध की सजा वही हो सकती है जो लोकतंत्रीय राज्य में हो लेकिन उसकी प्रक्रिया भिन्न होंगी । उसको किस ढंग से प्रोसिक्यूट किया जायेगा उसका ढंग अलग होगा । लेकिन इस विधेयक के जरिए सजा के लिए जो प्रक्रिया लोकतंत्र में बनी हैं उन प्रक्रियाओं को पूरी तरह से नकारा गया है । मान्यवर, यह जो गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण विधेयक, 1986 रखा गया है इस विधेयक में भावना यह निहित है कि जिसको पकड़ा जा रहा है उसको हमने अपराधी मान लिया है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विपरीत है । दुनिया के किसी लोकतांत्रिक देश में यह व्यवस्था नहीं है कि किसी व्यक्ति को पकड़े और उसको अपराधी मान लें । मान्यवर, इस विधेयक में निश्चित रूप से यह भावना विद्यमान है कि जिसको पकड़ रहे हैं वह व्यक्ति अपराधी है फिर वह सिद्ध करे कि वह अपराधी नहीं है। इसलिए यह विधेयक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नकारता है। मान्यवर, भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता है, भारतीय दंड संहिता, गुण्डा एक्ट निवारण, 1970 मौजूद है और रासुका भी है, उसके बावजूद भी इसको आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । मान्यवर,

सिर्फ पुलिस की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी व्यवस्था के कारण यह स्थिति पैदा हुई है और इसके लिये मैं पुलिस को दोषी नहीं मानता हूं बल्कि मौजूदा सरकार जिसने भ्रष्टाचार की संस्कृति को कायम किया है उसके चलते हुए पूरी पुलिस और प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार है । इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह अधिनियम नहीं चाहे जो अधिनियम ले आयें और अपने नियोजन में, अपनी पुलिस व्यवस्था को ठीक नहीं करते हैं, पुलिस का ट्रेनिंग ठीक से नहीं देते हैं तब तक आप अपने प्रदेश में शान्ति व्यवस्था कायम करने में आप सफल नहीं हो सकते हैं । इस अधिनियम के लाने से आप जनतांत्रिक मूल्यों को समाप्त कर रहे हैं और शान्ति व्यवस्था इससे कायम नहीं होगी जब तक आप टेलीविजन, कारों और फ्रिज उपभोग की व्यवस्था को नहीं रोकते हैं, चूंकि आपकी नौकरशाही, आपकी पुलिस भ्रष्टाचार में डूबी है, इसलिए वह क्या शान्ति व्यवस्था कायम करेगी ?

मान्यवर, जितने शब्द इस अधिनियम में आए हैं, जितनी बातें इसमें आई हैं वह सब जनतांत्रिक व्यवस्था के विपरीत हैं । मान्यवर, लोक अभियोजक यदि कहेगा तो अदालत दूसरे स्थान पर चली जायेगी, अदालत निर्णय करे कि हम खुले में अदालत करें या बन्द कमरे में करें तो उसका कोई निर्णय मान्य नहीं होगा । जिला मजिस्ट्रेट जिसकी चाहे सम्पति कुर्क कर दे और इस सरकार को इससे भी सन्तोष नहीं होता है । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस सरकार का प्रतिनिधि होता है यदि वह किसी सम्पत्ति की कुर्की को समाप्त करता है तो भी सरकार या सरकार का कोई आदमी जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के विपरीत न्यायालय में जा सकता है । न्यायालय के संज्ञान में हो या न हो लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार प्राप्त हो गया है कि किसी की भी संपत्ति को वह जब्त कर ले फिर आपका काम है कि आप सिद्ध करें कि वह आपकी संपत्ति है । इसलिए निवेदन है कि सरकार को मान्यवर, आप कुछ बुद्धि दान दें, यह हम लोगों का ही सवाल नहीं है, लोकतांत्रिक परम्पराओं का प्रश्न है, यह कानून आप पर भी लागू होगा, आप इससे बच नहीं सकते हैं । यह कानून कर्मचारी वर्ग, बुद्धिजीवी, राजनैतिक, पत्रकार आदि सभी के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने वाला सिद्ध होगा । मान्यवर, इस काले कानून का घोर विरोध करता हूं । तो मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा मुख्य मंत्री जी से कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, ताकि इसमें सही दिशा में सुधार हो सके और यह लोकतांत्रिक बन सके ।

(श्री लाल प्रताप सिंह का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री रामसरन–

श्रीमन्, मेरा भी नाम है, मुझे कब मौका मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका नाम तो हर जगह है ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक माननीय नेता विरोधी दल और दूसरे माननीय सदस्यों को सुना । मैंने ऐसा महसूस किया कि गहराई से इन्होंने इसका अध्ययन नहीं किया है । गहराई

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से अध्ययन किया होता तो जो एतराजात किए हैं वह किए ही न होते । हकीकत यह है कि वे अपने दिल पर हाथ रखें और अपने दिल से एक सवाल पूछें कि इसकी वाकई जरूरत थी या नहीं, तो आपको सबको सीधा जवाब मिलेगा कि बहुत पहले ही ऐसे कानून की जरूरत थी और यह अब इतना विलम्ब से आया है । लेकिन आप अपनी आत्मा से पूछते नहीं हैं, इसलिए ऐसी बातें पैदा हो जाती हैं । हर कानून का एक सोशल मकसद है, एक सोशल फिलासिफी है और उसके पीछे अन्डरलाइंड एक आईडिया है और वह अन्डरलाइंड आइडिया और सोशल फिलासिफी इसके पीछे क्या है, इसका इन लोगों ने अध्ययन नहीं किया है... (व्यवधान) एक सामाजिक दर्शन है, उसके अन्तर्गत इसको देखना है... (व्यवधान) यह सोशल फिलासिफी क्या है? उसके पीछे आइडिया क्या है ? विचार क्या है ? उसका गहराई से अध्ययन तब करते जब यह देखते कि समाज में कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन उसके पीछे आपने ध्यान नहीं दिया.. (व्यवधान) आप अपने लोगों को शान्त रखें रामसरन जी, हमने आपके समय पूर्ण शान्ति बनाए रखी है । उपाध्यक्ष महोदय, कौन सी समाज में ताकतें, फोर्सेज काम कर रही हैं और किस तरह अराजकता पैदा करना चाहती हैं, किस तरह हमको कमजोर करना चाहती हैं, इसका इन्होंने गहराई से अध्ययन नहीं किया है । अभी कौशिक जी बोल रहे थे, लोकतंत्र की बात कह रहे थे, लोकतंत्र कायम हो, उसकी जरूरत है और उसकी हिफाजत करना भी जरूरी है । उसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो लोकतंत्र आगे कैसे बढ़ेगा? अभी नेता विरोधी दल ने इमरजेंसी की कुछ बात की, लेकिन मैं आपसे यह बताए देता हूं, इतिहासकार इसको लिखेंगे और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इमरजेंसी बहुत उचित लगाई गई थी और यह सही है कि उसमें कुछ ज्यादतियां अवश्य हो गईं । यह भी आप सुन लें, जिस वक्त गुजरात या बिहार आदि प्रदेशों में यह आवाज दे दी गई कि चुनी हुई सरकार को खत्म कर दीजिए.. (व्यवधान) क्या आप यह सोचते हैं कि इससे जनतांत्रिक मूल्य उभर रहे हैं ? कोई आदमी जो पांच साल के लिए चुन कर आया है उससे यह कहा जाय कि आप हट जायें, उसके घर पर जाकर हल्ला बोलें तो क्या यह लोकतंत्र को पैदा करता है? आप इन चीजों पर विचार करें और सोचें तो पता चलेगा कि इसकी क्यों जरूरत है ?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, 2-3 मिनट और चाहता हूं। मान्यवर, अभी कुछ एतराजात माननीय गुप्त जी ने उठाये हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह एतराजात बिल्कुल उचित नहीं है। इस एक्ट में बड़े-बड़े आफेंसेज को कंसालिडेट करके यहां रखा गया है। इसके जरिये किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन की कोई बात नहीं है। दफा 19, 20 और 21 में जो अधिकार दिये हुये हैं वह अधिकार बरकरार हैं। कहीं ऐसी बात नहीं है कि अधिकारों का हनन हुआ है। आपने टेम्पोरल की बात कही। अगर आप बूथ कैपचरिंग करें, वोट न डालने दें तो वह टेम्पोरल में आता है और ऐसे लोगों को इस अधिनियम के जरिये दंडित किया जा सकता है। तो सबसे बड़ी जो इस एक्ट की

करेक्टरिस्टिक है, खुशुशियत है वह यह है कि ला का इसमें पूरा प्रोटेक्शन है। आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नेसेसिटी क्रियेट्स द ला। आवश्यकता कानून को जन्म देती है। आवश्यकता को देखते हुये ही यह विधेयक लाया गया है।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इसका विरोध इसलिये करता हूं कि इसके अन्दर जो भी धारायें या उपधारायें या खण्ड हैं वह सब राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ प्रयोग करने के लिये रखे गये हैं। यह अध्यादेश इसलिये लाया गया है जनता के जो अधिकार हैं और जो जनवादी अधिकार हैं जिनको यह सरकार पूरा नहीं कर पा रही है और जब जनता आंदोलन करती है तो उसको कुचलने के लिये यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक में न तो गिरोह बन्दी दूर करने की बात है और न किसी समाज विरोधी कार्य कलाप को रोकने की बात है। इसके लिये बहुत से कानून हैं लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त हो गयी है? आप बराबर यह कहते रहे हैं कि कानून व्यवस्था में सुधार लाने के लिये विधेयक ला रहे हैं लेकिन हो सब उसका उल्टा रहा है। कल अगर मजदूर कारखाने में हड़ताल करेंगे या कल कोई राजनीतिक पार्टी कोई घेराव करेगी, पुलिस का घेराव करेगी, तो इस अध्यादेश के तहत कार्यवाही की जायगी। समरी ट्रायल में 2 से लेकर 10 वर्ष तक सजा होगी। तो ऐसा काला कानून उत्तर प्रदेश में ही क्या पूरे देश में कभी नहीं आया है। इसके पास हो जाने पर आप भी इससे बचने वाले नहीं हैं। इसलिए इस पर ढंग से सोचिये।

इसी तरह से अफ्रीका की जनता को कुचलने के लिये, उनके अधिकारों को कुचलने के लिये वहां पर घंटों बिल लगाया गया था और वह बिल वहां पास हुआ तो अफ्रीकी जनता को कुचल दिया गया और खून की नदियां बहायी गयीं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब पहले यहां पर नजरबन्दी का बिल आया तो सबसे पहले उसका शिकार डा0 राम मनोहर लोहिया को बनाया गया। इंदिरा जी के जमाने में मीसा आया और एन0एस0ए0 आया जिसके अन्तर्गत तमाम विरोधी पक्ष के लोगों को जेलों में बंद किया गया और उन पर तरह तरह के अत्याचार किये गये। गोलियां चलायी गयी, नसबंदी के सवाल पर लोगों पर गोलियां चलायी गयीं और उन पर अत्याचार किये गये। तो ऐसे कानून हमारे देश में आये हैं। उत्तर प्रदेश में इस कानून को लाने का मकसद है पुलिस की ताकत को और मजबूत करना। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस का राज्य है, पुलिस चाहे जो कुछ करे। हमारे मुख्य मंत्री या उनके मंत्री भी उसको नहीं रोक सकते हैं। खुले आम आज विधायकों का अपमान होता है उनको मारा पीटा जा रहा है। चारों तरफ अत्याचार मचा है। किसी पुलिस अधिकारी ने इस कानून को बनाया है। वह अधिक से अधिक अधिकार अपने हाथ में लेना चाहता है। इस कानून को बनाने का मकसद है कि विरोध पक्ष के लोग आंदोलन न कर सकें, अपनी आवाज न उठा सकें और जनता की आवाज को न उठा सकें। इस बिल का विरोध सत्ता पक्ष की तरफ से भी होना चाहिये। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। इस बिल के टुकड़े-टुकड़े करके इसको फेंक दिया जाय और कभी इसको पास न किया जाय।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र–

मान्यवर, अपनी बात शुरू करने के पहले मैं दो लाइनें कहना चाहता हूं :–

"कभी डर लगता था मुझे गुरबत और भूख से,
अब डर लगता है मुझे नेताओं की भूल से।

बागवां यह कहता है, कभी डर लगता था मुझे खार से,
अब डर लगता है मुझे अपने चमन के फूल से।"

तो मान्यवर, यह जो विधेयक लाया गया है विरोध पक्ष के लोग इससे बेकार डर रहे हैं। इस विधेयक को आप पढ़िये। इस विधेयक के चैप्टर 16, 17 और 22 में इंडियन पेनल कोड के अन्तर्गत जो अपराधी हैं उनके खिलाफ यह विधेयक है। जैसे कि चैप्टर 16 में है आफेंसेज इन्फेक्टिंग ह्यूमन बाड़ी, जो 302, 304, 307, 325, 332, 336, 326, 353, 366, आदि के जो अपराधी हैं उन पर यह विधेयक लागू होगा। (4 बजकर 20 मिनट)

अपराध करने वाले डकैत, कत्ल या जितने भी काण्ड करने वाले जो बदमाश हैं, उनको हम नहीं बख्शते। हम कहते हैं कि लड़की भगाने वाले को पकड़ेंगे तो आप क्यों परेशान होते हैं? हम उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। जो डकैत हैं, प्रापर्टी के अपराधी हैं, उनको हम बंद करेंगे। हमारी उनके साथ कोई मुरव्वत नहीं है। हम कहते हैं कि डकैतों को पकड़ेंगे तो आप क्यों घबड़ाते हैं? आप डकैत नहीं हैं तो क्यों घबड़ाते हैं? आप क्यों कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं रह गयी है। आज भी इण्डियन पैनल कोड है, 302 में लोग नहीं आते हैं। मैं मानता हूं कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। कभी कभी निर्दोष लोग फंस जाते हैं। यह भी देखा है कि निर्दोष सजा पा जाते हैं और दोषी बच जाते हैं। यह आपकी आशंका कुछ हद तक सही हो सकती है। लेकिन किस आधार पर इण्डियन पेनल कोड हटा लिया जाय। यह करना गलत है। एक गरीब आदमी है, उसके घर पर बच्चे नहीं हैं, वह अभी मरने वाला नहीं है, जिंदा है, लेकिन लोग उसकी जायदाद को ले लेते हैं। ऐसे अपराधियों के साथ हम कोई मुरव्वत नहीं करेंगे। फिर पुलिस वाले केवल चालान कर सकते हैं। उसके बाद यह व्यवस्था की गयी है कि मामला अदालत में जायेगा। अदालत चाहे स्पेशल हो, लेकिन न्याय होगा। इसलिये मैं कहूंगा कि विपक्ष के लोग इस विधेयक का समर्थन करें। कोई त्रुटि होगी तो उसका संशोधन भी होता है। इसमें भी हो जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि कार्य-सूची में प्रस्तावकों के नाम छपे हैं। वह एक क्रम से हैं। मान्यवर, इस उठक बैठक से छुट्टी मिले, इसलिये आप क्रम से बुला लें, तो सबको सुविधा होगी। अन्यथा प्रस्ताव देने से लाभ क्या है और कार्यसूची में क्रम में नाम छपने का फायदा क्या है?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कार्यसूची में छपे नामों को आप किस व्यारे से बुलाते हैं और किस प्राथमिकता से बुलाते हैं, यह आपकी व्यवस्था है। आप नियमावली को देख लें। आप अपनी व्यवस्था से काम करेंगे। यह जरूरी नहीं है कि जिस क्रम में छपा है, उसी क्रम में बुलाएं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

एक बात सुन लें कि इसमें 4-50 बजे तक बहस होनी थी। आप देख लें कि कितना समय रह गया है? केवल 25 मिनट रह गये हैं। यह समय कार्य मंत्रणा समिति ने और सदन ने तय किया है।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि समय बढ़ा दें। मेरी गुजारिश है कि समय कम है तो समय बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

समय बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है। सदन यदि चाहे तो बढ़ा ले।

*श्री राम सरन–

मान्यवर, उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मान्यवर, इस काले बिल के ऊपर मान्यवर, यह मिनिस्टर जो इधर-उधर हाउस में घूम रहे हैं, यह कोई कायदे की बात को सुनना ही नहीं चाहते और श्रीमन्, जहां तक व्यवहारिकता की बात है, इन बातों को माननीय नेता विरोधी दल ने भी खूब विस्तार से रखा है, माननीय रेवती रमण सिंह जी व माननीय रमा शंकर कौशिक जी ने भी आपके सम्मुख रखा है और एक-एक नियमों के एक-एक शब्दों की बहुत स्पष्ट तौर पर व्याख्या की। माननीय गुप्ता जी ने रखा है, लेकिन यह लोग जब समझना चाहें, तभी तो। दूसरे मान्यवर, सभी प्यारे भाइयों व बहनों से केवल एक बात की ओर संकेत करना चाहता हूं कि यहां पर आज हम लोगों की संख्या 424 की है। एक मा0 विधायक का तो स्वर्गवास हो गया और मा0 नारायण दत्त तिवारी दिल्ली चले गए तो मान्यवर, इन 424 प्रतिनिधियों की अगर आप इन्क्वायरी करा लीजिए और हमारी भी उसमें इन्क्वायरी करा लीजिए और 6 माह बाद इस बिल को प्रस्तुत करिए तो आप स्वयं देखेंगे कि इनमें से 50 फीसदी पहले ही जेल चले जायेंगे।

(हंसी)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिए माननीय सदस्य जब अपनी बात को समाप्त कर लें, तब उठाइएगा। अभी बैठ जाइये। (शोर) माननीय सदस्य जब बैठ नहीं रहे हैं, इसलिए आप अपना व्यवस्था का प्रश्न अभी मत उठाइए, बैठ जाइए।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

आप किस नियम के तहत मेरी बात को मेरे व्यवस्था के प्रश्न को नहीं सुनना चाहते हैं, मान्यवर, यह मैं जानना चाहता हूं? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

जब माननीय राम सरन जी बैठ नहीं रहे हैं और आप भी खड़े हैं तो इतने शोर में किसकी बात सुनी जायेगी, इसलिए आप कृपया बैठ जाइए और आपस में बात न करिए, जब माननीय सदस्य नहीं बैठ रहे हैं तो उनको ही अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, बैठ जाइए उपाध्याय जी।

श्री राम सरन–

ठीक है, मान्यवर, पहले आप इनकी व्यवस्था को ही सुन लीजिए, मैं बैठ जाता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, आपके आदेश सर आंखों पर। मैं यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता था कि मा0 सदस्य ने यह कहा कि जानकारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करा लीजिए इधर और उधर के मा0 सदस्यों की तो इसमें से 50 फीसदी पर तो पहले ही यह एक्ट लागू होगा और यह लोग जेल चले जायेंगे । लेकिन मान्यवर, यह विधेयक जो लाया जा रहा है, जिसका हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से बराबर इसका विरोध किया जा रहा है, जबकि मन आपका अगर साफ है तो इस पर विरोध क्यों किया जा रहा है ? इसलिए मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के शब्द जो मा0 सदस्य ने कहे हैं, उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाए क्योंकि यह एक लांछन है ।

श्री उपाध्यक्ष–

बैठिए, यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इस पर मान्यवर, व्यवस्था देने से पहले

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं यह कह रहा हूं, आप लोग शांति बनाये रखें ।

श्री राम सरन–

आप सबकी जांच करवा लीजिए, विरोधी पक्ष के लोगों की भी जांच करवा लीजिए और शासन पक्ष के लोगों की भी जांच करवा लीजिए, तब 6 महीने के बाद आप फिर से इस बिल को लाइये आप जांच के बाद देखेंगे कि शासन पक्ष के 50 प्रतिशत लोग इस विधेयक के तहत आ जायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, गिरोहबन्द किसके साथ रहते हैं । मान्यवर, हरिद्वार का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं । वहां पर कौन दोषी लोग हैं ? किसने इंजीनियर को मरवाया है? आप बताइये मुख्य मंत्री जी । इसके आप जिम्मेदार हैं । आपसे मैं कहना चाहता हूं कि यह जो आपका बिल है, यह बिल आपको खा जायगा। हमें खा जायगा, हम तो इसे भुगत लेंगे । हम इमरजेंसी भुगत चुके हैं, हम तो यह भुगत लेंगे । इमरजेंसी लगा कर देख तो लो, एक दफा फिर मजा आ जायगा । नेता विरोधी दल ने कहा हिटलर ने बनाया होगा, मुसोलिनी ने बनाया होगा, किसी पुलिस अफसर ने बनाया होगा । कहता हूं कि यह किसी दीवान जी ने बनाया होगा। यह किसी काबिल आदमी का बनाया हुआ नहीं है और वीर बहादुर सिंह आप ऐसा काम करो, जिससे जनता आपकी तारीफ करे। जो सरकार ज्यादा कानून बनाती है, वह रद्दी सरकार होती है । आप व्यवहारिकता से काम करिये । तुम्हारे आधे लोग तो शराब पीते हैं और मंत्री लोग शराब पीते हैं ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मैं इस काले बिल का घोर विरोध करता हूं ।

*ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बिल पर विचार रखने का अवसर दिया है । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी सरकार को इस लिए बधाई देता हूं कि उसने प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म करने के लिए, आतंक समाप्त करने लिए यह साहसिक विधेयक उत्तर प्रदेश की विधान सभा में लायी है। हमारे जो विरोधी दल

*वक्ता का भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के नेतागण बोल रहे थे, तो उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वे गिरोहबन्द लोगों के डर से विधेयक के विपक्ष में बोल रहे हैं। वैसे दिल से वह भी इस बिल से राहत महसूस कर रहे होंगे । मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि जब कोई घटना घटती है, जिससे यहां पर कोई दुर्घटना घटती है, जिससे यहां पीड़ा पहुंचाई जाती है और 12-14 साल के बाद जब गवाही देने की बारी आती है, उस समय वह भय और आतंक के कारण गवाही न देने के लिए मजबूर हो जाता है। उस समय किस परिवार के लोगों की हिम्मत रह जाती है कि वह गवाही दे? विशेष अदालत के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं । विशेष अदालत गठित न होने की वजह से जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड वाली कहावत चरितार्थ होगी । मान्यवर, जो लोग दूसरों से डकैती डलवाते हैं और आतंक के बल पर ठेके लेते हैं, उन्हें इस कानून से तकलीफ पहुंची होगी । मान्यवर, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, उनमें से कोई भी मेरे सवाल का जवाब दे दे कि आई0 पी0 सी0 और सी आर0 पी0 सी0 में कौन सी वह दफा है जिसमें पाप के द्वारा अर्जित ऐसी कमाई कुर्क की जा सके ? पहली बार ऐसी कमाई को कुर्क करने का प्राविधान किया गया है । जिसके अन्तर्गत पाप की सम्पत्ति को हम कुर्क कर सकते हैं। इस विधेयक के जरिये उस सम्पत्ति को कुर्क करने का प्राविधान है ।

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो बोल रहे थे इन पर सैकड़ों मुकदमें दर्ज हैं । पहले तो इनको ही भेजना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय राज्य मंत्री जी कह रहे थे कि इससे हम लोगों को शीघ्र न्याय दिलायेंगे । उसके लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया जायेगा। इससे यह गुन्डों को शीघ्र न्याय दिलायेंगे और आम आदमी को न्याय नहीं मिल पायेगा । यह सरकार की तरफ से बोल रहे थे ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य को उल्टा सोचने और समझने की आदत पड़ गई है । इन्हें हर बात का उल्टा अर्थ ही नजर आता है । मान्यवर इस विधेयक के जरिये गुन्डों को न्याय नहीं मिलेगा बल्कि जिसने अपराध किया है उसको दण्ड मिलेगा । मान्यवर, आज इस लोक तंत्र का सबसे बड़ा दुखद पहलू है कि कुछ नकाबपोश, सफेद कपड़े पहन-कर राजनीति में आ गये हैं और यह विधेयक ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में बन्द करेगा । मान्यवर, कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इसका उपयोग नहीं होगा, इसका दुरुपयोग होगा । मान्यवर, अगर कोई कमी इसमें रह जाती है तो इसमें यह भी प्राविधान है कि विशेष न्यायालय के जरिये या उच्च न्यायालय के जरिये उसमें रिलीफ मिल सकती है । मान्यवर, यह राजनीति से, समाज से गन्दगी निकालने के लिए पहली बार यह क्रान्तिकारी विधेयक लाया गया है । इनसे कहिए यह अपने दोहरे चेहरे बन्द करें । एक चेहरा यह

जनता के बीच में दिखाते हैं जहां यह कहते हैं कि गुन्डों का विरोध किया जाय, उन्हें बन्द किया जाय और दूसरा चेहरा यहां दिखाते हैं कि इस विधेयक को न पास किया जाय। आज मैं इनके ऊपर इल्जाम लगाता हूं कि गुन्डों को बढ़ावा देने के लिए यह इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, यह जो विधेयक आया है, इस विधेयक के नाम के प्रति किसी को आपत्ति नहीं है। यदि यह स्पष्ट कर पाये होते कि इस विधेयक के द्वारा गिरोहबन्द लोगों को, समाज विरोधी लोगों को, गलत लोगों को, बुरे लोगों को नियंत्रित करने और रोकने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है तो मान्यवर, किसी को आपत्ति नहीं होती लेकिन आज मैंने अगर इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है तो कारण यह है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे जनता मर्माहत होगी, राजनीतिक दलों के कार्यक्रम रुकेंगे, श्रमिक क्षेत्र के ट्रेड यूनियन भंग हो जायेंगे। पत्रकारों की कलम रोकी जायेगी, लोकतंत्र में जो आजादी प्राप्त हुई है, वह मर्माहत हो जायेगी। मान्यवर, इन्हीं कारणों से मैंने इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से और सत्ता पक्ष से कहना चाहूंगा कि मैं यह मानता हूं कि आज कठिनाई बढ़ गई है, जनता की, मंहगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई, शासन में घाटा है, हुकूमत चलाना मुश्किल हो गया है। इसका उपाय था असन्तोष का समाधान निकालने के लिये विपक्ष के साथ बैठा जा सकता था। जनता की कठिनाइयां कैसे दूर की जायं, इसके लिये कोई रास्ता निकाला जा सकता था। लेकिन जनता का असंतोष बढ़ रहा है, आन्दोलन शुरू हो गया है, सत्याग्रह चलेंगे, हड़तालबन्दी चल रही है और भी राजनीतिक दल के लोगों को, श्रमिक क्षेत्र के लोगों को, पत्रकारों की कलम रोकने के लिये, इस बात की आड़ में गिरोह बन्द विधेयक लाया जा रहा है। आप इनकी आड़ में लोकतंत्र को मिटाना चाहते हैं। जब माननीय रेवती रमण सिंह ने एक वाक्य कहा तो उसको आपने उपहास बताया, इन्होंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गयी है। आपने हंसी में उड़ा दिया। मैं कहना चाहूंगा कि यह विधेयक पास करके और इसको लागू करके देखिये, यह पुलिस और प्रशासन आपकी हुकूमत को बदनाम करके छोड़ेगी। आज इसको आपने पास कर दिया तो जब कल हाउस चलेगा, राजनीतिक लोगों को इस विधेयक के तहत बन्द किया जायेगा, पत्रकारों को मारापीटा जायेगा, श्रमिक क्षेत्र के लोगों को मिटाया जायेगा तो हाउस चलने नहीं पायेगा और न कोई काम चलने पायेगा। लोग सदन में कूद कर बेल पर आ जायेंगे। पत्रकारिता कुंठित हो जायेगी, विधान सभा चलाना मुश्किल होगा। इस विधेयक के तहत राजनैतिक लोगों को रोक दिया जायेगा, लोकतंत्र मिट जायेगा। कोई शासन नहीं चल पायेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दें, शब्दों में सुधार हो जायेगा, फिर विधेयक लायें मैं विचार के लिये तैयार हूं।

(मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह के खड़े होने पर)

श्री यदुनाथ सिंह–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें, नेता सदन खड़े हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आपकी व्यवस्था ठीक नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह–

काला कानून पास किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

नेता सदन खड़े हैं, मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा, आप बाद में बोलियेगा।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द–

मुझे समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

मूलचन्द जी आप बैठें। बाद में बोल लीजियेगा। मैं समय बढ़ाने के लिये सदन की अनुमति मांगूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सदन की भावना को देखते हुए सदन का समय बढ़ा दें, जिससे सभी माननीय सदस्य, जो बोलना चाहते हैं वह बोल लें।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

अभी नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे तो इन्होंने कहा कि यह काला कानून बन रहा है। लेकिन मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं सभी विरोधी दल के नेताओं से, सभी माननीय सदस्यों से कि आप विधान सभा में बोलते हैं.. अगर कहते हैं कि हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती सरकारी कार्यों के ठेके लिये जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्ति बनाये रखें ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, इस तरह की तमाम समस्यायें समाज में पैदा हो गयी हैं । मान्यवर, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि आज स्थिति क्या है? और, इस विधेयक को लाने का क्या अभिप्राय था, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी ? मान्यवर, सदन में जब विपक्ष की ओर से बोला जाता है, कोई सही बात कही जायेगी, तो उसका भी विरोध जरूर होगा । मान्यवर, आप जानते हैं कि समाज में ऐसे समाज विरोधी तत्व हैं, जो समाज को हर तरह से परेशान कर रहे हैं। कानून व्यवस्था ऐसी होती चली जा रही है, अगर, मान्यवर, इसको सम्भाला नहीं गया तो जनता अमन चैन से नहीं रह सकती है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

मान्यवर, 6 तारीख को इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि जितना अमन चैन इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, उतना कभी नहीं था । या तो आप 6 मार्च के शब्द वापस ले लीजिये या अपने इन शब्दों में संशोधन कीजिए।

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि अध्यादेश पहले आ चुका है, अब यह विधेयक लाया जा रहा है। मान्यवर, आमतौर से यह शिकायत आती है कि आज सरकारी ठेके बन्दूक की नोक पर लोग लेते हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं जो हमारे विकास के काम हो रहे हैं, उसमें कितना नुकसान हो रहा है, जो विकास के काम होने चाहिये थे, नहीं हो पा रहे हैं, रोज झगड़े होते रहते हैं। अभी माननीय राम सरन जी हरिद्वार की बात कह रहे थे कि एक इंजीनियर को एक कंडेक्टर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ने गोली मारी। यह सब जो बातें आ रही हैं संज्ञान में--इन्हीं सब को देखते हुए यह विधेयक लाने की जरूरत महसूस की जाती रही। मान्यवर, ऐसी समस्यायें पैदा हो गयी हैं कि आवश्यक समझा गया कि ऐसे विधेयक को लाया जाय जिससे ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर काबू पाया जा सके। मान्यवर, साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आप लोग देखते होंगे कि गांवों में किसी विधवा की सम्पत्ति की जबरदस्ती रजिस्ट्री कराकर लोग सम्पत्तियों को हड़प लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर 4.50 बजे तक समय निर्धारित था। यदि सहमत हो तो इस पर समय बढ़ा दिया जाय।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, 10 मिनट के लिये बढ़ा दीजिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आप जब तक बैठे रहेंगे, सदन की कार्यवाही चलती रहेगी। जब तक माननीय सदस्यों का समाधान न हो जाय, तब तक यह सदन की कार्यवाही आप चलाते रहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, आधे घंटे के लिये इस पर समय बढ़ाया जाता है।

श्री फजलुल बारी--

मान्यवर, यह बिल ऐसा है कि इस पर सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिलना चाहिये। उससे कुछ अच्छे सुझाव भी प्रकाश में आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, जब आप इस विधेयक को देखेंगे तो यह ज्ञात होगा कि बहुत सी ऐसी बातें इसमें आयी हैं, जो हमारे सामने इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उनको दूर करने में बड़ी रुकावटें पैदा होती थीं। मान्यवर, यह कहा गया कि पुलिस को बड़ी ताकत दे दी जायेगी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह प्रयास किया गया है कि पुलिस को जो अधिकार दिये जा रहे हैं उन पर नियंत्रण रखा जायेगा और पुलिस में अगर कोई कमी है तो उस कमी को भी ठीक किया जायेगा। पुलिस जो चाहेगी, मनमानी नहीं करेगी ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, यह भी देखना है कि जहां कहीं भी किसी प्रकार का कोई दुरुपयोग कर रहा हो और जानबूझकर किसी दुश्मनी से या राजनीतिक द्वेष से या किसी और कारण से करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही, जो भी हो सकती है, की जायेगी।

(मेजों की थपथपाहट)

अभी माननीय नेता विरोधी दल ने जालौन के बारे में यहां पर एक सवाल उठाया। जब मुझे इसके बारे में मालूम हुआ तो उस लड़के को छुड़ाया गया। अब उस पर जांच की जा रही है कि वह कौन से कारण थे जिसकी वजह से उसको बन्द किया गया। अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है और उसे बन्द किया गया है तो जिसने उसे बन्द किया होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा उसे छोड़ूंगा नहीं। अभी जैसे माननीय रेवती रमण सिंह जी अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि आज गिरोहबन्द लोग खुले आम घूम रहे हैं और मनमाना काम कर रहे हैं, यह विधेयक पास हो जाने के बाद मैं इस विधान सभा के माननीय सदस्यों को इस

बात के लिये आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसे तत्वों के खिलाफ जो भी सख्त कार्यवाही हो सकती है वह कार्यवाही की जायेगी। इसलिये इस विधेयक को आज यहां पर लाया गया है।

मान्यवर, यह कहा जाता है कि इसका दुरुपयोग होगा, लोगों को सताया जायेगा और उन्हें फंसाया जायेगा। जब कि इस विधेयक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से किसी विशेष न्यायालय में अधिकारिता प्रयोग करने के लिये अपर न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकती है। यहां पर न्यायाधीश बैठेंगे जो इस काम को देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पुलिस किसी को बन्द करे और उस पर कार्यवाही न हो। उसे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। इसलिये विशेष अदालत बनायी जा रही है ताकि कार्यवाही हो सके। कोई निर्दोष व्यक्ति बन्द न होने पाये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनैतिक द्वेष भावना से या किसी निर्दोष व्यक्ति को बन्द नहीं किया जायेगा। अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उरई वाले मामले में जो छुड़ाने के आदेश जारी कर दिये और यह भी कहा कि उस पर जांच करायेंगे, लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आनन्द पाठक जिनके खिलाफ चार्जशीट लगायी गयी थी हाई कोर्ट ने उसे गलत बताया है। इसलिये क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने यह काम किया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं उसकी जांच करा रहा हूं। जांच के बाद ही कार्यवाही करूंगा।

(मद संख्या 9 पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मैंने आपके श्री मुख से सुना था कि मद संख्या–9 पर मतदान हो जाये जबकि मान्यवर, सदन की यह परम्परा रही है कि प्रवर समिति को भेजने व अनुमोदन के जितने भी प्रस्ताव होते हैं उन पर एक साथ मतदान किया जाता है। इसलिये आप से अनुरोध है कि आप कृपा कर अलग-अलग मतदान न करायें। दूसरा, जब माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हुए थे तब मैंने कहने का साहस किया था पर आपके कहने पर मैं बैठ गया। मेरी आप से विनम्र प्रार्थना है, यह तो आपका विवेक है मैं उसको चुनौती नहीं देना चाहता हूं। आप चाहे जिसको बुलवायें, लेकिन हम लोगों पर अपनी दृष्टि डालते समय आप इस बात को भी देखें कि जिन माननीय सदस्यों ने लिखित सूचना दी है उनको वरीयता दी जाये तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जहां तक इस विधेयक का सवाल है मैं समझता हूं कि इस बात से.....

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जिस विधेयक पर चर्चा हो रही है क्या उस पर आपने समय बढ़ा दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष–

आधा घण्टा समय बढ़ा दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के क्लाजों और सब सेक्शनों पर अपनी शंकाएं रखी हैं। मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। इसलिये मुझे भी दस मिनट देने की कृपा करेंगे...

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इस बात से कोई भी समझदार आदमी इन्कार नहीं कर सकता है कि इस समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत खराब हो गयी है, अपराध भी बढ़ रहे हैं। जब यह विधेयक आया, माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी, मैं जानना चाहता हूं कि इस समय यह चलन हो गया है कि कानून जितना सख्त बनता है उसके बाद भी उसका पालन नहीं हो पाता है, जैसे-जैसे कानून को सख्त बनाया गया है, उसके बाद भी कड़ाई से पालन नहीं किया गया है, केवल कड़े कानून बनाने से ही अपराधियों की संख्या कम नहीं हो सकती। मैं साफ तौर से कहना चाहूंगा कि सरकार की नीयत भी साफ नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि दुरुपयोग नहीं किया जायगा, इसके विरोध में माननीय नेता, विरोधी दल ने कई उदाहरण पेश किये हैं कि जिस दिन से विधेयक की घोषणा की गयी है, कई घटनायें हो चुकी हैं। वर्ष 1975 में जब केन्द्र में "मीसा" का कानून लाया गया था तो मोरार जी देसाई ने आश्वासन मांगा था कि सरकार राजनीतिक व्यक्तियों के खिलाफ इसका दुरुपयोग नहीं करेगी, तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आश्वासन दिया था। श्री मोरार जी देसाई को लोकसभा में सत्याग्रह भी करना पड़ गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका दुरुपयोग हुआ। जब कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता दुरुपयोग न करने का आश्वासन देकर भी दुरुपयोग कर सकते हैं, तो यह तो उसका दुरुपयोग करेंगे ही। अच्छी सरकार वह है जो कम से कम कानून बनाये, यह सरकार ज्यादा से ज्यादा कानून बनाकर अपनी अकर्मण्यता को साबित कर रही है। केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि यह विधेयक काला विधेयक है। इसमें किसी भी आदमी को अपना हाथ शामिल नहीं करना चाहिये।

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव को पुकारे जाने पर)

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने की अनुमति मांगने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने भाषण के लिये नेता, विरोधी दल को बुलाया है चूंकि 5.00 बज चुके हैं और 5.20 पर इसे समाप्त होना है। यदि और लोग भी इस पर बोलेंगे तो इसका समय और बढ़ाना पड़ेगा।

(समय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव न आने पर)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

इसका मतलब आप इस पर मुझे बोलने नहीं देंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं तो कह रहा हूं कि समय का निर्धारण कर लीजिये। अभी उत्तर भाषण होना है, मन्त्री जी का भाषण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होना है, इसलिये मैंने माननीय नेता, विरोधी दल को पुकारा था । कोई प्रस्ताव आये तो सदन का समय बढ़े ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कोई विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है...

श्री मूल चन्द्र–

माननीय, आप मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री मूल चन्द्र सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह था कि जब कोई विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है तो जिन लोगों को उसमें रुचि होती है और उस सम्बन्ध में वे अपना संशोधन या प्रस्ताव भेजते हैं तो उस समय जो भी आदमी पीठ पर आसीन होता है, मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं लेकिन यह परम्परा रही है कि पीठ पर आसीन होने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि जिन्होंने अपनी विशेष रुचि का प्रदर्शन किया है और आपके पास संशोधन या प्रस्ताव भेजे हैं, उन्हें आप जरूर अवसर दें । इस सदन की पीठ के पीछे आपकी नेताओं से क्या वार्ता हुई इससे मुझे कोई मतलब नहीं है लेकिन जब हम एक संशोधन देते हैं तो उसके सम्बन्ध में हमें अधिकार है कि हम उसमें भाग लें। [xxx] इसलिये मैं आपसे कहता हूं कि ऐसी कौन सी बात है? कौन सी ऐसी बात थी कि हमारे प्रस्ताव के होने के बावजूद, हमारी सारी बातों को सुने वगैर आपने कुछ ऐसे लोगों को बुलवाया है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अभी तिवारी जी ने जो प्रश्न उठाया है, यह निश्चित रूप से पीठ पर आक्षेप है और जो संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं, वे समझते होंगे कि जो बातें अभी इन्होंने कही हैं, यह संसदीय परम्परा के अनुरूप नहीं है । इनको माननीय उपाध्यक्ष से इसके लिये क्षमा मांगनी चाहिये । जिन लोगों का संशोधन में नाम था उनको आपने बुलवाया है । इस तरह से आक्षेप करना संसदीय परम्पराओं के विरुद्ध है, माननीय, इसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाय ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैंने नियमों की बात की है, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा । ये नेताओं की वार्ता या कार्ययंत्रणा समिति की क्या सिफारिश हुई मुझे इससे मतलब नहीं है लेकिन जो हमारा संवैधानिक अधिकार है यहां अपने विचार रखने का, उसका मौका हमें दिया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

तिवारी जी, जरा आवेश में आ गये थे । पीठ तो व्यवस्था का काम करती है, पीठ पर बैठने वाला व्यवस्थापक होता है, वह कोई नियम नहीं बनाता है। वह सदन के संचालन का काम करता है उसी के अनुरूप जो कि कार्यमंत्रणा समिति में तय किया जाता है। पीठ व्यवस्था बनाती है, नियम नहीं बनाती है। अव्यवस्था पर व्यवस्था बना

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कर वह सदन का संचालन करती है । लेकिन जो प्रस्ताव आया था मैंने उसी के अनुरूप लोगों को बुलवाया है। कार्य-मंत्रणा समिति और सरकार की सहमति से जो तय होता है मैंने उसी के अनुरूप कार्य किया है। श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा लगाया आक्षेप निकाल दिया जायगा।

श्री यदुनाथ सिंह–

मैं कार्यमंत्रणा समिति की इस अघोर सिफारिश का विरोध करता हूं और क्षोभ प्रकट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

जब सदन ने प्रस्ताव पास किया था, तब आप कहां गये थे?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्य मंत्री जी बोले तो मुझे ऐसा लगा और मुझे विश्वास था कि वे सारे सदन की भावना का आदर करते हुए आज का यह काला विधेयक वापस ले लेंगे । और मैं पुनः अनुरोध करता हूं, जो आपकी नौकरशाही है, उस चिन्गारी की भांति है, अगर यह नियंत्रण में रहेगी तो प्रकाश का काम करेगी, अनियंत्रित हो गयी तो जलाकर राख कर देगी। मैं जानता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसको वापस नहीं लेंगे, यह काला कानून है, जनता की आजादी को छीनने वाला कानून है, जनता के अधिकारों को छीनने वाला काला कानून है और हमारा अब इस सरकार पर विश्वास नहीं रह गया है, हमें जनता के बीच जाना पड़ेगा, इसलिये हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं और आग्रह करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाये और जो शंकायें हैं, वह दूर हो जायेंगी। जो उसमें कमियां हैं, वह दूर हो जायेंगी। इसलिये आप इसको प्रवर समिति के विचारार्थ भेज दें।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, . . .

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, जो विरोधी दल के लोग हैं, जो छोटे दल हैं, उनको भी आप दो-दो मिनट दे दें।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समय नहीं रह गया है। आपको प्रस्ताव लाना होगा, मैं समय बढ़ा दूंगा और आपको बुलवा दूंगा।

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

आप नहीं मान रहे हैं और शासन तो मान ही नहीं रहा है इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कौशिक रमा शंकर अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, हमारा इस सरकार में विश्वास नहीं रह गया है, इसलिये हम और हमारा दल सदन त्याग करता है।

(कुंवर रेवती रमण सिंह भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

सरकार इस बिल को वापस लेने के लिये तैयार नहीं है, इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, [x x x] मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री फजलुल बारी भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, यह काला कानून है, और गरीब जनता के हितों का विरोधी है। इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राम नरेश भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री शारदा प्रताप–

(सदन के फ्लोर पर आकर) आप छोटे दलों को समय नहीं देते हैं इसलिये मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शारदा प्रताप भी सदन त्याग कर चले गये)

(श्री अकबर हुसैन बावर भी सदन त्याग कर चले गये तदोपरान्त सभी विपक्षी सदस्य सदन से उठकर चले गये)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने और द्विवेदी जी ने जो शंकायें रखी हैं अपने संशोधनों के माध्यम से उसका उत्तर देना चाहता हूं। यह धारा 4 में आपने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यह जो आपने कहा है, 107, 108, 109 और 110 के अधीन बातें कही गयीं...

(व्यवधान)

इसमें विचार कर सकते हैं, मैन्डेटरी नहीं है। दूसरा आपने जो 4(ख) के बारे में कहा है कि जिसकी सम्पत्ति है उसको सिद्ध करनी होगी यह अनर्गल है, निर्मूल है।

(व्यवधान)

(श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी पुनः सदन में आकर बैठ गये)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986 को जनता की राय जानने के लिए तीन माह तक परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) विधेयक, 1986 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 24 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986

गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियकलाप को रोकने और उनका सामना करने के लिए और उनसे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 15 जनवरी, 1986 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

परिभाषा

2—इस अधिनियम में—

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974

(क) "संहिता" का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 से है;

(ख) "गिरोह" का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह से है, जो लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित इसियावी (टेम्पोरल) आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से निम्नलिखित समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हैं, अर्थात्—

अधिनियम संख्या 45 सन् 1860

(एक) भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16, या अध्याय 17, या अध्याय 22 के अधीन दंडनीय अपराध; या

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910
अधिनियम संख्या 61 सन् 1985

(दो) संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 या नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटैन्सेज ऐक्ट, 1985 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी शराब या मादक या अनिष्टकर मादक द्रव्य या अन्य मादकों स्वापकों का आसवन या निर्माण या संग्रह या परिवहन या आयात या निर्यात या विक्रय या वितरण या किन्हीं पौधों की खेती करना; या

(तीन) विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या

(चार) किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना; या

(पांच) स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 के अधीन दंडनीय अपराध; या — अधिनियम संख्या 104 सन् 1956

(छ.) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध; या — अधिनियम सं0 3 सन् 1867

(सात) किसी सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या सार्वजनिक या निजी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से किसी पट्टे या अधिकार के लिए, या माल के संभरण या किए जाने वाले कार्य के लिए, विधिपूर्वक संचालित किसी नीलाम में बोली लगाने या विधिपूर्वक मांगे गए टेंडर देने से किसी व्यक्ति को रोकना; या

(आठ) किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारु रूप से करने से रोकना या उसमें विघ्न डालना; या

(नौ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171-ङ के अधीन दण्डनीय अपराध, या मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से शारीरिक रूप से रोककर किसी विधिपूर्वक होने वाले किसी सार्वजनिक निर्वाचन को रोकना या उसमें बाधा डालना; या — अधिनियम संख्या 45 सन् 1860

(दस) अन्य व्यक्तियों को साम्प्रदायिक सामंजस्य में विघ्न डालने के लिए हिंसा करने के लिए उद्दीप्त करना; या

(ग्यारह) जनता में दहशत, संत्रास या आतंक फैलाना, या

(बारह) सार्वजनिक या निजी उपक्रमों या कारखानों के कर्मचारियों या स्वामियों या अध्यासियों को आतंकित करना या उन पर हमला करना और उनकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाना; या

(तेरह) किसी व्यक्ति को इस मिथ्या व्यपदेशन पर कि उसे विदेश में कोई सेवायोजन, व्यापार या वृत्ति उपलब्ध कराई जायगी, ऐसे विदेश में जाने के लिए उत्प्रेरित करना या उत्प्रेरित करने का प्रयास करना; या

(चौदह) फिरौती उद्यापित करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना; या

(पन्द्रह) किसी वायुयान या सार्वजनिक परिवहन यानों को उसके पूर्व निर्धारित मार्ग से जाने से पथान्तरित करना या अन्यथा रोकना;

(ग) "गिरोहबन्द" का तात्पर्य किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठन से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रगणित किसी गिरोह के क्रियाकलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रियाकलाप के किए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रियाकलाप किए हों, संश्रय देता है;

(घ) "लोक सेवक" का तात्पर्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में यथापरिभाषित लोक सेवक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो राज्य की पुलिस या अन्य प्राधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के अन्वेषण या अभियोजन या दण्ड में, चाहे ऐसे अपराध या अपराधी के सम्बन्ध में सूचना या साक्ष्य देकर या किसी अन्य रीति से, विधिपूर्वक सहायता करता है; अधि-नियम सं0 45 सन् 1860

(ङ) "किसी लोक सेवक के कुटुम्ब का सदस्य' का तात्पर्य उसके माता-पिता या पति या पत्नी और भाई, बहिन, पुत्र, पुत्रों, पौत्र, या इनमें से किसी के पति या पत्नी से है और इसके अन्तर्गत लोक सेवक पर आश्रित या उसके साथ निवास करने वाला कोई व्यक्ति और कोई ऐसा व्यक्ति भी है जिसके कल्याण में लोक सेवक हित रखता हो;

(च) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित, और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973, या भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो ऐसी संहिताओं में उनके लिए दिए गये हैं।

शास्ति

3—(1) किसी गिरोहबन्द को दोनों में से किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो दो वर्ष से कम न होगी और जो दस वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी जो पांच हजार रूपए से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायगा;

परन्तु किसी गिरोहबन्द को जो किसी लोक सेवक के शरीर के प्रति या लोक सेवक के कुटुम्ब के किसी सदस्य के शरीर के प्रति कोई अपराध करता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष से कम न होगी और जुर्माना से भी, जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा, दण्डित किया जायगा।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति को जो लोक सेवक होते हुए चाहे स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी गिरोहबन्द की किसी रीति से अवैध रूप से सहायता या समर्थन, चाहे गिरोहबन्द द्वारा कोई अपराध किए जाने के पूर्व या पश्चात करता है, या विधिपूर्ण उपाय करने से विरत रहता है या इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय या अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निदेशों को कार्यान्वित करने से जान-बूझकर बचता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु तीन वर्ष से कम न होगी और जुर्माने से भी दंडित किया जायेगा।

साक्ष्य के विशेष नियम

4—संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराधों या सम्बद्ध अपराधों के लिए विचारण और दण्ड के प्रयोजनार्थ—

(क) न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रख सकता है कि अभियुक्त—

(एक) किसी पूर्व अवसर पर संहिता की धारा 107 या

अधि-नियम सं0 1 सन् 1882

धारा 108 या धारा 109 या धारा 110 के अधीन आबद्ध किया गया था; या

(दो) निवारक निरोध से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया गया था; या

(तीन) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1970 या ऐसी किसी अन्य विधि के अधीन वहिष्कासित किया गया था;

(ख) जहां यह साबित हो जाय कि किसी गिरोहबन्द या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के पास किसी समय इतनी जंगम या स्थावर सम्पत्ति है या रही है जिसका वह सन्तोषजनक हिसाब नहीं दे सकता है, या जहां उसके वित्तीय साधन उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में नहीं हैं; वहां न्यायालय, जब तक कि इसके प्रतिकूल न साबित कर दिया जाय, यह उपधारणा करेगा कि ऐसी सम्पत्ति या वित्तीय साधन गिरोहबन्द के रूप में उसके क्रियाकलाप से अर्जित या प्राप्त किया गया है;

(ग) जहां यह साबित हो जाय कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण किया है, वहां न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि मह फिरौती के लिए किया गयाथा;

(घ) जहाँ यह साबित हो जाय किसी गिरोहबन्द ने किसी व्यक्ति या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाया या परिरुद्ध किया है, वहां न्यायालय यह उपधारण करेगा कि गिरोबन्द यह जनता था कि ऐसा व्यक्ति यथास्थिति, अपहृत या अपहृत किया गया था,

(ङ) यदि न्यायालय, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, ऐसा करना उचित समझे, अभियुक्त की अनुपस्थिति में विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है और किसी साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि अभियुक्त ऐसा चाहे तो साक्षी को प्रति-परीक्षा के लिए पुनः बुलाया जा सकता है किन्तु अभियुक्त की उपस्थिति में उसकी मुख्य परीक्षा पुनः अभिलिखित करना आवश्यक न होगा।

विशेष न्यायालय

5—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण के हित में यदि ऐसा करना आवश्यक समझे तो सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है।

(2) किसी विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जायगी जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से राज्य सरकार द्वारा की जायगी।

(3) राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से किसी विशेष न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए अपर न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकती है।

(4) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्गायालय का न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह न होगा जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व किसी राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश न हो।

(5) जहां विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या ऐसा न्यायाधीश विशेष न्यायालय की बैठक के सामान्य स्थान से अनुपस्थित हो, या वह रुग्णता के कारण या अन्यथा अपने कर्त्व्यों का पालन करने में असमर्थ हों, वहां विशेष न्यायालय में किसी अति-आवश्यक कार्य का निस्तारण—

(क) उस विशेष न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अपर न्यायाधीश यदि कोई हो, द्वारा

(ख) यदि कोई ऐसा ऊपर न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो ऐसे सेशन न्यायाधीश के जिसका यथा अधिसूचित विशेष न्यायालय की बैठक के सामान्य स्थान पर अधिकारिता हो, निदेशों के अनुसार,

किया जायगा ।

(6) जहां किसी विशेष न्यायालय में एक अपर न्यायाधीश या अधिक अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वहां विशेष न्यायालय का न्यायाधीश, समय-समय पर, सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा विशेष न्यायालय के कार्य का वितरण स्वयं अपने और अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों के बीच करने के लिए और किसी अपर न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में तात्कालिक कार्य के निपटारे के लिए भी, व्यवस्था कर सकता है ।

बैठक का स्थान

6--विशेष न्यायालय, यदि वह ऐसा करना समीचीन या वांछनीय समझे तो अपने बैठक के सामान्य स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान में अपनी किसी कार्यवाही के लिए बैठक कर सकता है :

परन्तु यदि लोक अभियोजक विशेष न्यायालय को य विश्वास दिलाता है कि उसकी राय में अभियुक्त या किसी साक्षी की संरक्षा के लिए यह आवश्यक है या न्याय के हित में अन्यथा समीचीन है कि सम्पूर्ण विचारण या उसका कोई भाग विशेष न्यायालय की बैठक के सामान्य स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान में किया जाना चाहिए तो विशेष न्यायालय अभियुक्त की सुनवाई करने के पश्चात उस आशय का आदेश दे सकता है जब तक कि विशेष न्यायालय, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे कोई अन्य आदेश देना उचित न समझे ।

विशेष न्यायालयों की अधिकारिता

7--(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया गया है, वहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबन्ध के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध पर केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जायगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध चाहे ऐसे विशेष न्यायालय के गठन के पूर्व या पश्चात, किया गया हो ।

(2) विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय ऐसे सभी मामले, जो ऐसे विशेष न्यायालय के गठन के ठीक पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हों, ऐसे विशेष न्यायालय के सृजन पर जिसकी ऐसे मामलों पर अधिकारिता हो, उसे अन्तरित हो जायेंगे ।

(3) जहां किसी न्यायालय को किसी अपराध की किसी जांच या उसके सम्बन्ध में विचारण के दौरान यह प्रतीत हो कि मामला ऐसा है कि उस पर उस क्षेत्र के लिए जहां ऐसा मामला उत्पन्न हुआ हो, इस अधिनियम के अधीन गठित किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना चाहिए, वहां न्यायालय ऐसा मामला ऐसे विशेष न्यायालय को अन्तरित करेगा, और तदुपरान्त ऐसे मामले पर विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विचारण और उसका निस्तारण किया जायगा;

परन्तु विशेष न्यायालय के लिए इस धारा के अधीन मामले के अन्तरण के पूर्व न्यायालय द्वारा मामले में अभियुक्त की उपस्थिति में अभिलिखित साक्ष्य पर, यदि कोई हो, कार्यवाही करना विधिपूर्ण होगा;

परन्तु यह और कि यदि विशेष न्यायालय की यह राय हो कि ऐसे साक्षियों की जिनके साक्ष्य मामले में पहिले ही अभिलिखित किए जा चुके हैं, न्याय के हित में अतिरिक्त परीक्षा करना आवश्यक है तो वह ऐसे किसी साक्षी को पुनः समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रति-परीक्षा और पुनः परीक्षा, यदि कोई हो, जैसा वह अनुज्ञा दे, के पश्चात साक्षी को उन्मोचित कर दिया जायगा ।

(4) राज्य सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लम्बित कोई मामला किसी अन्य विशेष न्यायालय को अन्तरित कर सकती है ।

अन्य अपराधों के सम्बन्ध में विशेष न्यायालय की शक्ति

8—(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी अन्य अपराध पर जिसका अभियुक्त पर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसी विचारण में आरोप लगाया जाय, विचार कर सकता है ।

(2) यदि किसी अपराध के, इस अधिनियम के अधीन किसी विचारण के दौरान यह पाया जाय कि अभियुक्त ने इस अधिनियम या इसके अधीन किसी नियम या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध का सिद्ध-दोषी ठहरा सकता है और उसके दण्ड के लिए, यथास्थिति, इस अधिनियम या, ऐसे नियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकता है ।

लोक अभियोजक

9—(1) राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त कर सकती है :

परन्तु राज्य सरकार किसी मामले या मामलों के वर्ग के लिए विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है ।

(2) कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा जब उसने कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो या कम से कम सात वर्ष की अवधि तक संघ या किसी राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया हो जिसमें विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो ।

(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति संहिता की धारा 2 के खण्ड (प) के अर्थान्तर्गत लोक अभियोजक समझा जायगा, और संहिता के उपबन्ध तदनुसार प्रभावी होंगे ।

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां

10—(1) विशेष न्यायालय अपने द्वारा विचारणीय किसी अपराध का संज्ञान, विचारण के लिए अभियुक्त को उसे सुपुर्द किए गए बिना उन तथ्यों का, जिनसे ऐसा अपराध बनता है, परिवाद प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर कर सकता है ।

(2) जहां विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है, वहां विशेष न्यायालय, संहिता की धारा 260 की उपधारा (1) या धारा 262 में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध का विचारण संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षेपतः कर सकता है और संहिता की धारा 263 से 265 तक के उपबन्ध, यथासाध्य, ऐसे विचारण पर लागू होंगे :

परन्तु जब इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के दौरान विशेष न्यायालय को यह प्रतीत हो कि मामले का स्वरूप ऐसा है कि उसका संक्षेपतः विचारण करना अवांछनीय है, तब विशेष न्यायालय किन्हीं साक्षियों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाएगा और ऐसे अपराध के विचारण के लिए संहिता के उपबन्धों द्वारा उपबन्धित रीति से मामले की पुनः सुनवाई प्रारम्भ करेगा और उक्त उपबन्ध विशेष न्यायालय को और उसके सम्बन्ध में, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी मजिस्ट्रेट को और उसके सम्बन्ध में, लागू होते हैं:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में दो वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास का दण्डादेश देना विशेष न्यायालय के लिए विधिपूर्ण होगा।

(3) विशेष न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से जिसके बारे में किसी अपराध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संपृक्त या संसर्गित होने का अनुमान है, ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है कि वह उस अपराध के और उससे संयुक्त अन्य प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में, चाहे वह उसके करने में कर्ता रहा हो या दुष्प्रेरक, अपने ज्ञान से सभी परिस्थितियों को पूर्ण और सही रूप में प्रकट करे और इस प्रकार प्रदान की गयी कोई क्षमा संहिता की धारा 303 के प्रयोजनार्थ, संहिता की धारा 307 के अधीन प्रदान की गयी समझी जायगी।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वह मजिस्ट्रेट द्वारा वारन्ट के मामलों में विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(5) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन विशेष न्यायालय को अन्तरित प्रत्येक मामले के सम्बन्ध में उसी प्रकार कार्यवाही की जायगी मानो ऐसा मामला संहिता की धारा 406 के अधीन ऐसे विशेष न्यायालय को अन्तरित किया गया हो।

साक्षियों का संरक्षण

11.--(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियां बन्द कमरे में की जायेंगी;

परन्तु जहां लोक अभियोजक इस प्रकार आवेदन करता है, वहां कोई कार्यवाही या उसका भाग खुले न्यायालय में की जा सकती है।

(2) ऐसा न्यायालय अपने समक्ष किसी कार्यवाही में साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के सम्बन्ध में लोक अभियोजक द्वारा आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से साक्षी का परिचय और पता गोपनीय रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है जो वह उचित समझे।

(3) विशिष्टतया और उपधारा (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वे उपाय जो ऐसा न्यायालय उस उपधारा के अधीन कर सकता है, उसके अन्तर्गत निम्नलिखित उपाय भी हैं :-

(क) अपने आदेशों या निर्णय में या मामले के किसी अभिलेख में जो जनता की पहुंच में हो, साक्षियों के नाम और पते का उल्लेख न करना;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि साक्षियों का परिचय और पता प्रकट न हो जाय, कोई निदेश जारी करना।

(4) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का उल्लंघन करता है, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण को पूर्वता

12—किसी अन्य न्यायालय में (जो विशेष न्यायालय न हो) अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण को पूर्वता दी जायगी और उसे ऐसे अन्य मामले के विचारण के अधिमान में पहले समाप्त किया जायगा और तदनुसार ऐसे अन्य मामले का विचारण आस्थगित रहेगा।

नियमित न्यायालयों को मामले अन्तरित करने की शक्ति

13—जहां किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात विशेष न्यायालय की यह राय हो कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, जहां वह इस बात के होते हुए भी कि उसे ऐसे अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए मामले को किसी ऐसे न्यायालय को अन्तरित करेगा जिसे संहिता के अधीन अधिकारिता है और वह न्यायालय जिसे मामला अन्तरित किया जाय, अपराध के विचारण के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा मानो उसने अपराध का संज्ञान किया हो।

सम्पत्ति की कुर्की

14—(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति के कब्जे में स्थित कोई सम्पत्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, किसी गिरोहबन्द के द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित की गयी है तो वह ऐसी सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है, चाहे किसी न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध का संज्ञान किया गया हो या नहीं।

(2) प्रत्येक ऐसी कुर्की पर संहिता के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) संहिता के उपबन्धों के होते हुए भी, जिला मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन कुर्क की गयी किसी सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकता है और प्रशासक को ऐसे सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उसका प्रबन्ध करने की सभी शक्तियां होंगी।

(4) जिला मजिस्ट्रेट ऐसे सम्पत्ति के उचित और प्रभावी प्रबन्ध के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता की व्यवस्था कर सकता है।

सम्पत्ति को निर्मुक्त करना

15—(1) जहां कोई सम्पत्ति धारा 14 के अधीन कुर्क की जाय, वहां उसका दावेदार, ऐसी कुर्की की जानकारी के दिनांक से तीन मास के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अपने द्वारा उस सम्पत्ति के अर्जन की परिस्थितियों और स्रोतों को दर्शाते हुए अभ्यावेदन कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन किए गए दावे की वास्तविकता के बारे में जिला मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाय तो वह कुर्क की गयी सम्पत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा और तदुपरान्त ऐसी सम्पत्ति दावेदार को सौप दी जायगी।

न्यायालय द्वारा संपत्ति के अर्जन के स्वरूप के बारे में जांच

16—(1) जहां धारा 15 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन न दिया जाय या जिला मजिस्ट्रेट धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन सम्पत्ति को निर्मुक्त नहीं करता है, वहां वह मामले को अपनी रिपोर्ट के साथ इस अधिनियम के अधीन अपराध का विचारण करने के लिए अधिकारितायुक्त न्यायालय को निर्दिष्ट करेगा ।

(2) जहां जिला मजिस्ट्रेट ने किसी सम्पत्ति को धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन कुर्क करने से इन्कार किया है या किसी संपत्ति को धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन निर्मुक्त करने का आदेश दिया है, वहां राज्य सरकार या कोई व्यक्ति जो इस प्रकार इंकार करने या निर्मुक्त करने से व्यथित हो, यह जांच करने के लिए कि क्या सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के द्वारा या उसके परिणामस्वरूप अर्जित की गयी थी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट न्यायालय को आवेदन-पत्र दे सकता है। ऐसा न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, ऐसी सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है ।

(3) (क) उपधारा (1) के अधीन निर्देश या उपधारा (2) के अधीन आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर न्यायालय जांच के लिए कोई दिनांक नियत करेगा और उसकी नोटिस उपधारा (2) के अधीन आवेदन-पत्र देने वाले व्यक्ति या, यथास्थिति, धारा 15 के अधीन अभ्यावेदन देने वाले व्यक्ति और राज्य सरकार और किसी अन्य व्यक्ति को भी जिसका हित मामले में अन्तर्ग्रस्त प्रतीत हो, देगा ।

(ख) इस प्रकार नियत दिनांक को या किसी पश्चातवर्ती दिनांक को जब तक के लिए जांच आस्थगित की जाय, न्यायालय पक्षकारों की सुनवाई करेगा, उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ग्रहण करेगा, ऐसे और साक्ष्य लेगा जिसे वह आवश्यक समझे, यह विनिश्चय करेगा कि क्या सम्पत्ति किसी गिरोहबन्द द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित की गयी थी और 17 के अधीन ऐसा आदेश देगा जैसा मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत और आवश्यक हो ।

अधिनियम संख्या 5 सन् 1908

(4) उपधारा (3) के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में ऐसी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचारण करते समय सिविल न्यायालय की होती हैं, अर्थात्—

(क) किसी व्यक्ति को समन कराना और उसे हाजिर कराना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) दस्तावेजों का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति अधियाचित करना ;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी कराना ;

(च) व्यतिक्रम के लिए निर्देश को खारिज करना या उसे एक पक्षीय विनिश्चित करना;

(छ) व्यतिक्रम के लिए खारिज करने के आदेश या एकपक्षीय विनिश्चय को अपास्त करना।

अधिनियम संख्या–1 सन् 1872

(5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी कार्यवाही में यह साबित करने का भार कि प्रश्नगत सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी गिरोहबन्द द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं किया गया था, सम्पत्ति पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा।

जांच के पश्चात आदेश

17––यदि ऐसी जांच पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सम्पत्ति किसी गिरोहबन्द द्वारा इस अधिनियम के अधीन विचारणीय किसी अपराध कार्य के परिणामस्वरूप अर्जित नहीं की गयी थी तो वह उस सम्पत्ति को ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त करने का आदेश देगा जिसके कब्जे से वह कुर्क की गयी थी। किसी अन्य मामले में न्यायालय सम्पत्ति को कुर्क करके अधिहरण करके या सम्पत्ति पर कब्जा पाने के लिए हकदार व्यक्ति को देकर, या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने का ऐसा आदेश दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।

अपील

18––संहिता के अध्याय 29 के उपबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पारित न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील पर यथाबश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।

संहिता के कुछ उपबन्धों का उपान्तरित रूप में लागू किया जाना

19––(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध को संहिता की धारा 2 के खण्ड (ग) के अर्थान्तर्गत संज्ञेय अपराध समझा जायगा और "संज्ञेय मामले" का, जैसा उसे उस खण्ड में परिभाषित किया गया है, तदनुसार अर्थ लगाया जायगा।

(2) संहिता की धारा 167, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध वाले मामले के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए इस प्रकार लागू होगी कि––

(क) उसकी उपधारा (1) में, "न्यायिक मजिस्ट्रेट" के प्रति निर्देश का अर्थ "न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट" के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायगा;

(ख) उसकी उपधारा (2) में "पन्द्रह दिन", "नब्बे दिन" और "साठ दिन" जहां कहीं भी आए हों, के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः "साठ दिन" "एक वर्ष" और "एक वर्ष" के प्रति निर्देशों के रूप में लगाया जायगा।

(ग) उसकी उपधारा (2–क) निकाल दी गयी समझी जायगी।

(3) संहिता की धारा 366, 367, 368 और 371 विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध वाले मामले के सम्बन्ध में इस उपान्तर के अधीन रहते हुए लागू होंगी कि उसमें "सेशन न्यायालय" जहां कहीं भी आया हो के प्रति निर्देश का अर्थ "विशेष न्यायालय" के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायगा।

(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बन्धपत्र पर तब नहीं छोड़ा जायगा, जब तक कि–

(क) लोक अभियोजक की ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता; और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान न हो जाय कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है ।

(5) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट जमानत मन्जूर करने के बारे में निर्बन्धन, संहिता के अधीन निर्बन्धनों के अतिरिक्त होंगे ।

अधिभावी प्रभाव

20—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियमिति में इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

आदेश के बारे में उपधारणा

अधिनियम संख्या 1 सन् 1872

21—जहां यह तात्पर्यित हो कि कोई आदेश इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त या उसके अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करके किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया और हस्ताक्षरित किया गया है, वहां न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थान्तर्गत यह उपधारणा करेगा कि ऐसा आदेश उस प्राधिकारी द्वारा दिया गया था ।

सद्भावना से किए गए कार्य का संरक्षण

22—राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किया गया हो या किए जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति

23—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों में यह व्यवस्था की जा सकती है कि नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन एक हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने सहित या बिना जुर्माने के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो छः मास से अधिक न होगी, दण्डनीय होगा ।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 1986

24—(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद तथा समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण विधेयक 1986 के खण्ड 2 (ख) की दूसरी पंक्ति में शब्द ''दुनियाबी'' तथा तीसरी पंक्ति में शब्द 'भौतिक या' निकाल दिये जायं ।

मान्यवर, ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रस्तुत विधेयक पूर्व आग्रह से ग्रसित होकर लाया गया है और यह मालूम पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में यह शंका व्याप्त है कि हम किसी असभ्य, जंगली और बरबर समाज में रह रहें है । मान्यवर, जहां भी विकसित और सभ्य समाज है और जितने भी कानून बनाये जाते है उनकी मूल भावना सुधारात्मक होती है । इसलिए हमारे यहां जो विधि सम्पत्ति रूल आफ ला स्वीकृत है उसके अनुसार भी इस प्रकार के कानून बनाये जाते हैं । मगर मान्यवर, इस कानून के द्वारा जो शब्दों का मौलिक अर्थ है उसको भी इस तरह से खींचा गया है जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया है और इसमें एक शंका है जो शब्द इसमें लाया गया उनका पता नहीं स्पष्टता से क्या अर्थ लगाया जाय और उस अर्थ की मौलिक भावना में परिवर्तन होकर कहीं अनर्थ न हो जाय । इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह शब्द निकाल दिये जायं क्योंकि इसमें शब्द 'दुनियाबी' है । 'दुनियाबी' शब्द दिया गया है जिसका मतलब इम्मोरल और इसके माने सेक्यूलर भी है । 'दुनियाबी' अपने या दूसरे के 'दुनियाबी' लाभ के लिये किसी सन्त या तांत्रिक के पास अपनी निरोगता के लिये जाता है, किसी योगी के पास जाता है और इसलिये जाता है कि उसे कोई रोग है और उससे वह अपना उपचार करे तो उसे आप 'अनुचित' कह रहे है। इस शब्द का दुरुपयोग होगा। इसलिए भौतिक शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि इन शब्दों को निकाल दिया जाय।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, स्वीकार नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 (ख) की दूसरी पंक्ति से शब्द 'दुनियाबी' तथा तीसरी पंक्ति से शब्द 'भौतिक या' निकाल दिये जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक के खण्ड 2 (ख) की तीसरी पंक्ति से शब्द ''या तो अकेले या'' निकाल दिये जायं ।

(मंत्री जी को पुकारे जाने पर)

मान्यवर, मुझे अभी इस पर बोलना है । यह मेरा अधिकार है ।

(5 बजकर 20 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, आप बोलिये ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, जो प्रस्ताव में रखा है गिरोह शब्द की जहां पर परिभाषा दी गई है वहां से इन शब्दों को निकाल दिये जाने के लिये मैंने कहा है ।

श्रीमन्, किसी भी लेजिस्लेशन में जो डिफीनिशन दी जाती है वह भी परिभाषाओं में, जो शब्द की मौलिक एवं ध्वनि आत्मक अर्थ होता है उससे उसका पूरा अर्थ निकल जाना चाहिए। वरना उस शब्द को जिसको परिभाषित किया गया है, उसका दूसरा अर्थ लगाया जायेगा। गिरोहबंद शब्द आई0 पी0 सी0 में भी है। इसे बहुवचन की संज्ञा दी गई है जिसका एक समुदाय से तात्पर्य है। माननीय मंत्री जी जानकार हैं। शब्दों के भी जानकार है। एक व्यक्ति को भी आप गिरोह मानेंगे तो बड़ा भारी अनर्थ हो जायेगा। इसलिये इस अधिनियम में जो परिभाषा की गई है वह भयंकर व्यवस्था है। परीक्षण में वह व्यवस्था दी गई है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

द्विवेदी जी, अब इस समय खन्डों पर विचार हो रहा है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

श्रीमन्, यह संशोधन इसलिये दिया गया है कि इसमें परीक्षण की व्यवस्था की गई है। जो रूल आफ ला है जो सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब तक कोई व्यक्ति दोष सिद्ध नहीं होता तब तक वह निर्दोष है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सर्वमान्य सिद्धान्त को आप उलट देना चाहते हैं। आप यह प्रिज्यूम करके चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपराधी है जब तक वह अपने को निर्दोष साबित न कर ले। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब एक-एक लाइन पर इतना भाषण करेंगे तो [illegible]

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मैं बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं.. (व्यवधान) ईसा-मसीह को फांसी चढ़ाई गई, तो वह दानव कौन है? उसको भी यह जानने का अधिकार दिया गया था। यहां तक कि जुल्फिकार अली भुट्टो को भी अधिकार दिया गया था..

श्री उपाध्यक्ष–

इस तरह से तो पूरी रात भर नहीं निपटेगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

हमें सारे अधिकारों से डिप्राइव किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, अस्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2(ख) की तीसरी पक्ति से शब्द "या तो अकेले या" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक के खण्ड 2(ख) की चौथी पंक्ति से शब्द 'या प्रदर्शन' निकाल दिये जायं।

मान्यवर, इसमें हमारे मौलिक अधिकारों को दबाने का प्रयास हो रहा है। (व्यवधान) मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। यह प्रदेश में पुलिस राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, निरंकुश राज्य स्थापित करना चाहते हैं, रूल आफ ला को समाप्त करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी–

लोकतंत्र में हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। इसके विरोध में मैं सदन त्याग कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

अस्वीकार है ।

(श्री ब्रह्मदत्त द्विववेदी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 (ख) की चौथी पंक्ति से शब्द 'या प्रदर्शन' निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से लेकर खण्ड 24 तक तथा खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1986 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

राज्य विद्युत परिषद् में करोड़ों रुपये की हेराफेरी किये जाने के सम्बन्ध में तथा सरकारी अस्पतालों में कोबाल्ट थैरेपी की सुविधा न होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्यों का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या 12 के दोनों वक्तव्य स्थगित हो गये हैं।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
13 मार्च, 1986

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी0 एस0 यू0 पी0–एल0 64 विधान सभा (107)–1986--813 ।